शनिवार,
२१ नवंबर, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शनिवार, २१ नवम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

टेलीफोन चालक

*१५३. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या टेलीफोन चालकों का वेतन बढाने अथवा जंगल क्षेत्रों में काम करने वाले लाइनमेनों को स्पेशल भत्ता देने के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : टेलीफोन चालकों का वेतन बढ़ा देने की कोई भी प्रस्थापना विचाराधीन नहीं । जहां तक दूरदराज़ अथवा दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाले लाइनमेनों को स्पेशल भत्ता देने का सम्बन्ध है, इस मामले पर विचार हो रहा है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन डाक तथा तार कर्मचारियों ने अपने लुधियाना वाले सम्मेलन में अपनी कई मांगें माननीय मंत्री को पेश की ?

श्री राज बहादुर : कई मांगें की गईं । परन्तु इन्हें औपचारिक रूप से मेरे पास नहीं भेजा गया । वास्तव में हम ने इन चालकों का वेतन उसी दर पर निश्चित किया है जिस पर की क्लर्कों का निश्चित किया गया है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या माननीय मंत्री ने पोस्ट मास्टर जनरलों को इस बात पर ध्यान देने के लिए कहा है कि ६० प्रतिशत डाक कर्मचारी अस्थायी हैं ?

श्री राज बहादुर : वह एक अलग मांग है, परन्तु मैं ने उनसे कहा है । मैं ने यूनियन को यह भी बताया है कि वह पी० एम० जी० को ऐसे अस्थायी कर्मचारियों की ठीक ठीक संख्या तथा विवरण दें जिस से कि विशिष्ट मामलों की जांच की जा सकें, परन्तु यूनियन ने जहां तक मुझे मालूम है ऐसा नहीं किया है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए अविवाहित महिला चालकों को विवाह के लिए कोई पिंडराशि देने का इरादा रखती है ?

श्री राज बहादुर : श्रीमान्, यह कार्य करने का एक सुझाव है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

दिल्ली काबुल वायुयान सेवा

*१५४. **सरदार हुक्म सिंह:** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या नई दिल्ली–काबुल वायुयान सेवा नियमित रूप से चालू रहेगी ?

(ख) एक तरफा उड़ान में कितना समय लगता है तथा बीच बीच में वायुयान कहां उतरता है ?

संचरण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ७ नवम्बर, १९५३ से दिल्ली — अमृतसर––लाहौर काबुल—कंधार मार्ग पर एक साप्ताहिक वायुयान सेवा चालू होनी शुरू हुई है। वायुयान प्रत्येक शनिवार को दिल्ली से काबुल तथा कंधार के लिए रवाना होता है तथा रविवार को वापस दिल्ली आ जाता है ।

(ख) ९ घंटे १५ मिनट। वायुयान रास्ते में अमृतसर, लाहौर तथा काबुल में उतरता है ।

सरदार हुक्म सिंह: कितना भाड़ा लगता है ?

श्री राज बहादुर: दिल्ली से अमृतसर तक ६५ रुपया एक तरफा खर्चा लगता है, दिल्ली से काबुल तक २४० रुपये लगता है । आने जाने का खर्चा ४५६ रुपये है ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या सप्ताह में एक ही बार वायुयान काबुल जाया करेगा अथवा क्या बारम्बारता बढ़ा देने का कोई विचार है ?

श्री राज बहादुर: यह बात यात्रियों के आने जाने पर निर्भर है ।

पशुओं के लिये शिविर

*१५७. **डा० राम सुभग सिंह:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने अकेले अथवा किसी राज्य सरकार के सहयोग से अनुत्पादी बूढ़े तथा निर्बल पशुओं के लिए कोई केन्द्र खोले हैं ?

(ख) यदि खोले हैं तो कहां कहां तथा कितने ?

(ग) यह शिविर कब से चल रहे हैं ?

(घ) इन शिविरों में इस समय कितने पशु रखे गए हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क). जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है ।

(घ) ७७७ ।

विवरण

राज्य का नाम	स्थापित गोसदनों की संख्या	स्थापना का दिनांक
बिहार	२	एक अक्तूबर, १९५२ में तथा दूसरा जुलाई, १९५३ में ।
भोपाल	१	जून १९५३ में
विन्ध्य प्रदेश	१	अप्रैल, १९५३ में
त्रिपुरा	१	फरवरी, १९५३ में

सेठ गोविंद दास : क्या यह सही है कि सरकारी योजना के अनुसार इन गोसदनों की संख्या जितनी होनी चाहिये उस से कम हुई है और यदि यह बात सही है तो इनकी कमी का क्या कारण है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह बात ठीक है । पंचवर्षीय योजना के अनुसार हमें १६० गोसदन चालू करने हैं। १९५२-५३ में हमें ३५ चालू करने चाहिये थे । परन्तु

राज्य सरकारों के धनाभाव के कारण तथा समुचित जमीनों के जहां कि इन गोसदनों को स्थापित किया जा सकता न मिलने के कारण यह संख्या इस समय केवल ९ है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि उन जीर्ण पशुओं की अनुमानित संख्या क्या है जिनके लिए सरकार पंच-वर्षीय योजना के पूर्ण काल में सदन खोलने की प्रस्थापना करती है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : पंच वर्षीय योजना की कालावधि में हमें १६० गोसदन खोलने हैं तथा प्रत्येक गोसदन में लगभग २०० पशु होंगे ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार प्राधान-ग्राम परियोजना को चालू करने के साथ साथ ही जीर्ण पशुओं को भी अलग कर रही है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : ऐसा किया जा रहा है ।

डा० राम सुभग सिंह : इस समय तक कितने पशु अलग किये जा चुके हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह संख्या जानने के लिए वह एक अलग प्रश्न की सूचना दे सकते हैं ।

सेठ गोविंद दास : इस वर्ष के अन्त तक और कितने गोसदनों की स्थापना की संभावना है और कितने राज्यों से इस सम्बन्ध में बातचीत चल रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : सभी रियासतों से बात चीत चल रही है और जो रियासत इन्तंजाम कर सकेंगी वहां वहां बन जावेंगे ।

यात्रा अभिकरण

***१५८. सेठ गोविंद दास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करगे :

(क) दिल्ली में यात्रा अभिकरणों की संख्या क्या है ;

(ख) सरकार उनको क्या सुविधाएं देती है ; तथा

(ग) प्रति यात्री-टिकट पर उनको कितना कमीशन मिलता है ?

रेलवे तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क). सम्भवतः यह प्रश्न सरकार द्वारा अभिज्ञात पर्यटक अभिकरणों के सम्बन्ध में पूछा गया है , यदि यह बात है तो यह संख्या ७ है ।

(ख) तथा (ग). अभिज्ञात पर्यटक एजेंटों को एयर-कंडीशन्ड फर्स्ट क्लास तथा सैकंड क्लास रेल टिकटों की बिक्री पर कमीशन दिया जाता है । सद्भाव समुद्र पार पर्यटकों को बेची गई टिकटों के सम्बन्ध में यह कमीशन दस प्रतिशत है। दूसरों को बेची गई टिकटों के सम्बन्ध में यह पांच प्रतिशत है । सरकार द्वारा अभिज्ञात पर्यटक एजेंटों की हैसीयत से इन्हें कुछ सुविधाएं दी जाती हैं; जैसे कि सरकारी पर्यटक प्रकाश में इनके नाम बिना किसी शुल्क के प्रकाशित किये जाते हैं तथा इन्हें पर्यटकों के सम्बन्ध में सरकारी साहित्य मुफ्त भेजा जाता है ।

सेठ गोविंद दास : इन अभिकरणों में, जिन की संख्या अभी माननीय मंत्री जी ने सात बतलाई, क्या ये सब हमारे देश के हैं, या कोई विदेशी भी हैं ?

श्री अलगेशन : कोई विदेशी भी हैं ।

सेठ गोविंद दास : विदेशियों की कितनी संख्या है और हमारे देश की संस्थाओं की संख्या कितनी है ?

श्री अलगेशन : मैं नाम पढ़ सकता हूं, अमेरिकन एक्सप्रैस कम्पनी, काक्स एंड किग्ज ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें नाम तो नहीं चाहिये, परन्तु वह शायद नामों से

यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वह भारतीय-स्वामित्व के हैं अथवा विदेशी स्वामित्व के ।

श्री अलगशन : कुछ तो अंग्रेजी नाम हैं परन्तु मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूं कि क्या वह भारतीय स्वामित्व के हैं अथवा नहीं ।

सेठ गोविंद दास : स्वराज्य होने के बाद से इन की स्थापना हुई है या ये अंग्रेजी राज के वक्त से ही चली आरही हैं?

श्री अलगशन : यह पहले से काम कर रहे थे।

श्री वी० एस० मूर्ति : क्या कुछ नये पर्यटक अभिकरणों को भी अभिज्ञात किया जा रहा है; यदि किया जा रहा है तो उनके अभिज्ञान के लिए क्या शर्तें निश्चित की गई हैं ?

श्री अलगेशन : वर्ष में एक बार उन से प्रार्थना पत्र मांगे जाते हैं तथा शर्त यह है कि यह संस्थाएं प्रार्थना करने से पूर्व कम से कम एक वर्ष के लिए पर्यटक परिवाहन की उन्नति के काम में संलग्न होनी चाहिये ।

बिहार में बाढ़ सम्बन्धी सहायता कार्यवाही

*१६१. **श्री अजमद अली :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बांधों, सड़कों, पुलों, स्कूलों तथा अन्य सरकारी इमारतों को बाढ़ से जो विस्तृत क्षति हुई है क्या उसकी मरम्मत के लिए बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से धन की प्रार्थना की है; तथा

(ख) यदि की है, तो किस किस सहायता कार्य अथवा मरम्मत के काम के लिए कितनी कितनी धन राशि मंजूर की गई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) बिहार सरकार ने सहायता दान पर जितना खर्च किया होगा भारत सरकार ने उसका आधा देना स्वीकार किया है बशर्ते कि यह ६० लाख रुपये से अधिक न आये इसके अलावा भारत सरकार राज्य सरकार की सिक्युरिटियां खरीद कर उसकी सहायता करेगी ।

श्री अजमद अली : मेरे प्रश्न का सम्बन्ध उस धन से था जो कि बांधों, पुलों सड़कों आदि की मरम्मत पर खर्च किया गया है । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का इस से कैसे सम्बन्ध है ? क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि बिहार में बाढ़ के कारण फसलों को कितना नुक्सान पहुंचा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम ने उनके प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दिया । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य का कहना ठीक है; इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय से प्रश्न पूछा जाना चाहिये ।

जहां तक फसलों को पहुंची क्षति का सम्बन्ध है, पहिली रिपोर्ट से हमें पता चला है कि २३, ६३,४७१ एकड़ है ; वर्षा में ८४००० मकानों को हानि पहुंची है तथा फसलों, मकानों, सड़कों, इमारतों, बांधों आदि के कुल नुक्सान का अनुमान लगभग ३५ करोड़ रुपये लगाया जाता है । धान की फसलों को ५० प्रतिशत क्षति पहुंची है ।

श्री नाना दास : क्या गोदावरी बाढ़ से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को भी इस प्रकार की सहायता दी जायगी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रत्येक मामले पर उसके गुणदोषों को ध्यान में रखते हुए विचार करना है ।

पंडित डी० एन० तिवारी: क्या मैं जान कता हूं कि क्या इस समय तक लगभग दो करोड़ रुपये की सहायता दान वितरित किया गया है; यदि किया गया है तो क्या सरकार शेष ४० लाख रुपये देने का विचार रखती है । यदि उस ने इस समय तक आधे से कम दिया हो ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमारे वचन के अनुसार यह आंकड़ा केवल ६० लाख रुपये है ।

श्री एल० एन० मश्र : बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में वितरण के लिए बिहार सरकार को कितना तथा किस प्रकार का अनाज कम दामों पर दिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : उन्होंने जितना भी मांगा उन्हें दिया गया तथा वह जितना भी मांगेंगे, उन्हें उतना दिया जायगा ।

गेहूं की नई किस्में

*१६२. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के कृषि अनुसन्धान केन्द्रों में गेहूं की नई किस्मों की खेती की गई है ?

(ख) यदि की गई है, तो क्या इनका कहीं और भी प्रयोग किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । पंजाब, बम्बई. मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल तथा बिहार में ।

श्री डी० सी० शर्मा : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि यह नई किस्में पुरानी किस्मों से किस रूप में भिन्न हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : व्यवहार से यह सिद्ध हुआ है कि हमारे इन्स्टीटयूट में जो नई किस्में उगाई गई हैं उन में कीड़ा नहीं लगता है तथा पैदावार अधिक होती है ।

श्री डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, भाग (ख) के उत्तर में बताये गए राज्यों में लगभग कितनी एकड़ भूमि में इन नई किस्मों का प्रयोग किया गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इनका प्रयोग इन सभी राज्यों में किया गया है, परन्तु यदि माननीय सदस्य ठीक ठीक आंकड़े जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें यह बाद में दे दूंगा ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्. क्या मैं जान सकता हूं कि कितने अनुसन्धान केन्द्रों में यह अनुसन्धान अब किया जा रहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह हमारे मुख्य इन्स्टीट्यूट पुसा इन्स्टीट्यू है में किया गया था ।

श्री आर० के० चौधरी: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आसाम में किसी प्रकार की गेहूं उगाई गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : हम आसाम सरकार से पूछ ताछ करेंगे तथा फिर उत्तर दे देंगे ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं उत्तर को समझ नहीं सका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर यह है कि माननीय मंत्री आसाम सरकार से पूछ ताछ करेंगे तथा फिर उत्तर दे देंगे ।

गबन तथा मेल डकैतियां

*१६३. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि वर्ष १९५१-५२, १९५२-५३ तथा १९५३ में अगस्त तक डाक तथा तार विभाग के कितने कर्मचारियों पर सरकारी धन के ग़बन के दंड अपराधों के लिये अभियोग चलाये गये ?

(ख) कुल कितने धन का गबन किया गया ?

(ग) उसमें से कितना वसूल कर लिया गया और कितना छोड़ दिया गया ?

(घ) उपरोक्त अवधि में आर० एम० एस० में मेल डकैतियों की कितनी घटनायें घटीं ।

(ङ) कितने अपराधियों का पता लगाया गया, कितने गिरफ्तार किये गये तथा कितनों पर मुकदमे चलाये गये ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर :) :

(क) १९५१–५२ १,०५२
१९५२–५३ १,०७३
अप्रैल ५३ से अगस्त ५३ तक १९४

(ख) १९५१–५२ ४,७२,२८३ रु०
१९५२–५३ ५,७६,१२५ रु०
अप्रैल ५३ से अगस्त ५३ तक १,३७,६२५-१०-१० पाई

	राशि जो वसूल हुई	राशि जो छोड़ दी गई
(ग) १९५१–५२	६०,४१६ रु०	७,७३१ रु०
१९५२–५३	७२,४०८ रु०	९२ रु०
अप्रैल ५३ से अगस्त ५३ तक	३१,८८८-१४-३	कुछ नहीं

(घ) १९५१–५२ २
१९५२–५३ १
अप्रैल ५३ से अगस्त ५३ तक कोई नहीं

(ङ) वर्ष १९५१-५२ में आर० एम० एस० में मेल डकैतियों के लिये उत्तरदायी तीन अपराधियों का पता लगाया गया, उन पर मुकदमे चलाये गये और वे न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराये गये । वर्ष १९५२-५३ में आर० एम० एस० में हुई मेल डकैतियों के सिलसिले में पुलिस द्वारा किसी अपराधी का पता नहीं लगाया जा सका ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : जो व्यक्ति न्यायालयों द्वारा दोषी पाये जाते हैं उनसे धन वसूल करने का क्या तरीका है ?

श्री राज बहादुर : यदि दोष किसी एक व्यक्ति का पाया जाता है तो यह राशि उस व्यक्ति से वसूल की जाती है । परन्तु जिन मामलों में दंड किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया हो और हानि कितने ही सम्बन्धित पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई हो, उनमें यह उन सब व्यक्तियों से वसूल की जाती है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : कितने प्रतिशत मामलों में लोग छोड़ दिये गये और उन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध, जो छोड़ दिये गये, क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राज बहादुर : मैं केवल उन व्यक्तियों की संख्या बता सकता हूं जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई और दंड दिया गया । वर्ष १९५१-५२ में ९६ व्यक्तियों को दंड दिया गया और १९५२-५३ में ९३ व्यक्तियों को ।

श्री दाभी : क्या उन डाक कर्मचारियों से, जिनके काम का सम्बन्ध सरकारी धन के लेन देन से होता है, पर्याप्त ज़मानतें नहीं ली जा रही हैं ?

श्री राज बहादुर : ज़मानत समस्त डाक कर्मचारियों से नहीं ली जाती, बल्कि केवल उन कर्मचारियों से ली जाती है जिनके

काम का सम्बन्ध सरकारी धन के लेन देन से होता है, विशेषतया उदाहरण के लिये—ब्रांच पोस्ट मास्टरों से ।

श्री नाना दास : सरकार ने इस प्रकार के अपराध न होने देने के लिये क्या पग उठाये हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री राज बहादुर : इसके लिये तो यही ज़रूरी है कि पर्यवेक्षण अधिक सजगता से किया जाये और हम ऐसा कर भी रहे हैं । जैसा कि माननीय सदस्य को और सदन को विदित ही है, भारत में डाकखानों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है और इस प्रकार संचरण में भी बहुत वद्धि हो गई है, परन्तु पर्यवेक्षी कर्मचारीवर्ग में उसी अनुपात से वृद्धि नहीं हुई है। उस बुराई का अधिकांश कारण यही है ।

रेल पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग

*१६४. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करगे :

(क) क्या यह सच है कि रेल पर्यवेक्षी कर्मचारियों की वेतन श्रेणियां भिन्न भिन्न ज़ोन में भिन्न भिन्न हैं और कुछ मामलों में पर्यवेक्षण करने वाले व्यक्तियों को उनसे भी कम मिलता है जिनके काम का पर्यवेक्षण किया जाता है; तथा

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय वेतन आयोग और बाद में संयुक्त मंत्रणा समिति की सिपारिशों पर अमल करने से एक सा काम करने वाले कर्मचारियों की वेतन श्रेणियों में तो एक रूपता आ गई है, परन्तु कुछेक ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें समान पद वाले व्यक्तियों की भिन्न भिन्न वेतन श्रेणियां निर्धारित हो गई हों। सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें पर्यवेक्षण करने वालों की वेतन श्रेणी उन व्यक्तियों की वेतन श्रेणियों से कम हो, जिनके काम का पर्यवेक्षण किया जाता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार को विदित है कि पुरानी आसाम रेलवे में क्लेम्स इंसपैक्टरों की वेतन श्रेणी १२५-२२५ रुपये है और ओ० टी० सेक्शन में २००-३०० रुपये ?

श्री अलगेशन : हो सकता है कि एक से पद होने पर भी ओ० टी० सैक्शन में इन लोगों का काम और दायित्व उच्चतर हो और इसलिये उनकी वेतन श्रेणी अधिक हो ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि इन पर्यवेक्षी लोगों को, जो जो इंजीनियर तक हैं, तब तक यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता जब तक कि वे १२ घंटे से अधिक कार्य न करें ?

श्री अलगेशन : इस प्रश्न का उत्तर मैं तत्काल ही नहीं दे सकता ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या रेल मंत्रालय की सूचना में कोई ऐसा मामला भी लाया गया है जिसमें पर्यवेक्षी कर्मचारी, जैसे, स्टेशन मास्टर और एसिस्टैंट स्टेशन मास्टर, की वेतन श्रेणी या वेतन उनके अधीनस्थ कर्मचारियों, जैसे हैड टिकट केलेक्टर और चीफ़ पार्सल क्लर्क, की वेतन श्रेणी या वेतन से कम हो ?

श्री अलगशन : हमारी सूचना में केवल एक ऐसा मामला लाया गया था जिसमें एक स्टेशन मास्टर की वेतन श्रेणी एक बुकिंग क्लर्क की वेतन श्रेणी से कम थी ; उसे ठीक कर दिया गया ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि भिन्न भिन्न ज़ोन में भिन्न

भिन्न वेतन श्रेणियां रखने के क्या विशेष कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस प्रश्न की जांच करेगी ?

श्री अलगेशन : ऐसी बात नहीं है, श्रीमान् ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इंसपैक्टर्स एसोसियेशन ने तीन वर्ष पूर्व रेल मंत्रालय को कोई संकल्प भेजे थे और क्या उन संकल्पों की प्राप्ति की सूचना भेज दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि विभिन्न यूनियनों द्वारा सरकार को भेजे गये अभिवेदनों के समर्थन में प्रश्न पूछना ठीक या उचित है। इस प्रकार के मामलों के सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्रियों से निजी तौर पर बात चीत की जानी चाहिये ।

श्रम अधिकारी

*१६५. **श्री एस० सी० सामन्त**: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय कितने श्रम अधिकारी सामाजिक कार्य के कोर्स में डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षण पा रहे हैं ;

(ख) उनमें से कितने केन्द्रीय सरकार के हैं और कितने राज्य सरकारों के; तथा

(ग) यह प्रशिक्षण किन स्थानों तथा संस्थाओं में दिया जा रहा है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) पन्द्रह ।

(ख) ९ केन्द्रीय सरकार के और ६ राज्य सरकारों के ।

(ग) कलकत्ते में कलकत्ता विश्व-विद्यालय द्वारा ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रशिक्षण के लियें श्रम अधिक के अलावा बाहर वालों को भी लेती है ?

श्री आबिद अली: जी हां । यह प्रशिक्षण उन श्रम अधिकारियों को दिया जाता है जो पहले से सरकारी सेवा में हैं। इसके अलावा, बहुत से बाहर वालों को भी विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण के लिये लिया जाता है ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या श्रम अधिकारियों (केन्द्रीय 'पूल') की भर्ती तथा सेवा की शर्तों का पुनरीक्षण हो गया है ?

श्री आबिद अली: यह तो एक बिल्कुल अलग प्रश्न है । यदि माननीय सदस्य अलग प्रश्न की सूचना दें तो मैं यह जानकारी दे सकता हूं ।

श्री वी० एस० मूर्ति: यहां दी जाने वाली शिक्षा बम्बई के टाटा सोशल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूलों में तथा अन्यत्र दी जाने वाली शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है ?

श्री आबिद अली: शिक्षा तो लगभग सभी विषयों में एक सी है, परन्तु यहां कोर्स ६ मास का है जब कि अन्य संस्थाओं में यह दो वर्ष का है।

दूर-संचार का विस्तार

*१६६. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि अविकसित क्षेत्रों में दूर-संचार की सुविधाओं का विस्तार करने के सम्बन्ध में सरकार ने नवीनतम नीति के अनुसार भारत में कितने नये तार घर खोले गये हैं ?

(ख) उनमें से कितने मद्रास राज्य में खोले गये हैं ?

(ग) देश में कुल कितने नये पब्लिक काल आफिस खोले गये हैं और उनमें से कितने मद्रास राज्य में हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). पुनरीक्षित नीति की घोषणा १९-९-५३ की प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी ! गत मास के अंत में यहां सर्किलों के प्रमुखों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें उन्हें यह निर्देश दे दिया गया है कि वे उपमंडलीय तथा तहसील केन्द्रों आदि के सब मामलों की पुनः जांच करें और ऐसे तारघरों के खोले जाने की मंजूरी देने में शीघ्रता करें जो उदार बनाई गई शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे स्थानों की सूची अगले मास के आरम्भ में प्राप्त हो जानी चाहिये । ३१ मार्च, १९५४ के पहले यथा संम्भव अधिक से अधिक तारघर खोलने का प्रयत्न किया जायेगा

(ग) वर्ष १९५३-५४ में अब तक ४० पब्लिक काल आफिस खोले गये हैं जिनमें ७ मद्रास राज्य में हैं ।

श्री मनि स्वामी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विभाग में पहले से ही कर्मचारियों की कमी है, क्या सरकार का इरादा पोस्टमास्टर जनरल को यह निर्देश देने का है कि तार सिगनलरों के लिये अधिक ट्रेनिंग क्लासें खोली जायें ?

श्री राज बहादुर : हम सिगनलरों की ट्रेनिंग के लिये उचित प्रबन्ध कह रहे हैं ।

श्री मुनिस्वामी : क्या इस योजना का काम देश में प्राप्य वैज्ञानिकों से ही चल जायेगा, या हमें विदेशों से भी वैज्ञानिक बुलाने पड़गे ?

श्री राज बहादुर : छोटी तार क्लासों के लिये तो हमें बाहर से वैज्ञानिक बुलाने की आवश्यकता नहीं है ।

डाक तथा तार विभाग में जालसाज़ी के मामले

***१६७. श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१-५२ में तथा १९५२-५३ में डाक तथा तार विभाग में , राज्यवार जालसाजी के कितने मामलों का पता लगा है

(ख) इन सब मामलों में कुल कितनी धन राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

(ग) भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) राज्य वार आंकड़े नहीं रखे जाते । सदन पटल पर विवरण रखा जाता है जिसमें सर्किल वार आंकड़े दिये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १]**

१०३८ मामले वर्ष १९५१-५२ में और १२०७ मामले १९५२-५३में ।

(ख) इन मामलों के अन्तर्गत कुल धनराशि १९५१-५२ में ५,७८,००० रुपये और १९५२-५३ में लगभग ६,८१,००० रुपये की ।

(ग) जालसाज़ी के सब मामलों की सूचना तुरन्त ही पुलिस को दे दी जाती है । विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच के लिये प्रत्येक सहायता दी जाती है । अंत में उन अपराधियों पर मुकदमें चलाये जाते हैं । सरकार को हुई हानि उन लोगों से वसूल की जाती है जिन्होंने अपनी लापरवाही से जालसाज़ी के कार्य को सुकर बनाया हो या उसमें सहायता दी हो । निदेशालय तथा राज्यों के जांच विभागों में पर्यवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्था को और अधिक बड़ी बनाने तथा उन्हें फिर से संगठित करने के लिये भी कार्यवाही की गई है । पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग, जिसमें देश में संचरण में बढ़ोत्तरी और डाक तथा

तार सम्बन्धी सुविधाओं के प्रसार के अनुपात से वृद्धि नही हुई है, के बढ़ाये जाने का प्रश्न भी सरकार के विचारारधीन है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सच है कि विभागीय नियम ऐसे हैं कि अधिकांश मामलों में वास्तविक अपराधियों पर प्रत्यक्ष दायित्व निर्धारित करना असम्भव हो जाता है ?

श्री राज बहादुर : सच बात तो इसके विपरीत है । वस्तुतः, यदि विभागीय नियमों पर कड़ाई के साथ अमल किया जाय ऐसी जाल साज़ियों का होना ही असम्भव हो जायेगा । ऐसी घटनाओं के घटित होने का कारण ही यह हैं कि लापरवाह पदाधिकारी नियमों पर अमल करने में शिथिलता से काम लेते हैं ।

श्री मुनिस्वामी : विवरण से यह पता चलता है कि वर्ष १९५२-५३ में ऐसे मामलों की संख्या पूर्व वर्ष की संख्या की तुलना में २०० अधिक रही है । क्या इस का अर्थ यह है कि सरकार उचित कार्यवाही करने में असमर्थ रही है ?

श्री राज बहादुर : संचरण में वृद्धि मामलों की संख्या में वृद्धि के अनुपात से कहीं अधिक हुई है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश मामले बहिर्विभागीय शाखा डाकघरों में पकड़े गये थे ?

श्री राज बहादुर : मैं यह तो नहीं कहूंगा कि उनमें से अधिकांश मामले बहिर्विभागीय डाकघरों में पकड़े गये थे, परन्तु ऐसे डाकघरों में पकड़े गये मामलों की संख्या काफी थी ।

श्री मुनिस्वामी : माननीय मंत्री ने जिन मामलों का उल्लेख किया उनमें से कितनों में अभियुक्तों को न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया और कितनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई ?

श्री राज बहादुर : न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराये गये कर्मचारियों की संख्या वर्ष १९५१-५२ में १४५ और वर्ष १९५२-५३ में १३१ थी । विभाग द्वारा दंडित व्यक्तियों की संख्या मैं पहले ही दे चुका हूं—क्रमशः ९६ और ९३. जिन पदाधिकारियों के मुकदमें अभी चल रहे हैं वे १९५१-५२ के २८८ और १९५२-५३ के २४८ हैं । जिन पदाधिकारियों के विरुद्ध पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही की गई उनकी संख्या १९५१-५२ में ३९६ और १९५२-५३ में ४६२ थी । न्यायालयों द्वारा १९५१-५२ और १९५२-५३ में क्रमशः ५२ और ९७ व्यक्ति छोड़े गये। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनकी मृत्यु हो गई, जो फरार हो गये, आदि, क्रमशः ६९ और ४२ थी ।

तम्बाकू से निकोटीन का निर्माण

*१६८. **श्री दाभी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १० सितम्बर, १९५३ को तारांकित प्रश्न संख्या ११९४ के उत्तर को निर्दिष्ट करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देश के किसी तम्बाकू गवेषणा केन्द्र में तम्बाकू के बूरे से निकोटीन निर्मित करने के प्रयोग किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति की गई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नारायण दास : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे देश में इस प्रकार की गवेषणा होती है और यदि हां, तो उसके परिणाम ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मेरे पास यह सूचना नहीं है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : यदि जांच पड़ताल करन के लिये यह सुझाव

दिया जा रहा है तो इस पर विचार किया जायेगा।

श्री दाभी : क्या यह ठीक है कि तम्बाकू की ब्रूरे से निकोटीन निर्मित की जा सकती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह ठीक है। चूंकि हमारे गवेषणा केंद्रों का मुख्य प्रयोजन तम्बाकू की उपज और किस्म में सुधार करना है, हम इस दिशा में कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं। किन्तु हमने वैज्ञानिक गवेषणा प्रयोगशालाओं से इस पर जांच करने को कहा है और उनकी जांच से एक योजना पता चली है। वे इस पर कार्यवाही कर रही है और उन्हें सफलता मिली है।

रेलवे सहकारी समितियां

*१६९. **श्री टी० वी० विट्ठल राव :** (क) क्या **रेल** मंत्री १८ सितम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३९१ के उत्तर को निर्दिष्ट करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रेलवे की सहकारी समितियों की जांच करने के लिये सितम्बर, १९५२ में नियुक्त विशेष पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर विचार किया जा चुका है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अपनी सिफारिशों सहित उक्त प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखने का इरादा रखती है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि रेलों की कुछ सहकारी साख समितियों का हिसाब अब भी विदेशी बैंकों में है ?

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या पग उठाने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जी हां। विशेष पदाधिकारी द्वारा आपने प्रतिवेदन में की गई मुख्य सिफारिशों को दर्शाते हुये एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २]** प्रतिवेदन मुद्रित किया जा रहा है और यथा समय सदन पटल पर रक्खा जायगा।

(ग) जी हां।

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार फिलहाल किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : विवरण में २२ सिफारिशें गिनाई गई हैं। क्या ये सब सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ?

श्री अलगेशन : इनमें से कुछ सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, किन्तु यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में एक अलग प्रश्न रक्खें तो मैं सहर्ष उसका उत्तर दूंगा।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं विशिष्ट रूप से उस सिफारिश के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं जो स्टोरों के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के सम्मेलनों में शामिल होने के लिये मुफ्त पास देने, थोक केन्द्रों से खरीद करने इत्यादि के बारे में है।

श्री अलगेशन : मैं तत्काल नहीं बतला सकता।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि रेलों की सहकारी समितियों के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है ?

श्री अलगेशन : मैं वर्तमान सदस्य संख्या तो नही जानता, किन्तु समितियों की संख्या लगभग बत्तीस है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि इनमें से कुछ समितियों के विदेशी बैंकों में अपना हिसाब रखने की अनुमति भी दे दी गई है ?

श्री अलगेशन : वे अनुसूचित बैंक हैं। वास्तव में, एक बैंक तो, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, भारतीय बकों से भी कर ब्याज की दर लेता है।

मोदी नगर में वैगनों का गलत लदान

*१७०. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** (क) क्या रेल मंत्री ३ सितम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १००८ के उत्तर को निर्दिष्ट करके यह बताने की कृपा करेंगे कि मोदी नगर में वैगनो के गलत लदान के सम्बन्ध में सात रेलवे पदाधिकारियों के विरुद्ध चल रही संयुक्त जांच का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ?

(ख) सम्बन्धित पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) क्या सरकार प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रक्खेगी ?

(घ) दावेदारों के भुगतान के लिये मोदी इंडस्ट्रीज़ से कितनी राशि वसूल की गई है ?

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई हानि उठाना पड़ी थी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :

(क) जी हां ।

(ख) प्रतिवेदन पर सक्षम अधिकारियों द्वारा विचार किया जा रहा है तथा शीघ्र ही आदेश जारी किये जायेंगे ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) दावेदारों के भुगतान के लिये मोदी इंडस्ट्रीज़ से ७०,९१७ रु० ५ आ० ४ पा० को राशि वसूल की गई है ।

(ङ) रेलवे को कोई हानि होने की आशा नहीं की जाती ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि इस गलत लदान के सम्बन्ध में रेलों पर कुल कितनी राशि का दावा किया गया था ?

श्री अलगेशन : जैसा मैंने बतलाया, लगभग ७० हज़ार रुपये मोदी इंडस्ट्रीज से वसूल कर लिये गये हैं । इस के अतिरिक्त डिगरी के परिणाम स्वरूप मोदी कम्पनी को ११,००० रु० और देने पड़े ।

अध्यक्ष महोदय : कुल दावे कितने के किये गये थे ?

श्री अलगेशन : ९९,५४० रु० के ।

श्री विट्ठल राव : क्या उन में से कोई कर्मचारी मुअत्तिल कर दिये गये हैं और क्या उन्हें कोई निर्वाह-भत्ता दिया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : इस मामले में १४ रेल कर्मचारी सम्मिलित हैं । उनमें से सात या तो रिटायर हो चुके हैं अथवा पाकिस्तान चले गये हैं । शेष के विरुद्ध जांच हो रही है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या सरकार को विदित है कि इनमें से कुछ रेलवे कर्मचारी इस समय मोदी इंडस्ट्रीज में नौकर हैं ?

श्री अलगेशन : यह हमें नहीं मालूम ।

रेल के डिब्बों के अंडर फ्रेमों का संविदा

*१७१. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** (क) क्या रेल मंत्री १५ सितम्बर, १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १२९० के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वेलजियम की फर्म द्वारा वायदे के अनुसार सन्, १९५२ में रेल के डिब्बों के अंडरफ्रेमों की सप्लाई न करने के कारण क्या सरकार का इरादा समझौते के दाण्डिक उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करने का है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) संविदे में यह उपबन्ध

है कि यदि निर्दिष्ट समय पर माल देने में विलम्ब होने का कारण इंडिया स्टोर विभाग के डायरेक्टर जनरल की राय में ऐसा कि आगे और समय नही दिया जा सकता तो संविदाकार डायरेक्टर जनरल इंडिया स्टोर विभाग, लंदन, जिन्होंने कि संविदा दिया था, भुगतान करते समय निश्चय ही विलम्ब के कारणों पर विचार करेंगे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि तब से इस प्रकार का कोई समाचार प्राप्त हुआ है कि इन अंडरफ्रेमों को अमुक समय तक भेजे जाने की सम्भावना है ?

श्री अलगेशन : लगभग २०० अंडरफ्रेम जहाज द्वारा रवाना किए जा चुके हैं। लगभग ६० रवाना किये जाने वाले हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इनमें से कितने अंडरफ्रेम हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी को भेजे जायगे ?

श्री अलगेशन : यह मैं नहीं कह सकता ।

हैदरा बाद डाक सर्किल

*१७२. **श्री बी० वाई० रैड्डी :** (क) क्या रेल मंत्री ३ सितम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १००९ के उत्तर को निर्दिष्ट करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद सर्किल की श्रेणी को उठाने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

(ख) यदि कोई नहीं, तो निर्णय में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) यह प्रश्न अभी विचाराधीन है ! ।

(ख) अंतिम दृढ़ निश्चय के लिये, कुछ डाक व तार के सर्किलों के पुर्नसंगठन के प्रश्न के अतिरिक्त, प्रस्तावित सीमा आयोग की सिफारिशों पर भी विचार करना पड़ेगा जिनकी की प्रतीक्षा करनी होगी।

श्री नाना दास : कितने समय में निर्णय हो जायेगा ?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य कृपया प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखें।

श्री नाना दास : क्या मैं समझूं कि आन्ध्र तथा हैदराबाद दोनों के लिये केवल एक ही डाक सर्किल होगा ?

श्री राजबहादुर : यह स्वयं हैदराबाद के अंतिम भाग्य पर निर्भर है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: क्या माननीय मंत्री जी का तात्पर्य यह है कि हल हैदराबाद के विघटन पर निर्भर होगा ?

श्री राज बहादुर : हम राज्यों की सीमाओं के मामले से प्रभावित नहीं होते, किन्तु हमें यह देखना पड़ता है कि सर्किलों की सीमाओं का उचित समन्वय हो ।

रेल के नये इंजिन

*१७३. **श्री बी० वाई० रैड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १ अप्रैल, १९५३ से ३० सितम्बर, १९५३ तक के काल के आधे वर्ष में कितने नये रेल के इंजिन पटरियों पर चालू किये गये ;

(ख) इनमें से कितने इंजिन आयात किये गये और रुपयों म उनका मूल्य ;

(ग) देशी बने हुए इंजनों का मूल्य ; और

(घ) कितने पुराने पड़ गये इंजन इस दौरान में पटरियों से हटाये गये ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :

(क) ८४ इंजिन ।

(ख) ५४ इंजिन : १५० लाख रुपये।

(ग) १३५ लाख रुपये।

(घ) ७१ इंजिन।

श्री फ्रेंक एन्थानी : क्या मैं जान सकता हूं कि आयात किये गये इन इंजिनों में डब्ल्यू० पी० प्रकार के इंजिन भी हैं ?

श्री अलगेशन : जी हां।

श्री फ्रक एन्थनी : क्या यह सच है कि इन डब्ल्यू० पी० इंजिनों में से बहुत से कुछ वर्षों के अंदर ही टूट-फूट गए तथा उन्हें हटा देना पड़ा ?

श्री अलगेशन : यह प्रश्न पहले भी सदन में उठाया गया था। यह सच है कि कुछ डब्ल्यू० पी० तथा डब्ल्यू० जी० प्रकार के इंजिनों के सिलिंडर्स टूट गए थे किन्तु उन्हें ठीक कर दिया गया।

श्री जेठा लाल जोशी : क्या सरकार ने कुछ विदेशी फर्मों को १०० करोड़ रुपये के मूल्य के ७५० इंजिनों का आर्डर दिया है ?

श्री अलगेशन : ७५० नहीं, कम। मैं ठीक ठीक संख्या तत्काल नहीं बतला सकता।

श्री टी० एस० ए० चैट्टियार : क्या मैं जान सकता हूं कि देश में निर्मित कितने इंजिन छोटी लाइन के थे और कितने बड़ी लाइन के ?

श्री अलगेशन : सोलह बड़ी लाइन और चौदह छोटी लाइन के।

श्री टी० एस० ए० चैटियार : उनकी उत्पादन-क्षमता कितनी है ?

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

श्री नाना दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इन पुराने पड़ गये इंजिनों को माल-गाड़ियों में प्रयुक्त किया जाता है या मुसाफिर गाड़ियों में ?

श्री अलगेशन : शायद दोनों में। मुझे ठीक तरह नहीं मालूम।

गोबर की गैस

*१७४. **श्री बी० के० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) घरेलू तथा औद्योगिक उपयोग के लिये गोबर की गैस के उत्पादन की रीति निकालने के निमित्त जो प्रयोग किये गये थे क्या वह सफल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस रीति को व्यापक रूप से चालू करने में क्या कठिनाइयां आती हैं ; तथा

(ग) क्या कोई सरकारी अथवा गैर-सरकारी अभिकरण इस उद्देश्य से काम कर रहा है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) :

(क) गोबर से गैस निकालने के प्रयोग जारी हैं और यह प्रयोग प्रयोगशालाओं में उपयोग किये जाने के लिये गैस निकालने में सफल रहे हैं। जो जांच इस समय की जा रही है, आशा है उससे घरेलू तथा अन्य प्रयोजनों के लिये संयंत्र का आर्थिक रूप से उचित आकार निर्धारित करने में सहायता मिलेगी।

(ख) इनका निर्धारण तभी हो सकता है जब कि यह जांच समाप्त हो जाये।

(ग) जी हां। यह अभिकरण इस काम को चला रहे हैं :

सरकारी :

(१) भारतीय कृषि सम्बन्धी गवषणा संस्था, नई दिल्ली।

(२) स्थानीय स्व-शासन विभाग, उत्तर प्रदेश।

(३) पश्चिमी बंगाल सरकार का हरीयटा फार्म।

गैर सरकारी :

(१) श्री जाशभाई पटेल, बम्बई ।

(२) पूना से आगे स्थित बालचन्द नगर इंडस्ट्रीज ।

(३) विशाल बम्बई म्यूनिसिप्रल कारपोरेशन ।

(४) खादी प्रतिष्ठान, सोदेसुर, जिला २४ परगना, पश्चिमी बंगाल ।

श्री बी० के० दास : पूसा संस्था में कितने समय से प्रयोग किये जा रहे हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमने कृषि सम्बन्धी गवेषणा संस्था, पूसा, में पहले संयंत्र का प्रयोग किया है । हम सफल रहे है । संयंत्र को नित्यक्रम के आधार पर चलाया जा रहा है और यह प्रति पौंड गोबर से १.२३ घन फुट जलने के काम आने वाली गैस बनाता है ।

श्री बी० के० दास : मैं जान सकता हूं कि इस पर कितनी लागत लगती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इसका अभी प्रयोग ही किया जा रहा है और हमें लागत का कोई अनुमान नहीं ।

श्री बी० के० दास : क्या सरकार उन गैरसरकारी संगठनों को भी कोई सहायता देती है जो ऐसे प्रयोग चलाते हों ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : अभी नहीं । हम इस प्रश्न पर विचार करना चाहते हैं और हम समझते हैं कि इस से पूर्व कि हम जनता को इसका प्रयोग करने को कहें और अनुसंधान करना आवश्यक है ।

श्री ए० एम० टामस : इस बात के दृष्टिगोचर कि गोबर भारतीय कृषि के लिये एक सस्ती खाद है और विशेषज्ञों ने देहातों में इस से कोयले का काम लेने के रिवाज़ की कड़ी आलोचना की है, क्या सरकार को गैस के प्रयोजनों के लिये गोबर का उपयोग करने में प्रोत्साहन देने का पक्का विचार है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : ऐसा करने का एक कारण तो यही है कि उत्तर भारत में गोबर जैसी उपयोगी खाद को जलाने के काम में लाया जाता है । हम इस गोबर की बचत करना चाहते हैं और इसीलिये इन बातों पर विचार कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

श्री ए० एम० टामस : श्रीमान्, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री मेरा प्रश्न नहीं समझ सके हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

टेकनिकल विशेषज्ञ समिति

***१७६. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या डाक तथा तार वर्कशापों के औद्योगिक कर्मचारियों के वर्गीकरण का परीक्षण करने के निमित्त अनियमों को दूर करने सम्बन्धी एक टेकनिकल विशेषज्ञ समिति आयोजित की गई है ?

(ख) इस समिति को किन विषयों की जांच करनी है और कब तक सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) समिति इन बातों की जांच करेगी ।

(१) समूहों तथा व्यक्तियों के वर्गीकरण के विषय में विद्यमान अनियमों का परीक्षण तथा इन को दूर करने के सुझाव ;

(२) इस बात का परीक्षण कि आया कुछ और श्रमिक वर्गों को भी वह विशेष भत्ता तो नहीं दिया जाना चाहिये जो वर्क-

शापों के टारिंग तथा गालवनाइजिंग का काम करने वाले कई श्रमिक वर्गों को दिया जाता है। आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट फरवरी, १९५४ के आरम्भ में सरकार को प्रस्तुत करेगी।

राकबर्स्ट जांच समिति की रिपोर्ट

*१८०. **श्री तिम्मय्या :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कोलार की सोने की खान के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा १९५२ में नियुक्त की गई राकबर्स्ट जांच समिति की सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह सच है कि समिति के एक सदस्य ने यह सिफारिश की थी कि भारतीय खान अधिनियम के अनुकूल एक खनि-बोर्ड स्थापित किया जाये ; तथा

(ग) अधिनियम की इस धारा को इन खानों में क्यों कार्यान्वित नहीं किया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आविद अली) : (क) जांच न्यायालय की सिफारिशें सुझावों के रूप में थीं और इन को कार्यान्वित करना खान के प्रबन्धकर्त्ताओं का काम था।

(ख) जांच करने वालों में से एक ने जांच न्यायालय को एक पृथक टिप्पणी में यह राय प्रकट की थी कि खनि-बोर्ड स्थापित करने से सुरक्षा सम्बन्धी उपायों की पड़ताल करने तथा अन्य मामलों में सहायता मिल सकती है।

(ग) इस धारा की कार्यान्विति इस विषय सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाने पर निर्भर है।

श्री तिम्मय्या : क्या सरकार प्रतिकर की दर बढ़ाने के उद्देश्य से श्रमिक प्रतिकर अधिनियम का संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री आविद अली : यह श्रमिक प्रतिकर अधिनियम का संशोधन करने का एक सुझाव है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि सिफारिशों को कार्यान्वित करने के पश्चात् प्राणहानि की घटनाओं में कोई कमी हुई है ?

श्री आबिद अली : यदि सदस्य सिफारिशों की कार्यान्वित के पश्चात् हुई प्राणहानि की घटनाओं के आंकड़े चाहते हैं तो मैं सूचना दिये जाने पर वह प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं जान सकता हूं कि क्या कनाडा के विशेषज्ञों ने, जिन को इस बात की जांच करनी थी, अपनी जांच समाप्त कर ली है ?

श्री आबिद अली : मुझे मालूम नहीं कि किन कनाडा के विशेषज्ञों को ऐसी जांच करनी थी।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान बजट में एक कनाडा के विशेषज्ञ की नियुक्ति के विषय में रखे गये उपबन्ध की ओर दिला सकता हूं....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में ऐसा करने का उचित समय नहीं है।

जड़ी बूटी

*१८१. **श्री जेठा लाल जोशी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय जड़ी बूटियों के संचय प्रमापीकरण, संग्रह तथा वितरण के बारे में कोई प्रयत्न किया है ;

(ख) क्या इन जड़ी बूटियों की ठीक प्रकार से जांच करने, अन्वेषण करने तथा उनके विषय में शिक्षा देने के लिये क्या कोई प्रबन्ध किया गया है ; और

(ग) जनकल्याण के लिये सरकार इन जड़ी बूटियों को कैसे समुपयोग करेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) से (ग)। सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३**]

श्री जेठा लाल जोशी : इस के विषय में कई जगह अनुसंधान किये गये हैं। उनके फलस्वरूप क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिससे कि जनता को इन जड़ी बूटियों से बनाई गई सस्ती, ताजी और प्रभावकारी औषधियां मिल सकें ?

राजकुमारी अमत कौर : अनुसंधान पूरा होने पर हमारा विचार ऐसी योजना बनाने का है जिससे कि हम अपने देश में सस्ती और प्रभावकारी दवाएं उत्पन्न कर सकें :

श्री जेठा लाल जोशी : केन्द्रीय औषध इंस्टीटयूट में किन खास खास चीजों पर अनुसंधान किया जा रहा है ?

राजकुमारी अमृत कौर : यदि माननीय सदस्य विवरण को पढ़ें तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि लखनऊ की संस्था में क्या हो रहा है।

श्री जेठा लाल जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार देशी औषधियों के प्रमापीकरण को अनिवार्य बना देगी ?

राजकुमारी अमृत कौर : जब हमें पर्याप्त सूचना मिल जायेगी तब हम वैसा करेंगे, उसके पहले नहीं।

श्री एन० एम० लिंगम: श्रीमान्, एक प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न।

नौकरी दफ्तर

***१८३. श्री भागवत झा** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अगस्त १९५३ से अक्तूबर १९५३ में नौकरी दफ्तरों में पहिले की अपेक्षा अधिक लोगों ने अपने नाम दर्ज कराये ?

(ख) अक्तूबर १९५३ तक बेकार लोगों की संख्या कितनी है ?

(ग) क्या यह सच है कि नाम दर्ज कराने वाले लोगों में अर्धप्रवीण टैक्नीशियनों की संख्या अधिक है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) अक्टूबर के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। हां, १९५३ में जुलाई से सितम्बर तक की अवधि में नाम दर्ज कराने वाले लोगों की संख्या पहिले तीन महीनों की अपेक्षा बढ़ गई है।

(ख) सितम्बर में नौकरी दफ्तरों से नौकरी प्राप्त करने में सहायता करने के लिये ५,१२,३५३ लोगों ने प्रार्थना की थी।

(ग) नहीं।

श्री भागवत झा : क्या मैं जान सकता हूं कि नाम दर्ज कराने की सुविधा का गावों में भी प्रबन्ध करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री आबिद अली : अभी विचार नहीं है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह सच है कि एक स्थान पर नाम दर्ज कराना दूसरे क्षेत्र में नौकरी के लिये पर्याप्त नहीं होता ?

श्री आबिद अली : नाम दर्ज कराने के लिये क्षेत्र निश्चित कर दिये गये हैं। यदि किसी श्रेणी के लोगों की किसी क्षेत्र में कमी होती है तो नौकरी दफ्तर दूसरे क्षेत्र से व्यक्ति ले लेते हैं।

श्री भागवत झा : नौकरी दफ्तर ने कितने प्रतिशत बेकार लोगों को नौकरी दिलाने में सहायता की है ?

श्री आबिद अली : मैं केवल उन लोगों की संख्या बता सकता हूं जिन्होंने अपने नाम दर्ज कराये हैं ।

श्री भागवत झा : मैं जानना चाहता था कि उन में से कितने प्रतिशत लोगों को नौकरी दिलाई गई है । आपने बेकार लोगों की संख्या बताई है । मैं जानना चाहता हूं कि उन में से कितने लोगों को सहायता मिली ।

श्री आबिद अली : नाम दर्ज कराने वालों में से पहले २५ से ३० प्रतिशत लोगों को नौकरी दिलाई जा सकती थी अब कम प्रतिशत लोगों को दिलाई जा सकती है ।

प्रशिक्षण केन्द्र

***१८४. श्री भागवत झा** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और किन किन केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

(ख) क्या प्रशिक्षणार्थियों में महिलायें भी हैं ?

(ग) क्या विस्थापित व्यक्तियों के लिये उम्मीदवारी प्रशिक्षण की कोई योजना है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) इस समय प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्तियों की संख्या ९,७०१ है । एक सूची जिसमें श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम दिये हुए हैं, सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४]**

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

श्री भागवत झा : मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रकार का प्रशिक्षण समाप्त कर लेने के बाद, सरकार ऐसे व्यक्तियों को नौकरी दिलाने की गारंटी देती है ?

श्री आबिद अली : जी नहीं । सरकार नौकरी के लिये गारंटी नहीं देती ।

श्री भागवत झा : मैं जान सकता हूं कि इस प्रशिक्षण का खर्च कौन उठाता है ; इसे सरकार उठाती है या प्रशिक्षणार्थी या दोनों ही ?

श्री आबिद अली : प्रशिक्षण का खर्च केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें उठाती हैं । पचास प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को प्रवीण मजदूरों की कमी का ध्यान है और क्या वह इस कमी को पूरा करने के लिये प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

श्री आबिद अली : मैं इस प्रश्न को समझ नही सका ।

श्री डी० सी० शर्मा : प्रवीण तथा टैक्निकल मजदूरों की ऐसी श्रेणियां हैं जिन की इस देश में कमी है । क्या हम इस कमी को पूरा करने की कोई व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री आबिद अली : इन केन्द्रों का उद्देश्य टैक्निशियनों को प्रशिक्षण देने का है, जिन की कमी है और जिन के लिये मांग अधिक है ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जान सकता हूं कि कितने प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कहां दिया जा रहा है ?

श्री आबिद अली : हम इन केन्द्रों में जो कि कारीगरों के प्रशिक्षण के लिये हैं, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं देते ।

श्री एन० एम० लिंगम : श्रीमान् जी, एक प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं ।

कुम्भ मेले के समय विशेष रेल गाड़ी

*१८५. **श्री रघुनाथ सिंह** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में होने वाले आगामी कुम्भ मेले के समय विभिन्न लाइनों पर कितनी विशेष रेल गाड़ियां चलाई जायेंगी ?

(ख) क्या रेल विभाग यात्रियों को कोई विशेष सुविधाएं देने पर विचार कर रहा है ?

(ग) क्या इस अवसर पर रियायती टिकट जारी किये जायेंगे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कुम्भ मेले में यात्रियों को ले जाने के लिये, जिस के लिये सब यथा सम्भव कार्य किये जा रहे हैं, हमारे पास जितने साधन होंगे उनके अनुसार अधिकतम संख्या में विशेष रेलगाड़ियां चलाई जायेंगी ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

श्री रघुनाथ सिंह : कितने यात्रियों के आने की सम्भावना है जिनके आधार पर आप ने काम किया है ?

श्री अलगेशन : बारह लाख ।

श्री रघुनाथ सिंह : शीतकाल में जो बारह लाख आदमी आयेंगे, इन की रक्षा के लिये क्या कोई इन्तजाम रेलवे की तरफ से हो रहा है ?

श्री अलगेशन : सब का इन्तजाम हम कर रहे हैं ।

रायगढ में चीनी फैक्टरी

*१८६. **श्री संकृण्णा** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रायगढ़ (उड़ीसा) की चीनी फैक्टरी की मशीनों को वहां से हटा कर राज्य के बाहर किसी स्थान पर लगाने का प्रश्न अन्तिम रूप से तय कर दिया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो वह निर्णय क्या है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) अभी नहीं ।

(ख) यह उत्पन्न नहीं होता ।

श्री संगण्णा : मैं जान सकता हूं कि किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचने में कितना समय लगेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उड़ीसा सरकार ने जो परिस्थितियां बतलाई हैं उनको ध्यान में रखते हुए यह निश्चिय किया गया है कि १९५३-५४ उत्पादन काल तक उस प्लांट को वहां से हटाने की अनुमति न दी जाये ।

श्री संगण्णा : मैं जान सकता हूं कि क्या इस बात के कारण इस स्थान में गन्ने की खेती कम क्षेत्र में की गई ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : ऐसा ही बताया जाता है। फैक्टरी के मालिकों का यह कहना है कि इस फैक्टरी को यहां से हटा कर दूसरी जगह ले जाने का एक कारण यह है कि इस फैक्टरी को यहां गन्ना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता ।

श्री संगण्णा : क्या सरकार को मालूम है कि इस के कारण, इस स्थान में आर्थिक संकट आ गया है, क्योंकि आदिम जाति के अधिकांश लोग इस में काम करते हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह अभी वहां से हटाई नहीं गई है । इस में आर्थिक संकट था, उसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री संगण्णा : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उड़ीसा सरकार से एक रिपोर्ट

मांग सकती है जिसमें उस स्थान की आर्थिक दशा की बात पूछी गई हो ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उड़ीसा सरकार ने आदिम जाति क्षेत्र में उस फैक्टरी के हटाये जाने के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट में सभी बातें विस्तारपूर्वक लिख कर भेज दी हैं उस ने अपनी रिपोर्ट में उन सभी बातों का उल्लेख किया है जिन्हें माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं।

असैनिक नभश्चरण विमान चालक

***१८८. श्री एन० एम० लिंगम :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) नये वायु निगमों तथा (२) गैर-अनुसूचित हवाई कम्पनियों में नौकरी पर लगे हुए विदेशी विमान चालकों की संख्या कितनी है ;

(ख) देश में नौकरी पर न लगे हुए असैनिक विमान चालकों की संख्या कितनी है ; तथा

(ग) क्या सरकार को हवाई कम्पनियों के चालकगणों के भारतीयकरण करने की कोई योजना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) (१) एयर इंडिया इंटरनेशनल २, इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन ७, (२) गैर-अनुसूचित हवाईकम्पनियां ४,

(ख) इस समय ७७ ऐसे विमान चालक हैं जिनके पास वर्तमान "बी" लाइसेंस हैं और जो कि कहीं नौकरी पर नहीं लगे हैं। इन में से २५ ऐसे हैं जिन के पास डकोटा की किस्म के वायुयान चलाने के लाइसेंस हैं।

(ग) इन हवाई कम्पनियों के चालकगणों के भारतीयकरण करनें की कोई विशिष्ट योजना तय्यार नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में साधारण नीति यह है कि भारतीय कर्मचारियों को जैसे जैसे अनुभव होता जायेगा तब उन्हें गैरभारतीय कर्मचारियों के स्थान पर धीरे धीरे नियुक्त किया जाये।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जान सकता हूं कि जब ७७ भारतीय विमान चालक प्रशिक्षित हैं तो विदेशी विमान चालकों को नौकरी में रखने के क्या कारण हैं ?

श्री राजबहादुर : मैं यह बता दूं कि वे बहुत अधिक अनुभवी विमान चालक हैं और एयर इंडिया इंटरनेशनल, इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन तथा गैरअनुसूचित हवाई कम्पनियों को मिलाकर, कुल ३२२ विमान चालकों में उनकी संख्या १३ है।

श्री एन० एम० लिंगम : सरकार का कितना शीघ्र विमान चालकों का पूर्ण भारतीयकरण करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : हम भारतीयकरण तो करना चाहते हैं किन्तु हम अपनी कार्य कुशलता को नुकसान पहुंचा कर भारतीयकरण नहीं करेंगे।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या हमारे अपने विमान चालकों की कार्यकुशलता बढ़ाई नहीं जा सकती ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री जवाहर लाल नेहरू : ये उच्च प्रकार की टैक्निकल कार्यकुशलता के मामले हैं। विमान चालकों को आप यों ही तय्यार नहीं कर सकते। आपको उन्हें प्रशिक्षण देना पड़ेगा।

अनाज गोदाम

***१८९. श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी अनाज गोदामों में कुल कितना अनाज रखा जा सकता है ?

(ख) वर्ष १९५२-५३ में गोदामों के किराये पर लेने में कुल कितना किराया दिया गया था और उन में कुल कितना अनाज रखा जा सकता था ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री कृष्णप्पा): (क) केन्द्रीय सरकार के गोदामों में इस समय कुल २,०२,८०० टन अनाज रखा जा सकता है।

(ख) (१) १९५२-५३ में केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों, पत्तन प्रन्यासों, राज्य सरकारों तथा प्राइवेट पार्टियों से गोदाम किराये पर लिये थे। पत्तन प्रन्यासों और प्राइवेट पार्टियों को क्रमशः १,८८,३६४ रुपये तथा ७,५२,९८० रुपये कुल किराया दिया था। रक्षा मंत्रालय से ६ प्रतिशत पूंजी मूल्य के आधार पर अस्थायी रूप से ली गई इमारतों के देय किराये का अनुमान ८,२२,७७१ रुपये है। राज्य सरकारों को देय किराये के ब्यौरे अभी तैयार नहीं हुए हैं। अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को भुगतान लेखे के समन्वय से किया जायगा। पत्तन प्रन्यासों तथा अन्य प्राइवेट पर्टियों से किराये पर लिये गये गोदामों के किराये के रूप में कुल ९,४१,३४४ रुपया दिया गया था।

(२) १९५२-५३ में किराये पर लिये गये गोदामों में कुल ७,९९,८०० टन अनाज रखा जा सकता था।

श्री के० सी० सोधिया: क्या इन सभी गोदामों में अब भी अनाज भरा हुआ है या ये खाली पड़े हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: कुछ गोदाम तो अत्यधिक भरे हुए हैं ; कुछ आधे भरे हुए हैं।

श्री के० सी० सोधिया: मैं जान सकता हूं कि जब अनाज का विदेशों से मंगाना पूर्ण रूप से बन्द कर दिया जायगा तब इन गोदामों से क्या काम लिया जायेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: इस समय हमारे पास ६ लाख टन गेहूं तथा अन्य अनाज पहिले के बचे हुए हैं।

श्री के० सी० सोधिया: जब अनाज का विदेशों से मंगाना पूरी तरह से बन्द कर दिया जायगा तब इन गोदामों से क्या काम लिया जायगा ?

श्री किदवई: इस प्रश्न का अनाज के आयात से सम्बन्ध नहीं है, किन्तु जब हम अनाज विदेशों से नहीं मंगायेंगे, तो स्थानीय अनाज को इन गोदामों में रखा जायगा, और इन से और काम भी लिया जायगा।

श्री एन० एम० लिंगम: मैं जान सकता हूं कि सरकार के गोदाम कितने हैं, उन का खर्चा कितना है, और नियंत्रण हट जान पर सरकार का उन से क्या काम लेने का विचार है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: इन गोदामों की संख्या आठ है और उनमें २,०२,००० टन अनाज रखा जा सकता है। क्योंकि ये गोदाम बहुत अच्छी तरह से बनाये गये हैं अतः हम इनसे काम लेंगे और यदि खाद्य मंत्रालय समाप्त भी हो जायेगा तो भी इन गोदामों से वेयरहाउस (भाण्डागार) प्रणाली के रूप में काम लिया जायगा। किसी भी प्रगतिशील देश के लिये वेयरहाउस प्रणाली बहुत आवश्यक है और हम इन गोदामों से वही काम लेंगे।

श्री के० सी० सोधिया: क्या सरकार की यह नीति है कि अनाजों के न्यूनतम मूल्य रखे जायें ?

श्री किदवई: मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का न्यूनतम या अधिकतम मूल्य से कोई सम्बन्ध नहीं है।

चीनी के कारखानों का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

*१९१. **डा० अमीन :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री उन चीनी के कारखानों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिन्हें सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अपने हाथ में ले लिया है ?

(ख) जब से सरकार ने उन कारखानों का नियंत्रण अपने हाथ में लिया है तब से क्या सुधार हुआ है ?

(ग) क्या यह कारखाने अब भी घाटे पर चल रहे हैं या लाभ पर ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) से (ग) तक अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५]**

पंडित सी० एन० मालवीय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गत वर्ष भोपाल शुगर फैक्टरी बन्द पड़ी रही तथा इस वर्ष भी उसका प्रबन्ध सन्तोषजनक नहीं है, क्या सरकार का विचार इस अधिनियम के अन्तर्गत उसे अपने हाथ में लेने का है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : सरकार द्वारा उसे अपने हाथ में लेने का कोई प्रश्न नहीं है । यदि सरकार चीनी उद्योग को अपने हाथ में लेले तो सम्भव है अच्छी मशीनें, अच्छे उपकरण प्राप्त हो सकें तथा उत्पादन में भी वृद्धि हो ।

पंडित सी० एन० मालवीय : क्या यह सत्य है कि मशीनें ठीक प्रकार की नही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हमें विस्तार की बातों में नहीं जाना चाहिये ।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में छुई खदान तथा कठकुइयां कारखानों को अपने हाथ में ले लिया है ?

श्री किदवई : सरकार ने कठकुइयां कारखाने को अपने हाथ में ले लिया है ।

श्री सारंगधर दास : और दूसरी ?

श्री किदवई : दूसरे को हाथ में नहीं लिया गया है क्योंकि उस के प्रबन्ध के लिये उच्च न्यायालय ने एक प्रतिग्रहक नियुक्त कर दिया है और हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं ।

श्री नानादास : क्या मैं प्रश्न संख्या १७९ पूछ सकता हूं ? इसी प्रश्न की मैंने भी सूचना दी थी किन्तु उसे इसलिये स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि इस प्रश्न को स्वीकार कर लिया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य ने भी इसी प्रश्न की सूचना दी थी ?

श्री नानादास : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्ही के कहने को मान लेता हूं । मुझे आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है । वह प्रश्न पूछ सकते हैं ।

आन्ध्र जिलों में महाखण्ड प्रणाली

*१७९. **(श्री बुच्चि कोटैय्या की ओर से) श्री नानादास : खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने मद्रास सरकार को यह सूचित कर दिया है कि आन्ध्र जिलों में पुरानी महाखण्ड प्रणाली ही चालू रखी जानी चाहिये तथा जैसा कि अब तक होता आया है आन्ध्र द्वारा मद्रास को चावल दिया जाना चाहिये ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : जी हां, श्रीमान् । यह निश्चय किया गया था कि आन्ध्र के बन जाने पर भी उस समय तक आन्ध्र और मद्रास राज्यों के वर्त्तमान खाद्य महाखण्डों में हस्तक्षेप

न किया जाये जब तक कि नई आन्ध्र सरकार को अपनी खाद्य नीति की परीक्षा करने तथा उसको फिर से बनाने का समय नहीं मिल जाता है।

श्री नानादास : क्या सरकार को आन्ध्र सरकार से इस प्रकार का कोई पत्र प्राप्त हुआ है कि वह इस महाखण्ड प्रणाली को समाप्त कर देना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जी हां।

श्री नानादास : सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

श्री किदवई : मुख्य मंत्री ने अपने एक पत्र में मुझ से कहा था कि मैं सरकार से परामर्श करके किसी निश्चय पर पहुंचूं। बात-चीत अभी आरम्भ नहीं हुई है।

श्री बी० एस० मूर्ति : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फसल को काटने का समय आ गया है, इन महाखण्डों को समाप्त करने के सम्बन्ध में, जिन्हें आन्ध्र राज्य सरकार नहीं चाहती है, सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री किदवई : आन्ध्र सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत होगी।

श्री मुनिस्वामी : चालू प्रणाली के अनुसार आन्ध्र द्वारा मद्रास राज्य को कितनी मात्रा में चावल देना होगा ?

श्री किदवई : आन्ध्र राज्य ने बतलाया है कि वह मद्रास राज्य को ३ लाख टन चावल दे सकेगा।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सरकार यह बतलाने की स्थिति में है कि वर्तमान महाखण्ड प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा, जिससे इस सम्बन्ध में मद्रास सरकार का सन्देह दूर हो जाये ?

श्री किदवई : मैंने मद्रास सरकार को किसी प्रकार की आशंका करते नहीं सुना, परन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूं हम दोनों सरकारों से बात-चीत करने के पश्चात् ही इस बात का निर्णय करेंगे कि दोनों राज्यों के हितों के लिये सबसे उत्तम तरीका क्या है।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या सरकार को न्यायाधीश वांचू की इस सिफारिश का पता है कि आन्ध्र सरकार की सहायता के लिये आठ आने प्रतिमन का निर्यात शुल्क लगाया जा सकता है जिससे सरकार की वर्तमान कमी पूरी हो सके ?

श्री किदवई : जी हां। मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा है, किन्तु हमारी यह नीति नहीं हैं कि हम राज्यों को अन्य राज्यों से व्यापार करने पर निर्यात शुल्क लगाने दें, विशेषकर, जब कि अन्य राज्य आन्ध्र में होने वाले उत्पादन का पूरा लाभ उठा रहा हो।

डा० रामा राव : क्या सरकार को यह मालूम है कि इस व्यापार के कारण गत वर्ष चावल के दाम बहुत बढ़ गये थे तथा क्या यह भी मालूम है कि आन्ध्र सरकार सरकारी स्तर पर चावल देने के लिये तैयार है ?

श्री किदवई : मुझे मालूम है कि आन्ध्र सरकार सरकारी स्तर पर चावल देने के लिये तैयार है, किन्तु साथ ही वह यह भी सोचती है कि वह एक रुपया प्रति मन के हिसाब से विशेष-कर भी लगा सकती है। परन्तु इस प्रकार का विशेष-कर लगाया जाना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है।

डा० रामा राव : उठे।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार अब और आगे प्रश्न पूछने की अनुमति देने का नहीं है। अतः अब प्रश्न सूची समाप्त होती है।

स्थगन प्रस्ताव

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी में मारे गये पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्ति

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न को लेने से पूर्व मेरे विचार में मुझे स्थगन प्रस्ताव लेना चाहिये जिसकी कि मुझे सूचना दी जा चुकी है ।

इस अवसर पर मैं साधारण प्रथा का केवल इसलिये अनुसरण नहीं कर रहा हूं क्यों कि अल्प सूचना प्रश्न का सम्बन्ध इस स्थगन प्रस्ताव से भी है, और मैं विशेषतः इसलिये भी कर रहा हूं क्यों कि मैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी अनुमति देने नहीं जा रहा हूं ।

प्रस्ताव यह है कि :

"आचिंग मोरी, अभोर पहाड़ियां हत्याकाण्ड से बचे हुए अधिकांश व्यक्तियों, भारतीय पदाधिकारियों सहित, जिनकी संख्या ज्ञात नहीं है और जिन्हें अब उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेन्सी के आदिम जाति के क्षेत्र के भिन्न भिन्न भागों में तागिन और दफला आदिम जातियों के लोगों ने अपने पास बन्धक के रूप में रख छोड़ा है और यह धमकी दी है कि यदि दांडिक सेना को आगे बढ़ाया गया तो वे इन बन्धकों को मार डालेंगे, की जानों को सन्निकट खतरा होने से तथा उक्त आदिम-जातियों की धमकी को ध्यान में रखते हुए दांडिक कार्यवाहियों को १७ नवम्बर से २३ नवम्बर, १९५३ तक स्थगित करने से तथा प्रशासन यूनिट द्वारा किये गये हवाई परिमाप जिससे कि आदिमजाति स्त्रियों तथा बच्चों को भीतरी भाग में हटाने तथा आदिम-जातियों के स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा अभियनार्थ सेना का सामना करने के लिये तैयार होने का पता लगा है, से जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है ।"

पहले तो अभी यह परिस्थिति स्थिर नहीं है । निस्सन्देह, मैंने अभी माननीय सदन के नेता का वक्तव्य नहीं देखा है, परन्तु उन से एक वक्तव्य देने के लिये कहा गया है तथा मैं आशा करता हूं कि वह पूरा पूरा वक्तव्य देंगे । यदि माननीय सदस्य कोई सूचना ज्ञात ही करना चाहते हैं तो पहले यह विषय अल्प सूचना प्रश्न पूछे जाने के लिये उपयुक्त है, न कि बिना उपलब्ध सूचना के चर्चा करने के लिये । मेरे विचार में यह विषय इतना नाजुक है कि इस पर इसी समय चर्चा नहीं की जा सकती है तथा मुझे सन्देह कि तथ्यों के उपलब्ध न होते हुए कोई चर्चा हो भी सकती है या नहीं । अतएव, मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

अब मैं श्री सर्मा से अपना अल्प सूचना प्रश्न पूछने के लिये कहूंगा जिसमें इस विषय पर वक्तव्य दिये जाने की मांग की गई है ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी में मारे गये पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्ति अल्पसूचना प्रश्न संख्या १--

श्री सर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी में आदिम जाति के व्यक्तियों द्वारा सरकारी पदाधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के हाल ही में मार डाले जाने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने की कृपा करेंगे ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : इसके पहले कि मैं वक्तव्य पढ़ना शुरू करूं, श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा कर न देखा जाये, यद्यपि यह एक गम्भीर और दुखद घटना थी,-- तथा हमें यह भी न सोच लेना चाहिये कि किसी स्थान पर बहुत अधिक गड़बड़ी फैल

गई है। अभी जब मैं वक्तव्य पढ़ूंगा तो आप के सामने तथ्य रखूंगा। जब लोगों को बन्धक रखा जाता है तो हमेशा ही यह खतरा बना रहता है कि शायद उन्हें मार डाला जाये, किन्तु यह तो जाहिर ही है कि हम ऐसी धमकी के कारण कार्यवाही करना बन्द नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस से तो हालत और भी खराब हो जायेगी। स्थगन प्रस्ताव में कही गई यह बात ठीक नहीं है कि किसी धमकी के कारण हम ने अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी थी। स्थगन प्रस्ताव में लगाये गये आरोप पूरी परह से ठीक नहीं हैं तथा माननीय सदस्यों को समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाली रिपोर्टों को अपना आधार नहीं बना लेना चाहिये क्यों कि वे बिल्कुल ही ठीक नहीं होतीं।

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी के सुवांसिरी ज़िले में सुवांसिरी नदी के निकट यह दुखान्त घटना घटित हुई थी। घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि २० अक्तूबर, १९५३ को तीसरे पहर उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी अधिकारियों, आसाम राईफ़ल्स के सैनिकों, गांवों के कुछ मुखियों का एक दल जिन के साथ कुछ क़ुली भी थे अचिंगमोरी पहुंचे। इस दलों में मेजर आर० डी० सिंह तथा आसाम राईफ़ल्स के २२ अन्य सैनिक, एक एरिया सुपरिनटेण्डेन्ट, दो जमादार, दो दुभाषिये, १७ गांवों के मुखिया तथा १०० कुली थे। इस दल का उद्देश्य था इस क्षेत्र के कुछ आदिम जातीय झगड़ों की जांच करना तथा इन आदिम जातीय व्यक्तियों में, औषधियां, नमक तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों का वितरण करना। इस दल ने देखा कि लगभग सौ गज़ लम्बे तथा एक सौ पचास गज चौड़े क्षेत्र की सफ़ाई की गई है तथा कैम्प के वास्ते अस्थायी फूस के झोंपड़े जिन्हें 'बाशा' कहते हैं इन आदिम जातीय व्यक्तियों द्वारा बनाये गये हैं। यह स्थान घने तथा अछते जंगलों से घिरा हुआ है पेट्रोल कमाण्डर मेजर आर० डी० सिंह ने समझा कि यह स्थानीय आदिम जातीय व्यक्तियों की मित्रता का प्रतीक है तथा उन्होंने विचार किया कि साधारण बचाव के प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एरिया सुपरिनटेण्डेन्ट ने दवाओं के बक्स खोलना तथा दवायें बांटना आरंभ कर दिया जब कि एक जमादार आदिम जातीय व्यक्तियों में बांटने के लिये नमक के बोरे एकत्रित करने लगा। उसी समय दस डाफ़ला---उस विशेष आदिम जाति का यही नाम है ---कैम्प में नमक लेने के लिये आये तथा सनतरी से अन्दर प्रवेश करने की आज्ञा मांगी। सन्तरी ने मेजर सिंह से पूछा जिन्होंने बचाव के आवश्यक प्रबन्ध किये बिना, तथा उन के शस्त्र रखवाये बिना उन को अन्दर जाने की आज्ञा दे दी। उन के पास ढाल या तलवारें थी तथा जैसे ही वे कैम्प में घुसे उन्होंन सन्तरी को मार डाला। लगभग चार पांच सौ डाफ़ला, ढाल, भाले तथा तीर कमानों से सुसज्जित कैम्प के चारों ओर जंगल में छिपे हुए इसी की राह देख रहे थे। वे सब कैम्प में घुस आये तथा उन्होंने एरिया सुपरिनटेण्डेन्ट तथा दो और अफ़सरों को मार डाला। तुरन्त ही मेजर सिंह रक्षा दल एकत्रित करने के लिये झपटे परन्तु उन पर भी आक्रमण किया गया और उन्हें मार डाला गया। अभी तक प्राप्त होने वाले समाचारों के अनुसार आसाम राईफ़ल के लगभग पांच सैनिक तथा ३० आदिम जातीय व्यक्ति मरे हैं तथा मृतकों की संख्या ४० तक पहुंच गई है। कहा जाता है कि शेष साठ सत्तर आदमियों को डाफला जाति के लोगों ने बंधक के रूप में बंद कर लिया है। तब से अब तक लगभग छै व्यक्ति छोड़े गये हैं।

इस घटना की सूचना सब से पहले २५ अक्तूबर को गुस्पर चौकी के कमांडिंग अफ़सर के पास पहुंची जहां इस स्थान से चार पांच दिन की यात्रा के बाद पहुंचा जा सकता है । उन्होंने शीघ्र ही सहायता कार्य के लिये आधी प्लैटून रवाना कर दी तथा इस की सूचना शिलांग भेज दी । वे पहली मंज़िल के आगे नहीं जा सके क्यों! डाफला जाति के लोगों ने बेंत के पुलों को नष्ट कर दिया था ।

जब इस की सूचना शिलांग में प्राप्त हुई तो सुबांसिरी तथा अबोर पर्वत माला के ज़िलों की विभिन्न चौकियों की शक्ति को बढ़ाने के प्रयत्न किये गये तथा अनेक स्थानों को आसाम राइफिल्स की अतिरिक्त प्लैटून भेजी गई । लगभग हर रोज़ उस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिये भारतीय हवाई सेना के विमान उड़ाये गये ।

इस अपराध का कारण यह जान पड़ता है कि तागिन क्षेत्र के डाफ़ला जाति के लोगों तथा अबोर पर्वत के ज़िलों के अबोर जाति के लोगों में परम्परागत में शत्रुता चली आती है । पहले डाफला जाति के लोग अबोर जाति के लोगों से जबरन नज़राने वसूल किया करते थे तथा दास लिया करते थे । अबोर पर्वत के ज़िलों में प्रशासन के विस्तार के बाद यह अवैध कार्य बंद कर दिये गये । यह संभव है कि इस दल के साथ आने वाले अबोर जाति के कुलियों की बहुत बड़ी संख्या को देख कर तारिगन क्षेत्र के डाफ़ला जाति के लोग चिढ़ गये हों । हो सकता है कि यदि मेजर सिंह ने बचाव के आवश्यक प्रयत्न कर लिये होते, जो कि ऐसे अफसरों पर आम तौर से किये जाते हैं तो यह घटना न होने पाती इसी क्षेत्र में पहले भी दो दल जा चुके हैं और चूंकि बचाव के आवश्यक प्रयत्न कर लिये गये थे इस लिये घटना नहीं हुई ।

जब तक इस में शांति नहीं स्थापित हो जाती तथा अपराधी दण्डित नहीं हो जाते हैं न कि इस घटना के ठीक ठीक विवरणों का पता चल सकता है और न इस घटना का वास्तविक कारण ही मालूम हो सकता है । इस बात पर ध्यान देते हुए कि यह स्थान बहुत ही बीहड़ है तथा रास्तों का अभाव है इसमें निश्चय ही कुछ समय लगेगा । इन सीधे साधे, घमण्डी तथा शक्तिशाली लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करना हमारे लिये आसान बात थी । हम उन के गांवों पर बम बरसा कर बहुत से लोगों को मार सकते थे । इस के लिये कोई बहुत बड़ी योग्यता की आवश्यकता नहीं थी, परन्तु हम इस घटना का उपाय साधारण रूप से कर रहे हैं जैसे किसी डकैती या दंगे का बन्दोबस्त किया जाता है, अन्तर केवल इतना है कि यह घटना किंचित असाधारण परिस्थितियों में घटित हुई है । हमारी सरकार की नीति आंतक पैदा करना तथा बिना देखे सुने लोगों को मार डालना तथा नष्ट करना नहीं है । हम निश्चिय ही इस क्षेत्र में शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित करेंगे, असली अपराधियों तथा उनके चौधरियों को डण्ड देंगे परन्तु हम उन लोगों को दण्ड नहीं देना चाहते हैं जो निरपराध तथा गुमराह हैं । हमें विश्वास है कि इन लोगों के प्रति दृढ़ स्पष्ट तथा हमदर्दी की नीति अपना कर हम इन साधारण व्यक्तियों की मित्रता तथा उनका आदर प्राप्त कर सकते हैं । इसलिये हमने इन्हें सावधान कर दिया है कि यदि वे, एक निश्चित तारीख तक, बंधक के रूप में पकड़े जाने वाले व्यक्तियों, तथा छीने जाने वाले शस्त्र तथा गोला बारूद वापिस नहीं कर देंगे तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । अभी विवरण नहीं प्राप्त हुए हैं परन्तु सूचना मिली है कि अपनी

तागिन क्षेत्र में निवास करने वाले डाफ़ला जाति के मुखियों ने आंचिंग मोरी के उत्तर की हमारी चौकियों में सेवा तथा सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव रक्खा है। हम आशा करते हैं कि इस महीने के अंतिम सप्ताह में हमारी स्थलीय सेनायें आपादग्रस्त क्षेत्र में प्रवेश करेंगी और जब इस क्षेत्र में शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित कर लेंगी तो हम और अधिक विवरण बता सकेंगे।

क्या मैं आप को यह भी बता सकता हूं कि यह पूर्ण रूप से अप्रशासित क्षेत्र हैं? पहले यहां पर —— यहां ही नहीं वरन् आस पास के ज़िलों में भी——किसी प्रकार का प्रशासन नहीं था। हमारा प्रशासन धीरे धीरे समीपवर्ती ज़िलों में पहुंचा है। हालांकि वे भी ऐसे हैं कि जहां पहुंचना बहुत कठिन है तथा वहां पहुंचने में कई सप्ताह लग जाते हैं। एक दो स्थानों में विमान उतरने के स्थान बनाये गये हैं तथा वहां कुछ व्यक्ति विमान द्वारा शीघ्र पहुंच सकते हैं परन्तु साधारण रूप से अब भी लोगों के बड़े बड़े रास्ते पैदल ही तय करने पड़ते हैं। उस दूरस्थ क्षेत्र में जो जंगलों से घिरा हुआ है, अभी तक लोगों को प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है और इस में आश्चर्य की बात नहीं है कि उनका व्यवहार ऐसा होता है जो न तो आसानी से समझ में आ सकता है और न किसी प्रकार तर्क संगत है। हमारा विचार है कि जैसे ही उन लोगों का बन्दोबस्त ठीक हो जाता है और हम यहां पर कुछ साधारण सा प्रशासन जमा कर लेते हैं इन क्षेत्रों में भी कुछ डाक्टर तथा कृषि सम्बन्धी परामर्शदाता इत्यादि भेजेंगे।

श्री एच० एन० मुकर्जी : उठ कर खड़े हो गये——

अध्यक्ष महोदय : मेरा अनुमान है कि हमारी प्रथा यही रही है कि बयानों के बाद कोई अनुपूरक प्रश्न करने की आज्ञा नहीं दी जाती है। यदि माननीय सदस्यों ने माननीय प्रधान मंत्री का ब्यान समझ लिया हो तो .....

श्री एच० एन० मुकर्जी : शायद इस प्रश्न से ऐसा उत्तर मिल जाये जो इस परिस्थिति के समझने में सहायक हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि वह प्रश्न इस सम्बन्ध में होगा कि सरकार की इसके आगे की नीति क्या है तथा उसका इरादा क्या है न कि तथ्यों के सम्बन्ध में क्योंकि प्रधान मंत्री को स्वयं सारे तथ्य मालूम नहीं हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि मुझे तथ्यों के सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त कुछ मालूम है तो मैं उसे बताने को तय्यार हूं।

श्री आर० के० चौधरी : क्या मैं यह बता सकता हूं कि जब इस विषय पर मैंने अल्पसूचक प्रश्न दिया था तो मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं ब्यान नहीं चाहता हूं क्योंकि इस के कारण हम अनुपूरक प्रश्न करने से वंचित रह जाते हैं? कुछ प्रश्न जो मैंने किये थे उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और न उनका उत्तर ही दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में व्यवहार की जाने वाली प्रक्रिया यह है कि उसी विषय के तमाम प्रश्न, वे जिन की आज्ञा दे दी गई है तथा वे जिनकी आज्ञा नहीं दी गई है, माननीय मंत्री के पास उस समय भेज दिये जाते हैं जब वह इस विषय पर विचार करते हैं। मेरे पास उन सारे प्रश्नों की सूची है और मेरा विचार है कि . .

श्री श्री आर० के० चौधरी : क्या मैं यह बता सकता हूं कि श्री सर्मा बयान चाहते थे मैं नहीं चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं है कि माननीय सदस्य बयान चाहते थे कि नहीं । मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूं कि जो भी सूचना वे चाहते थे और माननीय प्रधान मंत्री के पास थी, मेरा अनुमान है कि, इस बयान में आ गई हैं जो उन्होंने दिया है ।

श्री अलगू राय शास्त्री : हां, श्रीमान् ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस बात पर ध्यान देते हुए कि परिस्थिति में असाधारण उलझाव हैं मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री उन उपायों की ओर कुछ स्पष्ट संकेत करें जिन पर. आर्थिक संकट में सहायता देने के लिये तथा इन क्षेत्रों के प्रथक् करण तथा अर्ध-सैनिक प्रशासन की विधियों को बदलने के सम्बन्ध में, विचार किया जा रहा है । मेरी इच्छा यही है कि प्रधान मंत्री, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को भविष्य में रोकने के लिये उन ठोस उपायों की ओर कुछ संकेत करें—चाहे वे दीर्घ कालीन ही क्यों न हों—जिन पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जितनी सूचना मेरे पास है मैं प्रसन्नता पूर्वक बताने के लिये तैयार हूं । उस ओर के माननीय सदस्य दीर्घकालीन उपायों की ओर संकेत कर रहे हैं । दीर्घकालीन उपाय हम उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी के अन्य ज़िलों के सम्बन्ध में कर रहे हैं । सब से प्रथम आवश्यकता सड़कों की तथा संचरण की है, अन्यथा न कोई पहुंच सकता है और न कुछ कर सकता है । दूसरा काम हम यह कर रहे हैं कि चिकित्सा सम्बन्धी सहायता पहुंचाते हैं तथा कृषि के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये कृषि के परामर्शदाताओं को भेज देते हैं तथा इन स्थानों में इसका अच्छा प्रभाव हो रहा है । हम कौन से उपाय करते हैं या नहीं करते हैं इस का इस घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रशासनीय कार्यों के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र बिलकुल अछूता है । जैसा शायद सदन को ज्ञात है मैं इन उत्तर पूर्व सीमा की आदिम जातियों का बड़ा प्रशंसक हूं । ये डाफ़ला जाति के लोग, जिनको मैं ने देखा है, आस पास की आदिम जातियों में संभवतः सब से प्राचीन हैं । हम इन के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कोई अपने बच्चों के साथ करता है, ऐसे बच्चों के साथ जो अविकसित रह गये हैं, जिन की बाढ़ रुक गई है । हम उन के साथ कड़ाई का भी व्यवहार करते हैं परन्तु साथ ही साथ नरमी का भी व्यवहार करते हैं तथा उनको चिकित्सा सम्बन्धी तथा कृषि सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार की भरसक सहायता देते रहते हैं । साधारण तरह से यह लोग न आयात करते हैं न निर्यात, यह लोग उस सीमित क्षेत्र में अपनी पसंद का जीवन बसर करते हैं और उनके जीवन को एक बार भी बदल देना ठीक नहीं है । इस प्रकार उनके जीवन में बिलकुल उलट फेर हो जायेगा । हमें चाहिये कि हम धीरे धीरे उनकी सहायता करें जिस से वे स्वयं अपने को सुधार सकें ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : कुछ आर्थिक कष्ट भी हैं विशेषकर सही .....

अध्यक्ष महोदय : हम यहा बहस नहीं कर रहे हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने विषय की व्याख्या कर दी है । मैं समझता हूं कि जो प्रश्न उठाया जाने वाला है वह एक बड़ा प्रश्न है ।

सदन अब आगे विचार करेगा ——

श्री रिशांगकिशिंग : मैं कुछ बातों का प्रधान मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

ऐसा जान पड़ता है कि भारत सरकार एक प्रकार की कार्यवाही—कड़ी कार्यवाही इन उपद्रवी ग्रामीणों तथा उनके गिरोह के सरदारों के विरुद्ध करने का विचार कर रही है। चूंकि ये ताजिन जातियां अभी भी अप्रशासित क्षेत्रों में हैं और चूंकि वे अपने को अभारतीय नागरिक समझते हैं, मैं जान सकता हूं कि क्या उन लोगों पर की गई कार्यवाही भारत सरकार के लिये न्यायोचित होगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तथ्य कि वह क्षेत्र अप्रशसित है इसका अर्थ यह नहीं कि वह भारत से बाहर है। मैं कानून के विषय में नहीं वरन् व्यवहार की—भारत संघ के भू भाग की बात कह रहा हूं। वास्तव में हम उसके बाहर के क्षेत्र का भी प्रशासन कर रहे हैं, सीमा क्षेत्र का प्रशासन भी किया जा रहा है। उसके आगे हमारी पुलिस चौकियां तथा अवरोध केन्द्र हैं। बीच में ऐसे जंगल हैं जिनका कभी उपयोग नहीं किया गया है तथा वहां के लोगों की स्थिति कैसी है इस पर सांवैधानिक अर्थ में विचार करने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। मैं नहीं समझता कि वे किसी संविधान से परिचित भी हैं।

श्री रिशांगकिशिंग एक प्रश्न और।

अध्यक्ष महोदय : अब हमें अगले मद को लेना चाहिये।

श्री आर० के० चौधरी : क्या मैं एक चीज़ पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री आर० के० चौधरी : आप से श्रीमान्। मैं चाहता हूं कि यदि किसी बात का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था .....

अध्यक्ष महोदय : मैं अब अगली कार्यवाही सदन पटर पर रखे जाने वाले पत्रों को लूंगा।

श्री आर० के० चौधरी : मैं केवल आप से पूछ रहा हूं, श्रीमान्। कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उत्तर दूंगा...

श्री आर० के० चौधरी : हमारे मार्ग प्रदर्शन के लिये।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं अपने कमरे में सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, यहां नहीं।

श्री आर० के० चौधरी : एक विशेष औचित्य प्रश्न है, श्रीमान।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री आर० के० चौधरी : औचित्य प्रश्न भी नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। एक भी औचित्य प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

श्री आर० के० चौधरी : ठीक है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जूट जांच समिति

*१५२. **श्री हेडा** : **द्याख तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कच्चे जूट की समस्या की जांच करने के लिये जो समिति बनाई गई थी, उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

(ख) उसन किन-किन बातों का पता लगाया है ?

(ग) क्या समिति न मूल्यों के स्थायीकरण की समस्या का अध्ययन किया है ?

(घ) यदि ऐसा है, तो इस संबंध में उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां ।

(ख) समिति की सिफारिशों का सारांश सदन पटल पर रखा है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६]**

(ग) नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

रूस से वस्तु विनिमय का सौदा

*१५५. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि रूस से गेहूं के आयात के संबंध में किये गये दो वस्तु विनिमय के सौदों में से एक में, भारत को हानि हुई है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो कहां तक तथा किन कारणोवश ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख) . गेहूं के आयात के लिये भारत सरकार ने रूस से तीन वस्तु विनिमय के सौदे किये । इन करारों के अर्न्तगत किसी भी एक पक्ष को विशिष्ट पदार्थों की विशिष्ट मात्रा में पूर्ति करनी पड़ती थी । करारों में निर्दिष्ट की गई कुल मात्रा की पूर्ति दोनों संबंधित पक्ष करते थे तथा सौदे में किसी प्रकार की हानि का प्रश्न इसी कारण नहीं उत्पन्न होता ।

भूमि संरक्षण मंडल

*१५६. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री केन्द्र में भूमि संरक्षण मण्डल की स्थापना के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों को बताने की कृपा करेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : आशा यह की जाती है कि मण्डल की स्थापना के विषय में शीघ्र ही घोषणा की जायेगी ।

स्वास्थ्य मंत्रालय में पु पुनर्सेवानियोजित पदाधिकारी

*१५९. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) स्वास्थ्य मंत्रालय में नियमित सेवा करने के पश्चात उन अवकाश प्राप्त पदाधिकारियों की संख्या क्या है जो पुनर्सेवानियोजित कर लिये गए; तथा

(ख) क्या अवकाश प्राप्त कर्मचारी के रिक्त स्थान की पूर्ति करने से पूर्व, मंत्रालय केन्द्र अथवा राज्यों में कार्य करने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों की उपलब्धता के लिए कुछ प्रयत्न किया था ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) छः ।

(ख) हां, दो पदाधिकारियों के मामले में । शेष चार में से एक मंत्री के व्यक्तिगत कर्मचारी वर्ग का है, दूसरा विस्थापित टेक्निकल पदाधिकारी है तथा अन्य दो पदाधिकारी अपने पूर्व अनुभव अथवा प्रशिक्षण के कारण क्रमशः उन स्थानों पर नियुक्ति के लिये विशेष रूप से उपयुक्त थे ।

विशेष कार्याधिकारी

*१६०. **श्री वी० पी० नायर :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री विशेष कार्याधिकारी डा० के० सी० के० ई० राजा के कार्य बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) इस पदाधिकारी ने नियमित सेवा से कब अवकाश प्राप्त किया था ?

(ग) विशेष पदाधिकारी के नाते उनकी वर्तमान सेवा की क्या क्या शर्तें हैं ?

(घ) उनके वर्तमान पद की कुल मासिक आय कितनी है तथा नियमित सेवा से रिटायर होने की उनकी पेन्शन क्या है?

(ङ) अब वह जिस पद पर है, क्या सरकार ने उसका विज्ञापन कराया था अथवा वह भारत सरकार से सीधे नियुक्त कर लिये गये थे ?

(च) यदि उपर्युक्त भाग (ङ) के अन्तिम अंश का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस पदाधिकारी की नियुक्ति करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) अखिल भारतीय चिकित्सा स्थान के संगठन तथा सामान्य परियोजना में सरकार को परामर्श देने तथा उसकी क्रमिक अवस्थाओं के विकास में सहायता पहुंचाने तथा इस संबंध में अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त किये गए हैं ।

(ख) १ दिसम्बर, १९५२ को ।

(ग) तथा (घ). उनके विशेषाधिकारी नियुक्त किये जाने का वर्तमान कार्यकाल ३१ मई, १९५४ तक है, अथवा संस्थापन के संचालक नियुक्त किये जाने के छः माह बाद तक, इनमें से जो भी पहले हो । उनको कुल मिलाकर २७५० रु० वेतन मिलता है जिसमें उनकी ५९४ रु० १२ आ० प्रति मास कुल पेन्शन भी सम्मिलित है ।

(ङ) तथा (च). इस पद का विज्ञापन नहीं कराया गया था । डा० राजा अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान की परियोजना तथा उसकी स्थापना से संबंधित प्रश्न के सभी पहलुओं के विषय में महान अनुभव तथा पूर्णज्ञान रखने के कारण विशेष रूप से नियुक्त किये गए थे, जो उन्होंने (१) स्वास्थ्य सेवाओं के महासंचालक , (२) अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थापन समिति के सदस्य मंत्री, (३) स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा विकास समिति के मंत्री, (४) भारत में कुछ विद्यमान चिकित्सा संबंधी संस्थानों की वेतनोन्नति समिति के सदस्य तथा (५) स्नावकोत्तर चिकित्सा संबंधी शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद के सदस्य के नाते दो भिन्न-भिन्न क्षमतायें प्राप्त कर ली थीं ।

कृष्णा नदी के पुल

*१७५. **श्री हेडा :** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजपत्रों पर कृष्णा नदी के ऊपर कितने पुल बनवाये गए हैं ?

(ख) क्या सरकार का विचार आन्ध्र की नई राजधानी कुरनूल के समीप भी कृष्णा नदी पर उसको हैदराबाद से मिलाने के लिये पुल बनवाने का है ?

(ग) वर्तमान में दूसरा रास्ता और कौन सा है तथा कुरनूल से हैदराबाद के बीच यात्रा करने में किसी व्यक्ति को कितना अधिक समय लगता है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ४ पर (बम्बई-बंगलोर-मद्रास रोड) तथा दूसरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ७ पर देवशुगर में (बनारस-राजकुमारी रोड)।

(ख) मूलतः बनारस राजकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग का अनन्तपुर-यादकरेला विभाग कुरनूल के द्वारा किया हुआ था किन्तु बाद को राष्ट्रीय राजमार्ग को माधवरम तथा रायचूर के द्वारा मिलाना व्यावहारिक रूप से निश्चय किया गया था । आन्ध्र सरकार के विचार ज्ञात हो जाने के पश्चात् इसके मिलाने को अन्तिम रूप दिया जायगा । कुरनूल के समीप कृष्णा नदी पर पुल बनाने का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब राष्ट्रीय राजमार्ग को कुरनूल से होकर ले जाने पर अन्तिम निर्णय हो जायगा । कुरनूल से मिलाने के लिये न केवल कृष्णा पर ही

वरन् तुंगभद्रा नदी पर भी पुल बनने की आवश्यकता है ।

(ग) कोई भी ऐसा सुविधाजनक दूसरा मार्ग नहीं है जो बहुत चक्कर से न जाता हो ।

चतुर्थ श्रेणी रेल कर्मचारी वर्ग

*१७७. **श्री नम्बियार :** क्या **रेल** मंत्री रेल के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की वर्तमान प्रक्रिया बताने की कृपा करेंगे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : रेल सेवाओं के लिये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती स्थानीय विभागीय ज़िला अधिकारियों द्वारा की जाती है। इस वर्ग के केवल थोड़े काल के लिये होने वाले रिक्त स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों की विज्ञप्ति सम्बद्ध नौकरी दफ्तरों से रेल प्रशासन द्वारा की जाती है, जिसके नाम निर्देशनों पर भी सीधे आवेदन पत्र भेजने वालों के साथ, नियुक्ति के समय विचार किया जाता है ।

आगरा में माल के डिब्बों का संभरण

*१७८. **सेठ अचल सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा स्टेशन पर सामान भेजने के लिये माल के डिब्बों के संभरण पर अभी तक लगे हुए प्रतिबन्धों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : अब किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है, जो आगरा क्षेत्र के स्टेशनों से आने वाले यातायात को रोकता हो ।

कूर नूल में हवाई अड्डा

*१८२. **श्री बुच्चिकोटैय्या :** क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनूल में एक हवाई अड्डा स्थापित करने के लिये आन्ध्र सरकार ने निवेदन किया है ; और

(ख) यदि हां तो क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

संचरण मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार को संभव स्थलों का परिमाप करने की सलाह दी गई है । करनूल में हवोई अड्डा स्थापित करने का निर्णय मुख्यतया आन्ध्र की स्थायी राजधानी की स्थिति पर निर्भर रहेगा ।

राष्ट्रीय राज मार्ग पर पुल

*१८७. **श्री आर० एस० तिवारी :** क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१ से अब तक भिन्न भिन्न राज्यों में राजमार्गों पर केन्द्र द्वारा कितने नदी पुलों का निर्माण हुआ है ;

(ख) विन्ध्य प्रदेश में के नदी पर पुल बनाने के लिये कितनी राशि निश्चित की गई है ;

(ग) यह पुल बनाने में अत्यधिक समय लगने के क्या कारण हैं ; तथा

(घ) यह पुल अब कितने समय में पूरा हो जायगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २२

(ख) विन्ध्य प्रदेश में सतनानौगोंग राजमार्ग पर के नदी पर पुल बनाने के लिए अनुमानतः १३ लाख रुपये ।

(ग) नीव में सख्त चट्टान में छेद करने के लिये छेद करने के यंत्रों को प्राप्त करने की कठिनाई, तथा मौनसून पवनों और भारी बाढ़ के कारण पर्याप्त समय तक काम स्थागित रहना ।

(घ) १९५५ के लगभग मध्य तक इस के पूर्ण होने की अपेक्षा की जाती है ।

कलकत्ता पत्तन आयुक्तों का कार्यालय

*१९०. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह तथ्य है कि कलकत्ता के पत्तन आयुक्तों ने अपने कर्मचारियों के लिये कुछ नवीन सेवा नियम लागू किये हैं ;

(ख) यदि ऐसी बात है, तो क्या इन नियमों की स्वीकृति भारत सरकार से ले ली गई है ; और

(ग) क्या भारत सरकार के पास उक्त सेवा नियमों के सम्बन्ध में पत्तन आयुक्तों के स्वीकृत मजदूर संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन आया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

त्रिपुरा में अनाज की स्थिति

*१९२. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह तथ्य है कि वर्षा के कारण त्रिपुरा में अनाज की फसलों को पर्याप्त क्षति पहुंची है : और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनाज की कमी के विपरीत किन प्रतिरोधी उपायों का विचार किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) पिछली वर्षा के कारण फसलों को लगभग ४,००,००० रुपये की क्षति हुई ।

(ख) वर्षा-ग्रस्त क्षेत्रों में अनाज की कमी अनुभव नहीं की गई । किन्तु आराम के लिये राज्य सरकार ने ५००० रुपये तक कृषि ऋण दिये, और आवश्यकतानुसार बीज भी दिये ।

काजू

८५. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०-५१ से १९५२-५३ तक भारत में काजू कारखानों में कितनी मात्रा में कच्चे काजू की खपत हुई ।

(ख) किन राज्य में कच्चे काजू उत्पन्न होते हैं; और उक्त समय में उन में से प्रत्येक राज्य में कितनी मात्रा में काजू उत्पन्न हुए ; तथा

(ग) उक्त समय में आयात किये गये कच्चे काजू की मात्रा तथा उनका मूल्य ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु ऐसी धारणा रखते हुए कि औसत वार्षिक उत्पन्न और विदेशों से मंगवाये गये काजू को गिरी निकालने के लिये प्रयोग में लाया जाता है, १९५०-५१, १९५१-५२, १९५२-५३ के बीच कच्चे काजू की कुल मात्रा का अनुमान क्रमशः १,१३,९५६ टन, १,०२,४५३ टन तथा १,११,६८२ टन लगाया जाता है ।

(ख) काजू उत्पन्न करने वाले मुख्य राज्य हैं, मद्रास (मालाबार तथा दक्षिण-किनारा), ट्रावनकोर-कोचीन तथा बम्बई, और १९५१-५२ के बीच इन प्रदेशों में उत्पादित कुल मात्रा का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है ;

मद्रास . . .	३३,००० टन
ट्रावनकोर-कोचीन .	२०,००० टन
बम्बई . . .	४,५०० ,,
अन्य . . .	२,६०० ,,
कुल . .	६०,१०० टन

दूसरे समय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) १९५०–५१ से १९५२–५३ के बीच आयात किये गये कच्चे काजू की मात्रा तथा मूल्य :—

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
१९५०–५१	५३,९५६	२·८५
१९५१–५२	४२,३५३	३·२८
१९५२–५३	५१,९८२	४·६६

माईरोबैलज़

८६. श्री वी० पी० नायर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में माइरोबैलज़ का अनुमानित वार्षिक उत्पादन ;

(ख) भारत से निर्यात किये जाने वाले माइरोबैलंज़ और उसके सत की मात्रा ;

(ग) भारत में माइरोबैलंज़ से क्या महत्वपूर्ण सत तैयार किये जाते हैं; और

(घ) देशी उद्योगों में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में माइरोबैलंज़ के सत की खपत होती है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :

(क) १९४९–५० के बीच ३३,७६६ टन। बाद के वर्षों की अनुमानित वार्षिक उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) (हजार टन)

	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३
	४१·०	४४·८	२५·८
(१) [माइरोबैलंज	३·४ (क)	५·०	६·०
(२) [माइरोबैलेंज के सत			

(क) में स्थल मार्ग द्वारा निर्यात के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं, जो उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) भारत में माइरोबैलंज़ का जो अर्क निकाला जाता है, उसमें लगभग ५५ प्रतिशत टैनीन, ३० प्रतिशत नटैनज़, ३ प्रतिशत अविलेय पदार्थ तथा १२ प्रतिशत आर्द्रता होती है।

(घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

चने

८७. डा० अमीन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री आगामी ऋतु के बीच चने के अनुमानित उत्पादन तथा उत्पादित चने की भूमि बताने की कृपा करेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : चना अभी बोया गया है, और इतनी जल्दी आगामी रबी की फ़सल के उत्पादन तथा भूमि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

८८. डा० अमीन : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन क्षेत्रों में इस योजना को लागू नहीं किया गया है, वहां के नियोजकों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम को कुल कितना अंशदान दिया गया है ?

(ख) जिन क्षेत्रों में यह योजना चालू की गई है, वहां के नियोजकों द्वारा इस निगम को कुल कितना अंशदान दिया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :

(क) (१) बम्बई, मद्रास ३०-९-५३ तक तथा कलकत्ता प्रदेश १,८९,७९,००० रु०

(२) दिल्ली तथा कानपुर प्रदेश ३१-१०-५३ तक

१०,७५,००० रु०

२,००,५४,००० रु०

(ख) दिल्ली कानपुर ३१-१०-५३ तक तथा पंजाब २१,२८,०००रु०

रेल भण्डार

८९. श्री एस० एन० दास : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२–५३ में रेलों द्वारा खरीदे गये भाण्डार के कुल मूल्य में से कितना प्रतिशत देशी साधनों द्वारा खरीदा गया था ?

(ख) विदेशों से अभी भी भाण्डार की कितने मदों का निर्यात करना पड़ता है ?

(ग) कुटीर उद्योगों की वस्तुओं का रेलें कितना प्रयोग करती हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सामयिक आंकड़े के आधार पर ७८ प्रतिशत ।

(ख) लगभग ८४ मुख्य मद ।

(ग) साधारणतया रेलों द्वारा खरीदे गये कुटीर उद्योगों के पदार्थों का ब्योरा देने वाला विवरण पत्र सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनबन्ध संख्या ७]**

गोसंवर्धन की केन्द्रीय परिषद्

९०. डा० राम सुभग सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोसंवर्धन की केन्द्रीय परिषद् ने हाल ही में गौशाला विकास की योजना बना ली है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) योजना की मुख्य बातें हैं :

(१) प्रत्येक राज्य में आवश्यक कर्मचारियों सहित तक गौशाला विकास प्राधिकारी की नियुक्ति, तथा अच्छी नस्ल के पशुओं को खरीदने के निमित्त गौशालाओं और पिंजरापोलों को सहायता देना । इन दोनों उद्देश्यों के लिये संवर्धन की केन्द्रीय परिषद भाग क तथा भाग ख राज्यों को ५,००० रुपये का तथा भाग ग राज्यों को १०,००० रुपये का वार्षिक अनुदान देगी ।

(२) भाग क तथा ख राज्यों में गौशालाओं तथा पिंजरापोलों के संघों को राज्य सरकारों द्वारा ५०० रुपये का तथा भाग ग राज्यों में १००० रुपये का अनुदान दिया जायगा, ताकि वे पशु-चिकित्सा सम्बन्धी योग्यता रखने वाले किसी प्राधिकारी को नियुक्त कर अपनी गौशालाओं और पिंजरा पोलों का अधिक उत्तम प्रबन्ध कर सकें। इस प्राधिकारी को वेतन दिया जायगा, और वह इन संस्थाओं के वर्तमान अवैतनिक कर्मचारियों के अतिरिक्त होगा ।

लेडी हार्डिंग अस्पताल

९१. श्री वी० पी० नायर : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली में कितने रोगियों के लिये स्थान हैं, तथा डाक्टरों, नर्सों तथा कम्पाउन्डरों की कितनी संख्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) :

रोगियों के लिये स्थान	३६७
डाक्टरों की संख्या (जिन में २० हाउस सर्जन भी सम्मिलित हैं)	४०

नर्सों की संख्या :

नर्सिंग सुपरिटेंडेंट	१
असिस्टेंट मेट्रन	१
नर्सिंग सिस्टर्ज	१६
स्टाफ नर्सें	२७
परोबेशनर नर्सें	७८
जोड़	१२३

कम्पाउन्डरों की संख्या : ४

योग्यता प्राप्त प्रशिक्षणार्थी ६

जोड़ १०

पंजाब में देहाती डाकखाने

९२. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **संचरण** मंत्री पंजाब में सन् १९५३–५४ में खोले गये, या जो खोले जाने को हैं, देहाती डाकख़ानों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): अप्रैल तथा अक्तूबर, १९५३ के बीच की अवधि में ४५ देहाती डाकख़ाने खोले गये ।

३१ मार्च, १९५४ तक ९४ देहाती डाकख़ानों को खोलने की प्रस्थापना है ।

'अधिक खाद्य उपजाओ' योजनायें

९३. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 'अधिक खाद्य उपजाओ,' योजनाओं के परिणामस्वरूप सन् १९५३-५४ में उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की प्रत्याशा है ?

(ख) सन् १९५३ में अब तक राज्य सरकारों को 'अधिक खाद्य उपजाओ' योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

(ग) सन् १९५३ में प्रारम्भ किये जाने वाले छोटे सिंचाई कार्यों की संख्या क्या है ?

(घ) कितना भू क्षेत्र भूमि सुधार योजनाओं के अन्तर्गत आयेगा ?

(ङ) उर्वरकों तथा बीजों की कितनी परिमात्रा प्रदाय की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सन् १९५२–५३ के उत्पादन से १३·५५ लाख टन अधिक ।

(ख) २३२७·०४ लाख रुपये ।

(ग) ७४,५९६ ।

(घ) २०,९८,४८८ एकड़ ।

(ङ) २,७७,२१८ टन उर्वरक तथा १,१८,५५३ टन बीज़ ।

कर्मचारी भविष्य निधि

९४. **श्री हेडा :** क्या **श्रम** मंत्री जनवरी से अक्तूबर, १९५३ तक प्रत्येक मास में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गई धन राशि को बताने की कृपा करेंगे ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मैं कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत जनवरी, १९५३ से सितम्बर, १९५३ तक के महीनों में प्राप्त हुए अंशदानों की रक़म दिखाने वाले एक विवरण को सदन पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८]**

इस से यह ज्ञात होगा कि सितम्बर, १९५३ के अन्त तक प्राप्त हुए अंशदानों की कुल रक़म ४,६०,४५,५८४ रुपये ९ आने १० पाई है : अक्तूबर, १९५३ के सम्बन्ध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

बिहार के प्रादेशिक नौकरी दफ्तर

९५. **श्री पी० सी० बोस :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बिहार प्रादेशिक नौकरी दफ्तर के अन्तर्गत दीधा प्रशिक्षण केन्द्र में चलाई जा रही स्टैनोग्राफ़ी प्रशिक्षण कक्षा बन्द कर दी गई है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस के कारण ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) जी हां ।

(ख) श्रम मंत्रालय के सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में स्टैनोग्राफ़ी का पाठ्यक्रम बन्द कर दिया गया है क्यों कि इस विषय तथा अन्य वाणिज्यिक विषयों के प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यवस्थायें निजी विद्यालयों में सामान्यतः पाई जाती हैं । परन्तु तो भी, इस प्रश्न पर भा शिवाराव समिति की सम्मति मांगी गई है ।

सार्वजनिक काल आफिस

९६. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या गोपालगंज सब-डिवीज़न में एक टैलीफ़ोन सार्वजनिक कॉल आफ़िस स्थापित करने की प्रस्थापना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर): जी हां ।

चीनी (उत्पादन शुल्क)

९७. **श्री माधव रेड्डी:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२–५३ की फ़सल में चीनी पर लगाये गये अतिरिक्त शुल्क से अब तक कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): उत्पादन शुल्क फैक्टरियों से चीनी बाहर भेजे जाने के समय वसूल किया जाता है । इस के अनुसार, सन् १९५२–५३ की फ़सल के स्टाक में से ३० सितम्बर, १९५३ तक भेजी गई चीनी से वसूल किये गये अतिरिक्त उत्पादन कर से २७०·२६ लाख रुपये प्राप्त हुए थे । उसी वर्ष में उत्पादित चीनी के शेष रहे भाग से ८६·४१ लाख रुपये की अतिरिक्त कर राशि के प्राप्त होने की प्रत्याशा है ।

मद्रास डाक सर्किल में क्लर्कों की भर्ती

९८. **श्री नानादास :** क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १९५२ में मद्रास डाक सर्किल में क्लर्कों की भरती के लिए कोई प्रतियोगीय परीक्षा ली गई थी ;

(ख) यदि हां, तो (१) अनुसूचित जाति के उन अभ्यर्थियों की तथा (२) अनुसूचित आदिम जातियों के उन अभ्यर्थियों की संख्या जो परीक्षा में बैठे थे, तथा

(ग) उस के परिणाम स्वरूप नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से चुने गये (१) अनुसूचित जातियों तथा (२) अनुसूचित आदिमजातियों के अभ्यर्थियों की संख्या ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर): (क) जी हां ।

(ख) ३४५ अनुसूचित जातियों के तथा ११ अनुसूचित आदिम जातिमों के अभ्यर्थी ।

(ग) २७३ अनुसूचित जातियों के तथा ११ अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थी ।

जमींदारी प्रथा

९०. **श्री विश्वनाथ राय:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) वह राज्य जहां ज़मींदारी प्रथा अथवा उसी प्रकार की अन्य कोई सामन्ती प्रथा अब भी चालू है ;

(ख) वह राज्य जहां उसे समाप्त कर दिया गया है ; तथा

(ग) वह राज्य जहां इस के उन्मूलन सम्बन्धी विधेयकों पर विचार किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) से (ग). मध्यस्थों के उन्मूलन के

सम्बन्ध में जो प्रगति हुई है उसे बताने वाली एक टिप्पणी सदन पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९]

भूमि का कृष्यकरण

१००. श्री विश्वनाथ राय : खाद्य खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भारत में सन् १९४७ से कृष्यकरण की गई भूमि का क्षेत्रफल; तथा

(ख) सन् १९५३–५४ में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा भूमि के कृष्यकरण का लक्ष्य ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सन् १९४७–४८ से प्रारम्भ होने वाले ६ वर्षों में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, भोपाल तथा पंजाब में कुल ९,८३,७९७ एकड़ भूमि का कृष्यकरण किया है; इस के अतिरिक्त राज्यों ने स्वयं अपने ट्रैक्टरों की सहायता से १७,६२,१८६ एकड़ भूमि का कृष्यकरण किया है।

(ख) सन् १९५३–५४ की कृष्यकरण फसल में कृष्यकरण के लक्ष्य यह हैं, (१) २,४७,५१० एकड़ कोस वाली भूमि की सफ़ाई, तथा (२) ८००० एकड़ जंगल की सफ़ाई।

जिला प्रधान स्थानों में तार घर

१०१. श्री आर० एन० एस० देव : क्या संचरण मंत्री उन ज़िला प्रधान स्थानों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे जहां अभी तक तार घर नहीं हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : ६।

आयात किये गये खाद्यानों पर भाड़ा

१०२. श्री के० सी० सोधिया : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री भारतीय रेलवेज़ को आयात किये गये खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए सन् १९५२–५३ में दिये गये भाड़े की रक़म को बतलाने की कृपा करेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : सन् १९५२–५३ में भारतीय रेलवेज़ को आयात किये गये खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए दिये गये कुल भाड़े की रक़म के सम्बन्ध में सूचना तत्काल ही उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आयात किये गये खाद्यान्नों को सामान्यता प्रापक प्रशासनों की माल उतरने वाले पत्तनों पर ही दे दिया जाता था, और वहां से उन खाद्यान्नों को प्रापक सरकारों के व्यय पर गन्तव्य स्थानों को भेजा जाता था और वही सरकारें रेलवे भाड़ा दिया करती थी।

२. सन् १९५२–५३ के २९,३८,००० टन के सम्पूर्ण आयातों में से, कोई १७,७६,००० टन प्रापक प्रशासनों को माल उतरने वाले पत्तनों पर ही दे दिये गये थे और शेष ११,६२,००० टन केन्द्रीय डिपोओं को भेज दिये गये थे।

सत्यमेव जयते

शनिवार,
२१ नवंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

Preservation Unit
18.3.12
Fumigated
Parliament Library

शनिवार, २१ नवम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

२-४७ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में मारे गए सरकारी अधिकारी तथा अन्य व्यक्ति

[संसदीय वाद-विवाद के भाग १ के पृष्ठ भाग ३०७ को देखिए]

सदन-पटल पर रखे गए विवरण पत्र

जिस में विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का वर्णन है।

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं सदन-पटल पर निम्न विवरण रखता हूं जिन में विभिन्न सत्रों में दिए गए आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का उल्लेख है :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या १ (लोक-सभा का १९५३ का चतुर्थ सत्र) **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध १]**

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ६ (लोक-सभा का १९५३ का तृतीय सत्र) **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध २]**

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ७ (लोक-सभा का १९५२ का द्वितीय सत्र) **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध ३]**

(४) अनुपूरक विवरण संख्या ८ (लोक सभा का १९५२ का प्रथम सत्र) **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध ४]**

(५) अनुपूरक विवरण संख्या ५ (अस्थायी संसद का १९५२ का पंचम सत्र) **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध ५]**

(६) अनुपूरक विवरण संख्या १० [अस्थायी संसद का १९५१ का तृतीय सत्र (भाग २)] **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध ६]**

(७) अनुपूरक विवरण संख्या ७ [अस्थायी संसद का १९५० का द्वितीय सत्र (भाग १)] **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध ७]**

(८) अनुपूरक विवरण संख्या ७ भारतीय संविधान सभा (विधायिनी) का [१९४९ का नवम्बर-दिसम्बर सत्र] **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध ८]**

धोतियां (अतिरिक्त उत्पादन कर) विधेयक

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : म प्रस्ताव करता हूं कि एक विधेयक जिस मैं

[श्री करमरकर]

मिलों के लिए निश्चित कोटे से अधिक जारी की गई धोतियों पर अतिरिक्त कर के आरोपण तथा वसूली की व्यवस्था की गई है, को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि "विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री करमरकर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं :

बैंकिंग समवाय संशोधन विधेयक

अध्यक्ष महोदय : सदन अब बैंकिंग समवाय संशोधन (विधेयक) को लेगा ।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : श्रीमान, इस विधेयक को कार्यक्रम सूची में प्राथमिकता दी गई है, परन्तु इस समय हम प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थानों और अवशेषों पर चर्चा कर रहे हैं .....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य देखेंगे यह विधेयक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है तथा आरम्भ में यह बतला दिया गया है कि ऐसे विधेयकों को इन के तैयार होते ही प्राथमिकता दी जायगी । यह विधेयक अभी तैयार हुआ है तथा सदन में पुरःस्थापित हो चुका है । अतः हम इस विधेयक को ले रहे हैं ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कुछ दस्तावेज़ों का निर्देश किया गया है । मैं आप से प्रक्रिया के स्पष्टीकरण तथा सदन के प्रति न्याय के हेतु पूछना चाहता हूं कि क्या ये दस्तावेज़ पारिचालित नहीं होने चाहियें थे ?

अध्यक्ष महोदय : यह समय से पहले की बात है । जब तक माननीय मंत्री कुछ न कहें तथा हमें किसी वास्तविक कठिनाई का पता न लगे, उस के सम्बन्ध में किसी उपाय का सोचना कठिन है ।

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ के अग्रेतर संशोधन सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाय ।"

श्रीमान, इस विधेयक की पृष्ठभूमि यह है कि इस से पहले बैंकिंग समवायों का कार्यसंचालन भारतीय समवाय अधिनियम द्वारा विनियमित था तथा बैंकिंग समवायों के लिए कोई पृथक अधिनियम नहीं था । अनुभव प्राप्त होने पर यह पता लगा कि बैंकिंग समवायों की कुछ विशेष बातें हैं जो दूसरे समवायों में नहीं हैं । अतएव १९४९ में बैंकिंग कम्पनियों के लिए एक बैंकिंग समवाय अधिनियम बनाया गया । इस पर भी बैंकिंग समवायों के परिसमापन सम्बन्धी कार्यवाही को भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत ही किया जाता था । परन्तु पिछले विश्वयुद्ध तथा देश के विभाजन के बाद बहुत से बैंक —विशेषतः पंजाब, बंगाल, मद्रास तथा बम्बई में—फ़ेल हो गए । यह पाया गया कि बैंकिंग समवायों में उत्तमर्ण तथा ऋणी एक विशेष स्थिति में होते हैं तथा कि बैंकिंग समवायों के समापन सम्बन्धी कार्यवाही का सामान्य व्यापारिक समवायों की भांति भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत करना कठिन है । ऋणियों की संख्या के बहुत अधिक होने से भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध अस्तियों का एकत्र करना कठिन है । पश्चिमी बंगाल में यह समस्या बहुत गम्भीर रूप धारण कर गई तथा १९४९

*राष्ट्रपति की सिफारिशों सहित पुरःस्थापित हुआ ।

में पश्चिमी बंगाल सरकार ने बैंकों के समापन सम्बन्धी कार्यवाही की प्रणाली की छान बीन आरम्भ कर दी तथा बाद में एक अध्यादेश जारी किया गया जिसे बाद में इस सदन द्वारा पारित एक अधिनियम संख्या २०, १९५० से प्रतिस्थापित कर दिया गया और भारतीय समवाय अधिनियम को संशोधित किया गया ।

श्रीमान, इस अधिनियम से समापन कार्यवाही गतिपूर्ण तथा मितव्ययी ढंग से करने में जो दो बड़ी कठिनाइयां हैं, उन में से एक दूर होती है । इस लम्बी तथा खर्च वाली प्रणाली के दो मूल कारण न्यायालयों तथा मामलों की संख्या का बहुत अधिक हो जाना है । १९५० के संशोधक अधिनियम से केवल एक ही कारण दूर हुआ अर्थात अनेक न्यायालयों का होना । उस अधिनियम में यह बतलाया गया था कि बैंकों के समापन सम्बन्धी कार्यवाही को उच्च न्यायालय द्वारा किया जायगा तथा केवल एक उच्च न्यायालय द्वारा । उस अधिनियम के अन्तर्गत अनेक न्यायालयों की जटिलता को दूर कर दिया गया था ।

परन्तु विलम्ब तथा अनावश्यक व्यय का कारण तब भी बना रहा तथा मामलों की संख्या के अधिक होने का काफ़ी कारण तब भी रह गया । इस बीच उन बैंकों के निक्षेपकों के अभ्यावेदनों का आरम्भ हो गया जो बन्द हो चुके थे । श्रीमान, इस मामले को कई बार सदन में उठाया गया था तथा मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को निक्षेपकों की शोचनीय दशा के बारे में अच्छी प्रकार से विदित ही है । श्रीमान, मैं सदन पटल पर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा भेजा गया एक विवरण रखता हूं जिस में बकों, विशेषत: पश्चिमी बंगाल के बैंकों के समापन सम्बन्धी कार्यवाही का उल्लेख किया गया है ।

जुलाई, १९५२ में, केन्द्रीय सरकार ने डी० एन० मित्रा के सभापतित्व के अधीन समापन कार्यवाही को गतिपूर्ण बनाने की सुविधा के विचार से वर्तमान कठिनाइयों तथा त्रुटियों की जांच करने तथा विधि, प्रक्रिया और व्यवस्था में अपेक्षित परिवर्तनों के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी १९५३ में प्रस्तुत की । रिपोर्ट में शोचनीय स्थिति का वर्णन किया गया है तथा मैं समझता हूं कि इस समिति के क्रान्तिकारी सुझावों को यथाशीघ्र कार्यान्वित करने का प्रत्येक उचित कारण है । श्रीमान, इस उपलक्ष में जांच समिति की रिपोर्ट में से कुछ कण्डिकाओं का उद्धरण अनुचित नहीं होगा । इस में कहा गया है :

"हमें उपलब्ध सूचना से पता लगता है कि कलकत्ता में समापन वाले ७८ बैंकों में से केवल एक बैंक ने लाभांश की घोषणा की है ।

मैं समझता हूं कि मुझे लाभांश की व्याख्या कर देनी चाहिये । इस का अर्थ है निक्षेपकों को किया गया भुगतान । इसका अंशधारियों से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस बैंक ने वरीयता-प्राप्त लेनदारों के लिए १०० प्रतिशत तथा निक्षेपकों के लिए १० प्रतिशत लाभांश की घोषणा की है । हमें सूचना दी गई है कि इस लाभांश की घोषणा एक काफ़ी बड़े सुरक्षित लेनदार के अधिकारों के निर्णय से पहले की गई थी । हमें बतलाया गया है कि दो और बैंक लाभांश की घोषणा पर विचार कर रहे हैं । इस प्रकार से देखा जायगा कि कलकत्ता में बैंकों के समापन से निक्षेपकों की अधिक संख्या को बहुत कम लाभ पहुंचा है ।

इन ७८ बैंकों में से, केवल एक ने निक्षेपकों के लिए १० प्रतिशत लाभांश की

[श्री ए० सी० गुहा]

घोषणा की है तथा उस के बारे में भी मुझे इतना पता है कि सभी निक्षेपकों को यह दस प्रतिशत भी नहीं मिल सका है ।

इस के बाद इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि :

"विधि सम्बन्धी व्यय तथा समापक अधिकारी की कमीशन को छोड़ कर प्रबन्ध-कारिणी का व्यय बहुत अधिक है तथा १० से ८० प्रतिशत तक है । सभी समापकों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जा रहा वेतन २१,००० रुपये प्रति मास है तथा कार्यालय का कुल प्रति मास खर्च ६,००० रुपये है । कुछ मामलों में सरकारी समापकों को बैंकों की मोटर-कारों के प्रयोग की अनुमति दी गई है । स्पष्टत: यह समापन के संचालन के हित में होगा कि सभी कर्मचारी और होते एक कार्यालय में एक समापक के अधीन कर दिए जायें ।"

इस समिति का अन्तिम निष्कर्ष यही है तथा विधेयक के अन्तर्गत इसे कार्यान्वित करने जा रहे हैं ।

श्रीमान, इस के बाद मैं बैंकों की संख्या तथा राशि की ओर निर्देश करना चाहता हूं । १९४७ में काम बन्द करने वाले बैंकों की संख्या ३३ थी । राशि १६ करोड़ रुपये थी; १९४८ में बन्द हुए बैंकों की कुल संख्या ५२ है, १९४९ में ४८, १९५० में ३३ तथा १९५१ में २४ है । इन पांच वर्षों में बन्द हुए बैंकों की कुल संख्या १८० है तथा अधिक-तर ये कलकत्ता, पंजाब, बम्बई तथा मद्रास में हैं ।

श्री आर० क० चौधरी (गौहाटी) : उन में से कितने अनुसूचित बैंक हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

कुल राशि ९२,६३,३५,००० रुपये है । इस अस्तव्यस्तता में यह बेचारे निक्षेपकों का धन है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

मैं समझता हूं कि इस ९२ करोड़ रुपये में से ६० या ६० से अधिक करोड़ की राशि पुनर्व्यवस्था की योजनाओं द्वारा सुरक्षित है । इन की अधिक संख्या पंजाब में है तथा रिपोर्ट के अनुसार वे कुछ न कुछ प्रगति कर रहे हैं । अन्य राज्यों में, विशेषत: बंगाल में पुनर्व्यवस्था की योजना के अन्तर्गत बैंक कोई संतोषजनक प्रगति नहीं कर रहे हैं । जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर हम ने इस की परीक्षा की थी । इस के बाद केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह हिदायत दी, कि उन सिफा-रिशों को जो प्रशासनीय उपायों के द्वारा क्रियान्वित की जा सकती हैं, क्रियान्वित कर दिया जाये । किन्तु इन में भी कुछ सिफारिशें ऐसी हैं, जिन के सम्बन्ध में साधारण प्रशास-नीय उपाय करना काफ़ी नहीं है । मैं न्यायालय समापक की नियुक्ति की ओर निर्देश कर रहा हूं जोकि मेरे विचार में सब से अधिक महत्वपूर्ण सिफारिश है । यदि कलकत्ता उच्च-न्यायालय एक समापक नियुक्त कर भी देता तो समापन के ८२ मामले जो गैर-सरकारी समापकों के पास पड़े हैं, न्यायाधीश के आदेश के बिना, सरकारी समापक को नहीं सौंपे जा सकते थे । यदि न्यायाधीश आदेश दे दे, तो भी ऐसा करने में अधिक व्यय के अतिरिक्त एक या दो वर्ष का समय भी लग जायेगा । अत: यह उपबन्ध क्रियान्वित नहीं किया जा सका । किन्तु यह अनुभव किया गया कि विलम्ब करने से जमा कराने वालों को हानि

पहुंचेगी । मैं जो विवरण सदन पटल पर रखना चाहता हूं उस से प्रकट होगा कि इन समापकों ने ऋणी व्यक्तियों से जितना रुपया इकट्ठा किया है, उस में से एक पाई भी जमा करने वालों को नहीं दी गई और लगभग सारी की सारी राशि प्रशासनीय व्यय पर और समापक को उस की कमीशन देने में खर्च कर दी गई है । और यह जमा करने वालों का ही रुपया है, जोकि वे नष्ट कर रहे हैं । हमने वर्तमान विधेयक में यह चेष्टा की है कि इन सिफारिशों को यथासंभव अधिक से अधिक प्रभावोत्पादक रूप से क्रियान्वित किया जाये और इस मामले में हम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधिपति, पश्चिमी बंगाल सरकार के न्याय मंत्री रिज़र्व बैंक और अन्य सब संबंधित पक्षों से परामर्श किया है । पहला उपबन्ध जो हम ने किया है, यह है कि एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया जायेगा, जो कि बैंक के बन्द होने पर इस की सब पुस्तकों, लेखों और आस्तियों को अपने हाथ में ले लेगा, ताकि स्वार्थी पक्ष इन में गड़बड़ न कर सकें ।

मैं यह बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि न्यायालय समापक नियुक्त करना क्यों आवश्यक है । वर्तमान परिस्थितियों के अधीन समापक केवल उस बैंक का काम करते हैं, जिस की आस्तियां बहुत हों और जिस से उन को काफ़ी लाभ होने की आशा हो । वे अन्य बैंकों की जिन की आस्तियां कम हैं और जिन से उन्हें अधिक लाभ होने की आशा नहीं, परवाह नहीं करते । इस के परिणामस्वरूप सारा उत्तरदायित्व आधिकारिक प्रतिग्रहीता को अपने ऊपर लेना पड़ता है । कई मामलों में रुपये की कमी के कारण वह इन की आस्तियों को अपने अधिकार में भी नहीं ले सकता । अतः जब तक सब बैंकों के समापन की कार्रवाइयां चाहे उन की चालू आस्तियां हों या न हों एक ही संस्था या समापक को न सौंपी जायेंगी, तब तक इन छोटे छोटे बैंकों में रुपया जमा करने वालों के लिए कुछ रुपया वसूल करने की कोई आशा नहीं। ऐसे बैंकों की संख्या ४४ है और जमा करने वाले भी बहुत से होंगे ।

गैर-सरकारी समापक ५ प्रतिशत कमीशन लेता है, किन्तु न्यायालय समापक एक वेतन प्राप्त अधिकारी होगा और कमीशन, कितने व्यक्तियों को वह अपनी कृपा का पात्र बना सकता है और उपलब्ध धन में से वे कितने वकीलों को बुला सकता है, इन बातों की चिन्ता किये बिना, वह अपना समापन कार्य पूरा करेगा ।

अतः न्यायालय समापक नियुक्त करना अत्यावश्यक है । हम ने यह भी व्यवस्था की है कि सिवाय उन मामलों में जिन में समापन कार्यवाही बहुत आगे जा चुकी है या जिन में समापन का व्यय इतना अधिक नहीं कि उसे अनुचित समझा जाये, शेष सब समापन के मामले अपने आप न्यायालय समापक को हस्तांतरित कर दिये जायें । उन मामलों में, जिन में सरकारी वकील यह समझता हो कि इन्हें न्यायालय समापक को हस्तांतरित करने से जमा करने वालों को हानि होगी, वह विशिष्ट रूप से आदेश देगा कि इन मामलों को हस्तांतरित न किया जाये । मुझे विश्वास है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय इस अधिकार का प्रयोग सावधानी से करेगा ।

इस के बाद हम ने यह व्यवस्था की कि बचत बैंक लेखों में १०० रुपये से कम राशि पहले दी जाये और इस की पूरी अदायगी की जाये । एक उपबन्ध मामलों की संख्या बढ़ जाने के कारणों को दूर करने के सम्बन्ध में है । हमें विश्वास है कि ऐसा करने से

[श्री ए० सी० गुहा]

विलम्ब भी नहीं होगा और व्यय भी कम हो जायेगा ।

किसी ऋणी के विरुद्ध दावा सिद्ध करने में एक और कठिनाई यह है कि समापक को लेखा पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ और व्यक्ति भी पेश करने पड़ते हैं जो यह गवाही दे सकें कि लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां सच्ची और ठीक हैं। बहुधा ऐसे व्यक्ति पेश नहीं किये जा सकते। अतः इस विधेयक में यह उपबन्ध भी किया गया है कि लेखा-पुस्तकों की साधारण प्रविष्टियों को साक्ष्य रूप में स्वीकार किया जाये। एक और खंड यह है कि लेखा पुस्तक को संचालकों के विरुद्ध प्रत्य साक्ष्य के रूप में माना जायगा। हम ने यह भी उपबन्ध किया है कि सीमा काल बढ़ा दिया जाये। साधारण व्यक्तियों के विषय में इसे तीन वर्ष से बढ़ा कर बारह वर्ष कर दिया गया है। किन्तु संचालकों के मामले में कोई कालावधि नहीं होगी। इस विधेयक द्वारा हम उन दावों को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। उन बकों के बारे में भी जोकि अब परिसमापन में आ गये हैं इन चीज़ों को पुनर्जीवित करना चाहिए। और संचालकों के बारे में दायित्वों की समाप्ति के सम्बन्ध में कोई अवधि-सीमा नहीं होनी चाहिये ।

विधेयक में इस बात का उपबन्ध भी किया गया है कि संचालकों की जांच लोगों के सामने की जाय। भारतीय समवाय अधिनियम की धारा १९५ तथा १९६ में पहले ही से इस बात का उपबन्ध किया गया है किन्तु वह उपबन्ध ऐसा है कि उसे कार्यान्वित करना इतना आसान नहीं है। अतएव हम ने इसे ऐसा रूप दे दिया है और ऐसे शब्दों में रख दिया है कि यह स्पष्ट हो जाय कि संचालकों को जांच के लिए लोगों के सामने बुलाया जाय। परिसमापन में आये हुए बैंकों के संचालकों एवं पदाधिकारियों को अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का भार उन्हीं के ऊपर है ।

अब हम बेनामी सम्पत्ति की बात लेते हैं। इस विधेयक में हम ने एसा उपबन्ध किया है कि परिसमापक पदाधिकारी को यह अधिकार होगा कि किसी बंद बैंक के प्रबन्ध संचालक के अथवा किसी पदाधिकारी के अधिकार वाली अथवा बिना नाम की संपत्ति जो किसी दूसरे के नाम हो उसे कुर्क करा ले। परिसमापक पदाधिकारी को यह विधेयक उस सम्पत्ति को बेचने, नीलाम करने का अधिकार नहीं देता, उसे केवल कुर्क करने का ही अधिकार होगा। बैंक के भूतपूर्व प्रबन्ध संचालक अथवा भूतपूर्व मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को यह सिद्ध करना होगा कि कुर्क की गई बेनामी की सम्पत्ति है उस की नहीं है अपितु उसी की है जिस के नाम में वह लिखी हुई है ।

न्यायालयों को इस प्रकार के प्रबन्ध की योजनाओं के अन्तर्गत काम करने वाले बैंकों की देखभाल करने का अधिकार होगा एवं साथ ही इन योजनाओं के काम करने के योग्य न पाये जाने पर उन्हें बन्द करने का अधिकार भी उन को होगा। बैंकों की यह श्रेणी परिसमापन में आने वाले बैंकों से अलग है। संचालकों की व्यक्तियों के सामने जांच का उपबन्ध तथा ऋण के निपटारे का साधारण ढंग भी प्रबन्ध की योजनाओं के अन्तर्गत बैंकों के साथ लागू होगा ।

विधेयक में इस बात का भी उपबन्ध है कि परिसमापन की कार्यवाहियों की देखरेख करने का अधिकार रिज़र्व बैंक को होगा और केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार होगा कि किसी भी बैंक की परिसमापन की कार्यवाहियों की देखरेख अथवा छानबीन करने के सम्बन्ध में वह रिज़र्व बैंक को लिखे;

और रिज़र्व बैंक के प्रतिवेदन आने पर जो सम्बन्धित उच्चन्यायलय, एवं केन्द्रीय सरकार दोनों को दिया जायगा, केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित उच्च न्यायालय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करे कि किसी बैंक विशेष की परिसमापन कार्यवाहियों को वह न्यायालय देखें ।

इस विधेयक के सभी उपबन्धों को अब मैं संक्षेप में लेता हूं--सर्वप्रथम बैंक का काम करने वाले समवायों की परिसमापन कार्यवाहियों को करने के लिए न्यायालय द्वारा परिसमापक पदाधिकारी की नियुक्ति और परिसमापन में आये हुए बैंकों के सभी लेखाओं तथा बोर्डों को जब्त करने के लिये एक विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति हो; बचत बैंक लेखा में १००) तक जमा करने वालों को, प्रत्येक को, प्राथमिक भुगतान हो, भारतीय समवाय अधिनियम की धारा १८६ के अन्तर्गत दाताओं की सूची की समानता के आधार पर ऋणदाताओं की सूची को निपटाने के लिए सादा रवैया अपनाया जाय; कुछ मामलों में भूमि राजस्व की बकाया जो बैंकों को आनी है उसे इकट्ठा किया जाय; बैंकों को बन्द करने की याचिका के प्रस्तुत करने के दिन से बैंकों को बन्द करने के लिए कोई सीमा निश्चित कर दी जाय । न्यायालयों को स्वेच्छानुसार किसी भी पूर्व के संचालक की जांच करने का अधिकार हो, एवं किसी संचालक को जिसे कि न्यायालय संचालक का कार्य करने के योग्य नहीं समझता है, उसे अर्नहित करने का अधिकार, एवं ५ वर्षों के लिए उस समवाय का संचालक होने से रोक सकने का अधिकार हो । किसी बैंक का काम करने वाले समवाय के लेखा परीक्षकों की जांच एवं उन को अर्नहित करने के भी उसी प्रकार के अधिकार न्यायालय को हों । किसी भी संचालक अथवा लेखा परीक्षक के इस प्रकार की जांच के समय दिये गये वक्तव्यों को दीवानी और फौजदारी की किसी भी कार्यवाही में उन के विरुद्ध प्रयोग में लाया जा सके । बैंक के संचालकों एवं पदाधिकारियों के दायित्वों को शीघ्रता पूर्वक लागू किया जाय, और करार के कारण उत्पन्न संचालकों के विरुद्ध दावों के बारे में कोई सीमा न रखी जाय; और अन्य लोगों के मामले में यह विस्तार सीमा १२ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । प्रबन्ध की योजनाओं की देखभाल तथा संचालकों एवं लेखापरीक्षकों के पिछले व्यवहार के सम्बन्ध में जांच करने के आदेश देने के अधिकार न्यायालय को हों; प्रबन्ध की योजनाओं के अन्तर्गत आज कल कार्य करने वाले बैंकों को कर्ज़ों का निपटारा करने के लिए संक्षिप्त रवैया अपनाने की सुविधा हो; न्यायालय को बेनामी सम्पत्तियों को कुर्क कराने का अधिकार होगा ।

परिसमापन में आये बैंक का काम करने वाले समवायों की रिज़र्व बैंक द्वारा निकटतम देखभाल हो और केन्द्रीय सरकार के हाथ कुछ अधिकार एवं प्रारंभ करने की क्षमता हो; ५ हजार रुपया से अधिक वाले विवादास्पद मामलों में ही अपील करने का अधिकार सीमित किया जाय ।

विशेष रूप से मैं सदन के समक्ष कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शब्दों को कहना चाहता हूं । वे कहते हैं कि यदि इस वर्तमान रवैये को चालू रहने दिया जाय तो दाताओं एवं आंशिक दाताओं के लिए होने वाला यह विलम्ब अवश्यम्भावी है । मुझे आशा है कि सदन के सभी सदस्य इस विधेयक का स्वागत करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४६, को पुनः संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय,"

प्रवर समिति को निर्देश करने के लिए कोई संशोधन नहीं है ।

अब आगे से यह नियम होगा कि यदि किसी माननीय सदस्य को प्रवर-समिति को कोई प्रस्ताव निर्देश करना है तो वह सचिव को पूर्व में ही नामों की सूची दें और उन को चाहिए कि वह प्रवर समिति में कार्य करने के लिए उन सदस्यों की स्वीकृति भी ले लें ।

श्री गुरुपादस्वामी (मैसूर) : बैंकिंग समवाय अधिनियम को काफ़ी देर से प्रस्तुत किया गया है; इस कार्य के लिए एक अध्यादेश लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस विधेयक को पिछले सत्र में लाने के लिए भी सरकार के पास काफ़ी समय था। इस वर्तमान सत्र में भी काफ़ी दिन पहले इसे प्रस्तुत किया जा सकता था, और इस के अध्ययन करने के लिए हमें काफ़ी समय दिया जा सकता था । यह समय जो हमें दिया गया है वह बहुत थोड़ा है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है । इतनी जल्दी में हम इस की चर्चा भली प्रकार से नहीं कर सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पत्र में से कुछ अंशों को यहां पढ़ा है । सदन में पढ़ा गया कोई भी पत्र सदन पटल पर रखा जाता है । अन्य माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए क्या माननीय मंत्री जी उस को सदन पटल पर रखने को तैयार ह ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं तो नहीं समझता कि इस में कोई विरोध की बात है किन्तु फिर भी मैं माननीय विधि मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं इस पत्र को सदन पटल पर रख सकता हूं अथवा नहीं । इस का कोई विरोध तो नहीं हो सकता ।

श्री एस० एस० मोरे : उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में समिति के प्रतिवेदन का निर्देश किया गया है ।

अतः मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक के संबंध में बहुत जल्दबाजी की जा रही है, और यह उचित नहीं है । यदि आप इस विधेयक के उपबन्धों को ज़रा ध्यान से देखें तो आप पायेंगे कि वे इतने उग्र हैं कि उन से दण्ड सम्बन्धी सामान्य उपबन्धों में भारी उलट फेर हो जाती है । उन के द्वारा साक्ष्य अधिनियम में भी उलट फेर हुई जा रही है । यही नहीं, हम सभी परेशान हैं क्योंकि कुछ दस्तावेज़ हम लोगों को प्रसारित नहीं किये गये हैं । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अल्पराशि-निक्षेपकों के लिये मंत्री महोदय तथा सरकार चिंतित हैं, परन्तु हम लोग भी तो जनता के विश्वास के निक्षेपक हैं और इसलिये हमें जनता के प्रति ईमानदार रहना चाहिये । किन्तु इस विधेयक के संबंध में तो हम बिलकुल कोरे हैं ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम) : आप को याद होगा कि दो दिन पूर्व आप कार्यक्रम परामर्श समिति में उपस्थित थे जब हमें बताया गया था कि इन अध्यादेशों पर अगले सोमवार से चर्चा की जायेगी । और अब क्रमपत्र के अनुसार नहीं चला जा रहा है । लगभग प्रत्येक सदस्य यह समझ रहा था कि प्राचीन स्मारक विधेयक पर चर्चा होगी । सच पूछा जाये तो इस विधेयक के उपबंधों को ठीक से देखने के लिये हमें तनिक भी समय नहीं मिला ।

उपाध्यक्ष महोदय : समिति के प्रतिवेदन में जिन पत्रों का निर्देश किया गया है, क्या उन की प्रतिलिपि सदन पटल पर रख दी गई है अथवा क्या उन की प्रतिलिपि पुस्तकालय में प्राप्त हो सकती है?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं समझता हूं कि समिति का प्रतिवेदन पुस्तकालय में मिल सकता है । वह वहां पर कई महीनों से रखा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक अन्य मामलों का संबंध है, संकल्प चार बजे आरंभ होगा । अब आधे घंटे से कम ही समय बचा है, अतः इस समय इस चर्चा को जारी रखा जाये ।

श्री एम० एस० मोरे : हो सकता है कि समिति का प्रतिवेदन वहां पर रखा हो । किन्तु उस प्रतिवेदन के दिये जाने के बाद कुछ प्रमुख प्राधिकारियों से परामर्श किया गया था, और वे महत्वपूर्ण परामर्श इस विधेयक के आधार हैं । यह विधेयक केवल समिति के प्रतिवेदन पर ही आधारित नहीं है । अतः.....

उपाध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा है, तो यथासंभव उन को सदन के माननीय सदस्यों के बीच, सोमवार से पूर्व, सम्पूर्ण रूप से अथवा अंशतः प्रसारित कर दिया जाना चाहिये, ताकि वह उपयोगी सिद्ध हो सकें । मैं माननीय सदस्य से इस पर विचार करने के लिये कहूंगा ।

श्री ए० सी० गुहा : हम ने रक्षित बैंक तथा उच्च न्यायालयों से परामर्श किया था । ये ही अन्य प्राधिकार हैं जिन से हम ने राय ली थी । जहां तक रक्षित बैंक के साथ परामर्श का सम्बन्ध है, वह एक विभागीय विषय है, और इसलिये मेरे विचार से वह सदन में प्रकट नहीं किया जा सकता । मैंने व्यक्तिगत रूप से कलकत्ता जा कर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ इस मामले पर बातचीत की थी । समिति के सभापति श्री डी० एन० मित्रा थे और मैं ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ भी व्यक्तिगत रूप से परामर्श किया था ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या मंत्री महोदय यह कहना चाहते हैं कि वे सब गोपनीय अथवा विभागीय दस्तावेज़ हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह सब निजी परामर्श हैं और उस का कोई लेखा जोखा नहीं है ।

श्री एस० एस० मोरे : चूंकि उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में उन की ओर निर्देश किया गया है, अतः वे इस सदन की सम्पत्ति हो जाते हैं । इस सम्बन्ध में मैं आप का निर्णय जानना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मौखिक चर्चाओं का लेखा जोखा नहीं रखा जा सकता ।

श्री ए० सी० गुहा : अधिकांशतः ये मौखिक चर्चाओं के रूप में हैं । मुख्य न्यायाधीश के साथ मेरा कुछ पत्र व्यवहार भी हुआ था । उन पत्रों को मैं सदन पटल पर रख सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में सामान्य नियम यह है कि जब भी कभी कोई ऐसा प्रतिवेदन अथवा अन्य कोई सामग्री हो, जो किसी विधेयक अथवा विधेयक के किसी उपबन्ध का आधार हो, तो सदन को उन को देखने का अवसर अवश्य मिलना चाहिये, यदि उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में उन की ओर निर्देश किया गया हो । किन्तु मौखिक विवरणों तथा चर्चाओं, जिन का कोई लेखा जोखा न रखा जा सकता हो, पर यह नियम लागू नहीं होता । गोपनीय पत्रों

[उपाध्यक्ष महोदय]

के सम्बन्ध में उन के विधेयक से सुसंगत अंश अथवा मूल सदन पटल पर रख दिये जाने चाहियें। यदि मंत्री यह समझे कि कोई दस्तावेज़ ऐसा है जिस को प्रकट करना लोकहित में अच्छा नहीं है, तो उस दशा में यह नियम उस पर लागू नहीं होता। यदि मंत्री इस प्रकार के सम्बन्धित पत्र आदि का सार बता देता है, तो भी यह नियम लागू नहीं होगा।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं इस निर्णय को स्वीकार करता हूं। इस में जो सिद्धान्त अन्तर्ग्रस्त है, उस को भी मैं स्वीकार करता हूं। सिद्धान्त यह है कि यदि हम यह कहते हैं कि कुछ जन प्राधिकारियों की सिफारिशों अथवा सुझावों पर विधेयक आधारित है, तो सदन को उन पत्रों आदि की, प्रतिलिपियां प्राप्त करने का अधिकार है, जो हमें उन प्राधिकारों के पास से प्राप्त हुई हों। इस से अधिक महत्व लोकहित के प्रश्न का हो सकता। परन्तु उस प्रश्न को यहां पर उठाना आवश्यक नहीं होगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : द्वितीय महायुद्ध तथा देश के विभाजन के बाद भारत में बहुत अधिक संख्या में बैंकों का परिसमापन हुआ था। यद्यपि इस समय हम परिसमापन की कार्यवाहियों तथा अल्पराशि निक्षेपकों को कुछ सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं, फिर भी इस प्रकार बैंकों के भारी संख्या में बन्द हो जाने के कारणों पर गौर करना अनुचित न होगा। भारतीय बैंक व्यवस्था में कुछ गंभीर त्रुटियां हैं। अधिकांश बैंक युद्ध तथा विभाजन के बाद कांग्रेसी सरकार के शासन काल में बन्द हुए हैं। इस का अर्थ यह हुआ कि कांग्रेसी शासन अथवा उस की नीति में कुछ गड़-बड़ी है।

मझे तो इस का मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि बिना आधारभूत सिद्धान्तों पर अधिक ध्यान दिये हुए बहुत से उद्योगपतियों आदि को अपने बैंक खोलने के लिये प्रोत्साहन दिया गया था। फलस्वरूप बैंक की संख्या बहुत बढ़ गई, पर उन में कोई स्थायित्व नहीं था। १९४७ से १९५१ के बीच लगभग ११८ बैंक बन्द हुए थे। एक बात ध्यान देने की यह भी है कि अधिकांश बैंक पंजाब, बंगाल, मद्रास आदि क्षेत्रों में ही बन्द हुए थे—सारे देश में नहीं। इस का क्या कारण है? इस सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिये।

यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है। इस से देश की अन्य विधियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। पर खेद है कि इस के लिये पर्याप्त समय नहीं दिया गया। इस संबंध में बहुत जल्दबाजी की जा रही है। मैं तो यह कहूंगा कि प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन देने के लिए एक सप्ताह अथवा दस दिन का समय दिया जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे।

मूल अधिनियम में परिसमापक पदाधिकारियों के सम्बन्ध में जो उपबन्ध हैं, उन में भी इस विधेयक के द्वारा परिवर्तन करने का विचार है। इस पहलू पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमें मालूम है कि गैरसरकारी परिसमापक पदाधिकारी अपने पद से अनुचित लाभ उठा कर काफी धन कमा रहे हैं। इसी से लोग बड़े बड़े उद्योगपति बने जा रहे हैं। इस पद के लिये लोग बहुत लालायित रहते हैं। मेरे विचार से उन के संबंध में इस विधेयक के द्वारा जो संशोधन किया जा रहा है उस से स्थिति में काफी सुधार होगा और इतनी धांधली नहीं रह

जायेगी, यद्यपि समस्या पूरी तौर पर हल नहीं होगी ।

बैंकों के अधिकांश संचालक बहुत बड़े धूर्त्त होते हैं । मेरा विचार तो यह है कि बैंक के अधिकारियों से मिल कर ये लोग अपने पद का अनुचित लाभ उठाते हैं, जिस से भ्रष्टाचार फैलता है और जनता परेशान होती है । यह दशा अनुसूचित तथा अननुसूचित दोनों ही प्रकार के बैंकों में है । इस के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय हम बैंक सम्बन्धी सामान्य विधि पर विचार नहीं कर रहे हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं तो केवल समस्या का एक हल बता रहा हूं । मेरे विचार से तो अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक हो गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के सम्बन्ध में यह बात असंगत है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : कार्यवाहियों की झंझट के कारण बहुत देर होती रही है और विधेयक में परिसमापन की कार्यवाही के शीघ्र निपटाने के बारे में एक दूसरा उपबन्ध है । समय के साथ साथ व्यय की बचत भी अत्यन्त आवश्यक है ।

४ बजे

अतः इस विशेष मामले में, प्रस्तुत विधेयक, निश्चय ही मूल अधिनियम से अधिक अच्छा है : अतः जहां तक इस पहलू का प्रश्न है, हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं ।

बेकारी के सम्बन्ध में संकल्प—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : २२ अगस्त, १९५३ को श्री ए० के० गोपालन द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित संकल्प पर अग्रेतर विचार होगा :

"इस सदन के मत से देश में बढ़ती हुई बेकारी को रोकने तथा बेकारों के लिये सहायता पहुंचाने की तत्काल कार्यवाही की जाय ।"

और भी कई संशोधन रखे गये और प्रस्तुत किये गये हैं । पुराने संशोधनों को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । इस संकल्प पर तीन घंटे और कुछ मिनट लगाये जा चुके हैं । क्रम यह है कि और एक घंटा लगाने से, पुराने समय के अनुसार, एक दिन पूरा होगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि हम इस संकल्प पर, चूंकि यह आवश्यक है, दो घंटे लगायें और अंतिम आधे घंटे में अगला संकल्प सदन पटल पर रखा जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : बेकारी को रोकन की बात में प्रत्यक व्यक्ति रुचि लेता है, अतः यदि इस पर की बहस दूसरे दिन तक चालू रहे, तो असंगत नहीं होगा । हमारे देश में हजारों क्या लाखों की बेकारी है, और प्रति दिन बेकारों की दर्द भरी कहानियां सुनने को मिलती हैं । मेरा विचार है कि इस को अगले दिन तक चलाया जाय ।

श्री केलप्पन (पोन्नानी): हमारे आग बढ़ने से पहले श्री देशमुख के संशोधन पर विचार होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस की ओर निर्देश किया गया था । क्या माननीय सदस्यों की यही इच्छा है कि मंत्री महोदय पुनः बीच में बोलें ?

कई माननीय सदस्य : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का क्या सुझाव ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : हमें मालूम नहीं था कि इस में कितना समय लगा, न तो हम (माननीय योजना मंत्री और मैं) इस विवाद के होते हुए बीच में नहीं बोलना चाहते थे। किन्तु यदि आप चाहते हैं कि मैं बीच में बोलूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ;

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदन का यही अभिप्राय है ?

कई माननीय सदस्य : हां, श्रीमान।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक के बाद ही दूसरे विषय पर निश्चय करूंगा। साम्यवादी दल के माननीय उपनेता ने बताया कि हम कदाचित् ६ बज यह संकल्प समाप्त करें और इस के बाद अगला प्रश्न उठायें।

श्री एच० एन० मुकर्जी : यदि मुझे इस बात का मालूम होता कि दोनों मंत्री बोलेंगे तो मैं ने अधिक लम्बा कार्यक्रम रखा होता ताकि बहस भी लम्बी होती और मंत्रियों के बाद अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर मिलता।

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर--उत्तर-पूर्व) : श्री गाड़गिल ने भी बतलाया है कि देश के समक्ष सब से बड़ी समस्या तो बेकारी की है। अतः इस पर अधिक समय दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के संकल्प पर प्रवर समिति बिठाने की कोई भी व्यवस्था नहीं की जा सकती। विधेयकों के सम्बन्ध में ही प्रवर समितियां बिठाई जाती हैं। पंचवर्षीय योजना के लिये भी इस तरह की सिफारिश की जानी चाहिये कि सरकार को काम करने में सुविधा हो। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी सदन के समक्ष विचार प्रकट करें।

श्री एस० एस० मोरे : सुझावों की कोई भी कमी नहीं ....

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान, समय गुज़रने के साथ-साथ यह आवश्यक हो जाता है कि तथ्यसंबंधी आंकड़ों का पुनर्मूल्यांकन हो, और यही काम हम ने बेकारी के सम्बन्ध में भी किया। जहां तक सेवा नियोजनालयों का सम्बन्ध है, बेकारों की संख्या में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। सितम्बर के अंत तक ५१२,००० लोगों का पंजीयन हुआ है, और मई में १२०,००० का पंजीयन हुआ था जब कि जुलाई में १३६,००० लोगों का पंजीयन हुआ किन्तु सितम्बर में बेकारों की संख्या का पंजीयन १२२,००० तक पहुंचा। मई में २६,००० जगहें खाली थीं और अगस्त में १७,००० किन्तु सितम्बर में फिर से खाली जगहों की संख्या में वृद्धि हो कर १९,००० तक पहुंची, और इन पर जितने भी आदमी लगाये गये, उन की संख्या कुछ घटती नजर आ रही है।

तो, श्रीमान, मेरा विचार है कि स्थिति इतनी बिगड़ी नहीं है कि कोई चिन्ता की जाय। सेवा नियोजन तथा पुनर्संस्थापन महानिदेशक की सितम्बर की रिपोर्ट से पता चलता है कि अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में अधिक लोगों को काम दिया गया।

उद्योगों से सम्बन्धित सेवानियोजन के आंकड़े तो जुलाई, १९५३ तक के हैं। और इन में जो भी विकास हुआ है वह इस प्रकार है। वस्त्र-उद्योग म जुलाई में ८१९,००० लोगों को काम दिया गया और अगस्त में ८२१,००० लोगों को। जूट उद्योग में जुलाई, अगस्त और सितम्बर में २६५,००० लोगों को काम मिला था। सीमेंट उद्योग की स्थिति में स्पष्ट सुधार हुआ है क्योंकि जुलाई में

२२,२०० को काम मिला था और सितम्बर में २५,९०० को। कागज उद्योगों तथा प्लाई-वुड की चाय पेटियां बनाने वाले उद्योगों में अधिक लोगों को काम मिला है । किन्तु, कोयला उद्योग में पहले २२९,००० लोगों को काम मिला था और अब इस आंकड़े में १९,००० की कमी हुई है । मालूम देता है कि श्रमिक मजदूरी करने के लिए गांव में गये और इस के फलस्वरूप यह संख्या घट गई । मशीनी औज़ार बनाने वाले, पावर आल्कोहल (मद्यसार) तथा रिफ्रेक्टरीज़ के कारखानों के पंजीयन से भी यही पता चलता है कि कम लोगों को काम मिला है । अतः इस सारी स्थिति को देख कर यही कहा जा सकता है कि काम दिलाने या पाने की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है ।

अब, सदन यह जानना चाहेगा कि हम ने जो विशेष पूछताछ की है उस का क्या परिणाम हुआ है । बेकारी के विषय में हम ने योजना आयोग के मारफत पूछताछ की थी (१) नमूने के आधार पर २३ नगरों में बेकारी का प्रारम्भिक सर्वेक्षण; (२) दिल्ली के नौकरी दफ्तरों के रजिस्टर के विषय में नमूने की जांच; (३) तिरुवांकुर-कोचीन में बकारी के विषय में जांच; और (४) कलकत्ता में बेकारी के विषय में जांच । इस के अतिरिक्त राष्ट्रीय नमूना परिमाप संगठन भी अपने नियमित कार्यक्रम के अनुसार ९६० ग्रामों, ५३ नगरों और कलकत्ता बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली इन चार बड़े शहरों में बेकारी सम्बन्धी आंकड़े एकत्र कर रहा है ।

अब, पहली दो मदों के विषय में परिमाप पूरा हो चुका है और लगभग १० सप्ताह में उस के परिणाम हमें पता लग जायेंगे । तीसरी मद अर्थात् तिरुवांकुर-कोचीन के विषय में जांच आरम्भ होने वाली है और चौथी मद अर्थात् कलकत्ता के विषय में भी परिमाप हो चुका है और आंकड़े फैलाने का काम आरम्भ हो रहा है । इसी बीच पश्चिमी बंगाल द्वारा बेकारी के विषय में तैयार किया गया एक प्रारंभिक प्रतिवेदन योजना आयोग के विचाराधीन है । एक भाषण में यह कहा गया था कि इस समस्या के अध्ययन के लिये कोई जांच आयोग या जांच समिति नियुक्त की जानी चाहिये । मेरा कहना यह है कि हमें जो पूछताछ आवश्यक जान पड़ती थी वह तो हम कर ही रहे हैं, अतः सरकार के लिये कोई तथ्य-शोधक समिति या आयोग नियुक्त करना आवश्यक नहीं है ।

अब उपचारों के विषय में हमें सब से पहले आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह समझना चाहिये । पहले के भाषणों में इस वर्ष के आरम्भ से भावों के बढ़ने की बार बार चर्चा की गई थी । उस समय अर्थ-व्यवस्था के विविध प्रवाहों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि मुद्रा-प्रसार का दबाव तो कदाचित ही कोई हो । अतः ऐसा प्रतीत होता था कि भावों में कोई चढ़ाव नहीं होना चाहिये । मुझे तो, श्रीमान् यही विश्वास था और हाल ही के महीनों में मूल्य-निर्देशिका से इस बात की पुष्टि हो गई है सितम्बर से भाव गिरने लगे हैं और ७ नवम्बर को समाप्त होने वाले सप्ताह में मूल्य-निर्देशिका संख्या ३९१·५ थी जब कि अगस्त के मध्य में वह ४१२ थी । गत कुछ मासों से थोक के मूल्यों में ४·८ प्रतिशत की कमी हुई है । १४ नवंबर को समाप्त होने वाले सप्ताह में उपभोग की वस्तुओं सम्बन्धी मूल्य निर्देशिका संख्या ४१० से गिर कर ३८४·५ रह गई । औद्योगिक कच्चे माल का थोक मूल्य ४९० से घट कर अगस्त के मध्य में ४३५ रह गया । अर्धनिर्मित तथा निर्मित माल के भावों में भी गिरावट है । बंबई और दिल्ली जैसे स्थानों में निर्वाह-अंक-निर्देशिका संख्या अभी

[श्री सी० डी० देशमुख]

कम नहीं हुई है परन्तु अहमदाबाद, कलकत्ता, मद्रास और कटक जैसे स्थानों पर यह भी गिरने लगी है और संकेत यही मिलता है कि निर्देशिका संख्या आगामी मासों में कम होगी ।

इस वर्ष के पूर्ववर्ती भाग में भावों का जो रुख़ था उस से कुछ चिन्ता सी उत्पन्न हो गई थी, यह रुख बहुत अप्रत्याशित था और शायद अच्छा था । परन्तु अन्य बातों के रुखों को देखते हुए यह अवश्य पता लगता है कि क्रय-शक्ति कुछ घट गई है । यह एक आश्चर्यजनक बात थी जिस का स्पष्टीकरण कोई नहीं दे सकता था कि भाव बढ़ना और लोगों को काम मिलने में कमी होना ये दोनों बातें कैसे संगत हो सकती हैं ।

हम ने अब थोक के मूल्यों की निदशिका का पूरी तौर से पुनरीक्षण कर लिया है अतः अब तक के रुखों का जो हिसाब लगाया गया है उस के वर्तमान आंकड़े बहुत कुछ ठीक हैं ।

खाद्यान्न के विषय में माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि १९५२-५३ में खाद्यान्न का उत्पादन गत वर्ष से ५० लाख टन अधिक था और १९५३-५४ में भी अच्छी फसल की आशा है । औद्योगिक उत्पादन में से भी वृद्धि हो रही है, १९४६ के उत्पादन को आधार बना कर १०० रखा जाये तो १९५१ में यह बढ़ कर ११७·२ और १९५२ में १२८·९ हो गया । जनवरी से अगस्त १९५३ की कालावधि में वह औसतन १३३·६ था जब कि १९५२ की उसी कालावधि में १२५·२ था । वस्त्र, कागज, रासायनिक पदार्थ, बाइसिकल, सीने की मशीनें, शी कीशे शीट और अधिकांश यंत्र उद्योगों में इस वर्ष के आठ मासों में गत वर्ष के तत्स्थानीय आठ मासों से अधिक उत्पादन हुआ है । परन्तु पटसन के सामान, रंग रोगन, रिफ्रेक्टरी, प्लाई-वुड, अलौह धातुओं और डीजल इंजनों में कुछ कमी हुई है ।

अब, मेरे विचार में आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इस से कोई गम्भीर चिन्ता हो । प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान स्थिति में स्थायित्व है अथवा अस्थिरता के चिन्ह हैं । अतः बुनियादी प्रश्न यह है कि क्या अर्थव्यवस्था में कुल मांग ऐसी गति से बढ़ती जा रही है या नहीं कि उस से चालू उत्पादन की पूरी खपत तो हो ही जाये अपितु उस में विकास को भी प्रोत्साहन मिले जिस से कि आय बढ़ सके और लोगों को अधिक काम मिल सके । मुख्य समस्या यही है कि क्या हमारी अर्थ-व्यवस्था में इतनी पूंजी लगी हुई है कि उत्पादन तथा काम मिलने की स्थिति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाय । मेरा संशोधन इसी समस्या के सम्बन्ध में है ।

श्रीमान्, जैसा कि सदन को विदित है सरकारी उद्योग में गत दो वर्ष में बहुत पूंजी बढ़ा दी गई है । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें इस वर्ष लगभग ४१५ करोड़ रुपये विकास के लिये खर्च करेंगी जो कि १९५१-५२ से १५० करोड़ अधिक है अर्थात् ५६ प्रतिशत अधिक है । गैर-सरकारी उद्योगों में जो पूंजी लगी है उस के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । ऐसे समय जबकि सब कुछ ठीक चल रहा था अर्थव्यवस्था में शिथिलता के सामान्य चिन्हों और बेकारी की वृद्धि के अतिरिक्त विभिन्न मांगों के दबाव के कारण अर्थ-व्यवस्था पर कुछ भार पड़ना चाहिये था और काम की स्थिति पर्याप्त अच्छी होनी चाहिये थी । यह स्पष्ट है कि उद्योगों में पर्याप्त पूंजी नहीं लगाई गई । सामग्री की अपर्याप्तता के कारण इस समय यह बताना कठिन है कि किस क्षेत्र में पूंजी का विनियोग कम हुआ है या कौन इस में पिछड़ा हुआ है, किन्तु सारी स्थिति के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है । इस संबंध

में गत मई में प्रकाशित पंचवर्षीय योजना की जो प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी गई थी उस के बारे में आरम्भ में जो कतिपय वक्तव्य दिये गये थे उन के कारण जो गलतफहमी हो गई है मैं उसे दूर करना चाहूंगा। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र में औद्योगिक पूंजी विनियोग का जो लक्ष्य रखा गया था उस में बहुत कम प्रगति हुई है। हाल के महीनों में योजना आयोग ने इस विषय पर विचार किया है और यह देखा गया है प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट में जो वक्तव्य दिये गये हैं उन्हें कुछ स्पष्ट करने की आवश्यकता है। योजना में यह आशा प्रकट की गई है कि उद्योगों में निजी क्षेत्र में पांच वर्ष के पश्चात् २३३ करोड़ रुपये की पूंजी लग जायेगी। योजना आयोग के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उन से यह पता चलता है कि प्रथम दो वर्षों में लगभग ५२ करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई है। इस हिसाब से ५ वर्ष में कुल १३० करोड़ रुपये की पूंजी लगेगी। इस प्रकार यह स्थिति असन्तोषजनक प्रतीत होती है। किन्तु और अधिक सूक्ष्म परीक्षा के पश्चात निराश होने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। पांच वर्ष के लिये कुल २३३ करोड़ रुपये के विनियोग की जो आशा की गई है उस में ६४ करोड़ रुपये पैट्रोल शोधन के कारखानों के लिये, ४३ करोड़ रुपये लोहे और इस्पात के लिये और ९ करोड़ रुपये अल्यूमीनियम के लिये भी सम्मिलित हैं। दूसरे शब्दों में इन तीन उद्योगों के विकास में पांच वर्ष की अवधि में कुल ११६ करोड़ रुपये लगाये जाने की आशा थी। योजना के प्रथम दो वर्षों में विभिन्न कारणों से इन महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास पर लोहे और इस्पात पर लगभग ४·५ करोड़ रुपये और पैट्रोल शोधन के कारखानों पर ३ करोड़ रुपये लगाये गये। यदि इन तीन उद्योगों के मामले अलग रखे जायें तो हम देखते हैं कि योजना में ५ वर्ष के लिये ११७ करोड़ रुपये के लक्ष्य के प्रति-औद्योगिक क्षेत्र में प्रथम दो वर्षों में ४४ करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई है। अतः यदि इस दृष्टि से देखा जाये तो प्रथम दो वर्षों की प्रगति लक्ष्य के अनुसार ही हुई है। पैट्रोल शोधन के कारखानों और लोहे तथा इस्पात के विस्तार को बढ़ाने के लिये अब आवश्यक तैयारी कर ली गई है और योजना के शेष वर्षों में इन पर भारी व्यय होने की आशा है। चालू वर्ष में औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी विनियोग के ५३ करोड़ रुपये तक बढ़ जाने की आशा है और इस हिसाब से योजना में जो २३३ करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है वह लगभग पूरा हो जायगा। मैं इस बात का उल्लेख इसलिये कर रहा हूं क्योंकि पूंजीपतियों की ओर से कई बार इस प्रकार के वक्तव्य दिये गये हैं कि सरकारी क्षेत्र को बढ़ाने के लिये निजी क्षेत्र में पूंजी नहीं लगाई जा रही है, किन्तु योजना आयोग का यह कहना है कि सम्भवतः दोनों ही क्षेत्रों में शिथिलता है और इन्हें उपलब्ध सूचकों के आधार पर देखा जा सकता है। ये सूचक क्या हैं? सारे विनियोग की अधिकांश राशि का निश्चय करने के लिये तीन बातों का निरन्तर ध्यान रखना पड़ता है। एक तो मूल्य-स्तर है; दूसरी काम की स्थिति है और तीसरी विदेशी मुद्रा की स्थिति है। पहिली से यह पता लगता है कि व्यावसायिक क्षेत्र में पूंजी का विनियोग बिना अधिक खतरे के किया जा रहा है क्योंकि अब मूल्यों का रुख निश्चय ही नीचे की ओर है। यदि ये चढ़ रहे होते तो यह एक प्रकार का खतरे का चिन्ह समझा जाता। दूसरे सूचक, अर्थात् काम की स्थिति से यह पता लगता है कि पूंजी विनियोग और बढ़ाना चाहिये क्योंकि मेरे विचार में इस बारे में जरा भी सन्देह नहीं है कि इस समय बकारी बहुत अधिक है। तीसरा

[श्री सी० डी० देशमुख]

सूचक, अर्थात्, विदेशी मुद्रा की स्थिति ही वस्तुतः एक प्रकार से प्रधान सूचक है और उस से इन दो परिणामों की पुष्टि होती है, अर्थात्, यदि पूंजी विनियोग में पर्याप्त व्यय न किया जाये और कुल मांग पर जिस में कि विदेशों से आयात किये जाने वाले संसाधनों की मांग भी सम्मिलित है पर्याप्त बोझ न पड़े तो हम देखेंगे कि हम अपनी विदेशी मुद्रा में से पर्याप्त व्यय नहीं कर रहे हैं। जून १९५२ को समाप्त होने वाले १२ मासों के हमारे विदेशी लेखे में १३४ करोड़ रुपये के चालू लेखे के घाटे की तुलना में जुलाई से दिसम्बर १९५२ तक की अवधि में ६३.५ करोड़ रुपये का आधिक्य रहा और १९५३ के पूर्वार्ध में यह लगभग बराबर रहा क्योंकि पहिली तिमाही में १४ करोड़ रुपयें का आधिक्य रहा और दूसरी तिमाही में १३.५ करोड़ रुपये का घाटा रहा। देश में खाद्य उत्पादन के स्तर को देखते हुए निकट भविष्य में भुगतान सन्तुलन में प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होगी ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है। रिज़र्व बैंक में इस समय पौंड पावना ७०० करोड़ रुपये से अधिक है और यदि ४०० करोड़ रुपये सामान्य सुरक्षित मुद्रा के लिये अलग रख दिये जायें और १०० करोड़ रुपये पूंजी लेख के कतिपय दायित्वों को पूरा करने के लिये तथा अप्रत्याशित घटनाओं के लिये रख दिये जायें तो भी लगभग २०० करोड़ रुपये योजना की शेष अवधि में हमारी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रयोग किये जा सकते हैं। इस के अतिरिक्त इस वर्ष हमें बाह्य सहायता से जो धन प्राप्त हुआ है उस से और गत वर्ष के अधिकार से शेष लगभग ११९ करोड़ रुपये और मिल सकेंगे। सम्भवतः यह आशा करना अनुचित नहीं होगा कि बाहर से और कुछ अच्छी राशि सहायता के रूप में मिलेगी। अतः अर्थ नीति का सामान्य उद्देश्य यह होना चाहिये कि इन बाह्य संसाधनों का पूरा पूरा उपयोग उठाया जाये। योजना को सफलता से क्रियान्वित करने के लिये विदेशी मुद्रा की सुदृढ़ स्थिति निश्चय ही अच्छी है, किन्तु आवश्यकता से अधिक सतर्कता भी अच्छी नहीं और इस प्रकार के रक्षित धन का आवश्यकता से अधिक संग्रह भी नहीं करना चाहिये। यदि इन परिस्थितियों में अपर्याप्त पूंजी विनियोग और काम का अभाव चलता रहे तो इस से यह पता लगता है कि निजी या सरकारी क्षेत्र में पर्याप्त व्यय नहीं किया जा रहा है। अतः इस से यह परिणाम निकलता है कि यदि काम की समस्या को हल करना है तो इतना अधिक पूंजी विनियोग होना चाहिये कि जो कोई भी विदेशी पूंजी के संसाधन उपलब्ध हो सकें चाहे वे पिछली बचत से हों या चालू वर्तमान सहायता से उपलब्ध हों उन से पूरा पूरा लाभ उठाया जा सके और यदि एक ऐसे देश में जहां कि बड़े बड़े विकास कार्यक्रम किये जाने हों बाह्य पूंजी का आधिक्य हो जाये जिस का वस्तुतः यह अर्थ है कि वह देश रक्षित पूंजी के इकट्ठा हो जाने के कारण विदेशों से थोड़े समय के लिये ऋण ले रहा है तो यह बड़ा हास्यास्पद होगा। इन तीनों बातों पर विचार करने के पश्चात् हम यह स्पष्ट रूप से मानते हैं कि इस अर्थव्यवस्था में पूंजी विनियोग को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है और इस के लिए क्षेत्र भी है .....

उपाध्यक्ष महोदय : इस का यह अथ भी हो सकता है कि इस में कोई प्रगति नहीं हुई।

श्री सी० डी० देशमुख : इस में इतना पर्याप्त व्यय नहीं हुआ कि सामान्य मांगों में जिन में कि विदेशों से आयात किये जाने वाले संसाधनों की मांग भी सम्मिलित है, वृद्धि हो

सके । अपनी रक्षित विदेशी मुद्रा का प्रयोग करने के लिये आयात आधिक्य करने के हेतु पर्याप्त व्यय किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मूल्यों में कमी के साथ साथ काम कैसे बढ़ाया जा सकता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मूल्य गिरने बन्द हो जायेंगे । सम्भवतः मूल्य थोड़े चढ़ने लगें । जब तक वे काबू से बाहर न निकल जायें तब तक स्थिति ठीक रह सकती है । योजना आयोग और राजकोषीय तथा मुद्रा अधिकारियों के सामने यही तो समस्या है । इसी कारण तो योजना आयोग ने हाल ही में योजना में १७५ करोड़ रुपये की वृद्धि करने का निश्चय किया है और यदि सदन चाहे तो इस का विस्तृत ब्यौरा मेरे सहयोगी, योजना मंत्री सदन के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे । मैं यह बताना चाहता हूं कि इस वृद्धि से सरकारी क्षेत्र में विकास व्यय प्रथम दो वर्षों के ३०० करोड़ रुपये से कुछ कम की तुलना में आगामी दो वर्षों में कुल मिला कर ६२५ करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगा ; हम यह व्यय दुगुने से भी अधिक कर रहे हैं । और इस के साथ ही गत वर्ष के व्यय की तुलना में आगामी दो वर्षों में विकास व्यय चालू वर्ष से २०० करोड़ रुपये से भी अधिक होगा । मैं समझता हूं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो दीर्घकालीन योजना के आधार पर बेकारी की स्थिति में और अधिक सुधार करने की मांग करता हो यह बात स्मरण रखनी चाहिये । इतने व्यय से आन्तरिक धन की आय अवश्य बढ़ेगी । इस से निश्चय ही काम की मात्रा बढ़ेगी और इस से विदेशी मुद्रा की मांग भी बढ़ेगी । हम ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं ।

सरकारी विनियोग में इस वृद्धि से काम की मात्रा में कुल कितनी वृद्धि होगी इस का सरलता से अनुमान नहीं लगाया जा सकता । ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिस से इस की गणना की जा सके, परन्तु हम ने इस बात का ध्यान रखा है कि जिन योजनाओं पर आगामी वर्षों में व्यय किया जाये उन से काम को मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हो । संभवतः सदन यह जानना चाहता हो कि इस समय जो योजनायें चल रही हैं उन से काम की कितनी वृद्धि हुई है । उदाहरण के लिये केन्द्रीय नदी घाटी परियोजनायें ही हैं । काम की ऋतु में १९५२-५३ में दामोदर घाटी निगम में प्रति मास ३१०००-३८००० लोग काम करते थे । हीराकुड परियोजना में .....काम पर लगे हुए थे .....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस के भी अलग अलग आंकड़े हैं कि कितने शिक्षित व्यक्ति काम पर लगे हुए थे और कितने अशिक्षित व्यक्ति काम पर लगे हुए थे

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे पास अलग अलग आंकड़े तो नहीं हैं, किन्तु एक सामान्य सूत्र सा निकाला जा सकता है कि काम करने वालों में से लगभग १५ प्रतिशत व्यक्ति तो शिक्षित हैं और शेष निपुण तथा अनिपुण श्रमिक या कारीगर, बढ़ई लोहार फोरमैन इत्यादि हैं ।

हीराकुड परियोजना में २२,००० व्यक्ति काम पर लगे हुए थे; काकरपाड़ा परियोजना में ८,६०० व्यक्ति और भाखड़ा नंगल में प्रति मास ७०,९०० व्यक्ति काम करते थे । जून १९५३ को समाप्त होने वाले नौ मासों में सामुदायक परियोजनाओं में ४,५०० व्यक्ति कर्मचारियों के रूप में काम पर लगे हुए थे और लगभग इतने ही व्यक्ति विभिन्न निर्माण योजनाओं के सम्पादन में परियोजनाओं के क्षेत्रों में काम पर लगे हुए थे । १९५३-५४ में सामुदायक विकास खंडों और राष्ट्रीय विस्तार खंडों के कर्मचारी वर्ग में लगभग

[श्री सी० डी० देशमुख]

११,००० कामकरों के काम पर लगने की आशा है और निर्माण कार्यों के सम्पादन में लगभग १०,००० व्यक्तियों के काम पर लगने का अनुमान लगाया गया है । शिक्षा सम्बन्धी विस्तार की जिन योजनाओं की घोषणा की जा चुकी है और जिन की अब मंजूरी दी जा रही है उन के फलस्वरूप १६,००० से अधिक ग्रामीण अध्यापकों के काम पर लगने का अनुमान लगाया गया है और इस के आगे और मंजूरियों पर विचार किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में से कितना स्थायी और चिरस्थायी होगा ? भाखड़ा-नंगल तो पांच वर्ष पश्चात् समाप्त हो जायेगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : उसका स्थान लेने के लिये सदा और नदी घाटी परियोजनायें तो रहेंगी ही । बहुत सी परियोजनाओं की तो पहले ही पंक्ति लगी हुई है : हम कोसी की जांच कर रहे हैं । कोयना अभी आरम्भ करनी है । दक्षिण में कृष्णा नदी परियोजना भी बनेगी । चम्बल भी तैयार हो रही है ।

कुमारी एनी मस्करीन : दक्षिण में और कोई भी है ?

श्री देशमुख : मेरे विचार में कृष्णा दक्षिण में ही है ।

कुमारी एनी० मस्करीन : त्रिवेन्द्रम आगे और दक्षिण में ?

श्री सी० डी० देशमुख : तुंगभद्रा तो लगभग समाप्त हो चुकी है ।

कुमारी एनी मस्करीन : अब तो यह एक स्वप्न है ।

श्री सी० डी० देशमुख : आगे और दक्षिण में कोयम्बटूर जिले में और किस की मंजूरी दी गई है इसका विस्तृत ब्यौरा मेरे माननीय सहयोगी योजना मंत्री बतलायेंगे । वह ४० करोड़ रुपये का ब्यौरा बतलायेंगे ।

यदि दक्षिण से अभिप्राय ट्रावनकोर कोचीन से है तो मैं नहीं जानता कि मैं इस का क्या उत्तर दूं ।

अब मैं असरकारी उद्योगों को लेता हूं । हम मानते हैं कि उनमें पूंजी लगाने के लिये हमें भरसक प्रोत्साहन देना चाहिए । इस मामले पर हमें विरोधी दल से समझौते की कदापि आशा नहीं हो सकती । इस का समर्थन तो हम इसी आधार पर कर सकते हैं कि किसी न किसी रूप में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चालू रखा जाये । विरोधी सदस्यों नें अपने भाषणों में यह कहा है कि सबको पूरा काम तो तभी मिल सकता है जब कि समाजवाद की स्थापना हो जाये । मेरे विचार में ऐसा सुझाव तो नहीं दिया गया है कि यह कार्य साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करने से ही सम्पन्न हो सकता है, क्योंकि प्रस्तावक ने भूमि का वितरण तथा आर्थिक सहायता के लिये ५० करोड़ रुपये की निधि का निर्माण, यह दो ही उपचार सुझाये हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा साम्यवादी देश है जहां बकारों को पूर्त सहायता देने के लिये धन अलग रखा जाता हो ।

श्री एस० एस० मोरे : वहां तो बेकारी है ही नहीं ।

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : बीस वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी ?

श्री सी० डी० देशमुख : उनका यह कहना तो मेरी समझ में आ सकता था कि

ये सभी कठिनाइयां इस कारण हैं कि हमारी अर्थ व्यवस्था ठीक नहीं है, हमारा अर्थ दर्शन गलत है। परन्तु उनका यह सुझाव मेरे समझ में नहीं आता कि जो कुछ भी कठिनाई है वह पूर्त सहायता से दूर हो सकती है।

असरकारी उद्योगों में अधिक पूंजी लगाने को प्रोत्साहित करने के अनेक उपाय हैं। एक उपाय तो उद्योग विकास निगम की स्थापना है। इस पर हम बहुत विचार कर चुके हैं और शोघ्र ही कोई विनिश्चय कर लेंगे। मैंने उद्योग मंत्रणा परिषद के गत अधिवेशन में जो आश्वासन दिया था उसे मैं दोहराना चाहता हूं कि यदि उद्योगों को दीर्घकालिक पूंजी के अभाव में कोई कठिनाई पड़े तो सरकार उनकी सहायता करने में हर्ष अनुभव करेगी, यदि वे ठोस योजनायें पेश करें। परन्तु प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर विचार करना होगा। जहां तक अल्पकालिक बैंक वित्त का सम्बन्ध है रक्षित बैंक ने इस मामले पर विचार करने के लिये श्री शरीफ की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। आर्थिक प्रोत्साहन देने के विषय में तो हमें करारोपण जांच समिति की सिपारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी। मेरा तो अभी यह कहना है कि सरकार गैरसरकारी उद्योगों के विकास में सहायता देने के लिये तत्पर है जहां तक साधन उपलब्ध हों और जहां तक कि ऐसा करना सार्वजनिक हित के अनुरुप हो।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सरकारी उद्योगों में पूंजी को कम कर दिया जाये ताकि गैरसरकारी उद्योग के लिये अधिक क्षेत्र मिल सके। मेरे विचार में यह निदान ठीक नहीं है। अधिक सम्भावन तो यह है कि यदि इस समय सरकारी उद्योगों जो कम कर दी जायेगी तो मुद्रा संकुचन बढ़ जायेगा और इस से अधिक बेकारी फैलेगी।

सरकार गैर-सरकारी उद्योग को दीर्घकालिक ऋण सहायता तो देने के लिये तैयार है ही, इसके अतिरिक्त विशेष उद्योगों की अपनी अपनी विशेष समस्यायें भी हैं उदाहणार्थ कुछ उद्योगों में उत्पादन सामर्थ्य है परन्तु उनके लिये कार्य नहीं है। उनके लिये पृथक पृथक विचार करना होगा और इस विषय में सक्रिय जांच की जा रही है।

अन्तत : मैं यह कहना चाहता हूं कि बेकारी की इस समस्या के भी अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक दो पहलू हैं। दीर्घकालिक पहलू पर तो मैं बोल चुका हूं। अल्पकालिक पहलू के विषय में मैं यह मानता हूं कि जहां भी कोई कष्ट हो उसका कुछ निवारण तो होना ही चाहिए। प्रस्तावक के साथ मेरा यही मतभेद है कि वे समझते हैं कि इस कष्ट निवारण की उपयोगी उपाय पूर्त सहायता है, परन्तु मैं समझता हूं कि यथासंभव हमें कोई काम उनके लिये ढूंढना चाहिए चाहे वह पूर्णत: उत्पादक हो या अंशत: उत्पादक हो। यदि हम ऐसा करलें, जैसा कि दुर्भिक्ष या अभाव की स्थिति में सहायता के लिये किया जाता है, कि बेकारी को दूर करने के लिये कोई ऐसी योजनायें बनाई जायें जो इच्छानुसार विस्तृत या संकुचित की जा सकें, तो समस्या का समाधान हो जायेगा। हां, इस युक्ति का इस के आगे भी विस्तार करना होगा। समस्या किसी विशेष विपत्ति के सम्बन्ध में नहीं है, अपितु समूची अर्थ व्यवस्था पर छाई हुई दीख पड़ती है। अतएव विभिन्न प्रकार की योजनायें बनानी होगी। कुछ योजनायें नगरों के लिये होंगी जिन से शिक्षित बेकारों की समस्या हल होगी, और कुछ योजनायें ग्राम सम्बन्धी होंगी जो योजना

[श्री सी० डी० देशमुख]

में सन्निहित योजनाओं में बची कमी को पूरा करेंगी । मेरा तो विशेषतः यह ख्याल है कि परिवहन के कार्यक्रम के विस्तार से इस चीज में पर्याप्त सहायता मिल सकती है ।

अंततोगत्वा मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे यह समझ में नहीं आता कि इस बेकारी की समस्या में भूमि के पुनर्वितरण से क्या सहायता मिल सकती है । इसका तो प्रभाव बेकारी का पुनर्वितरण ही हो सकता है ताकि थोड़े लोगों के स्थान पर अधिक लोगों को पूरा काम नहीं मिलेगा । इसका यह आशय नहीं है कि मैं भूमि के पुनर्वितरण का कोई महत्व नहीं समझता । इस विषय में हमारे दर्शन तनिक भिन्न हो सकते हैं । इस मार्ग में जो सांविधानिक बाधायें हैं उनके अधीन रहते हुए हम भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ।

श्रीमान्, मुझे अपने संशोधन के समर्थन के लिये इस विषय पर यही सामान्य बातें कहनी हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं जानना चाहती हूं कि पूंजी तथा उत्पादन लक्ष्यों के विषय में सरकार का वह प्रतिवेदन कब तक पूरा होगा जिसके प्रति मंत्री जी ने निर्देश किया है । और क्या विद्यमान योजना का पुर्निर्माण हो रहा है ।

श्री सी० डी० देशमुख : दूसरे प्रश्न का उत्तर "हां" है । पहले प्रश्न के विषय में कोई प्रतिवेदन नहीं है । मैंने तो प्रगति विवरण में गैर-सरकारी उद्योगों के विकास सम्बन्धी कुछ बातों पर टिप्पणी की है । यदि उनका आशय यह है कि दूसरा प्रगति विवरण कब पेश होगा तो मैं अभी नहीं कह सकता कि वह इस सत्र में होगा या बाद में ।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन को वित्त मंत्री का कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने आर्थिक प्रश्नों का स्पष्टीकरण किया यद्यपि बेकारी की समस्या सिफारशें के सम्बन्ध में उनकी की गई सिफारशें इन बातों से मेल नहीं खातीं ।

मैं यह बताना चाहूंगा कि योजना आयोग ने इस बात के आधार पर सिफारशें नहीं की थीं कि हमारे देश में काम पाने के इतने बड़े साधन होंगे । योजना आयोग उस समय बना जब मुद्रास्फीति जोरों पर थी और कोरिया युद्ध के लिये विश्व में सामान जुटाया जा रहा था । अतः यह स्पष्ट है कि यह आयोग सेवानियोजन या बेकारी की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से सुलझाने के लिये कोई भी कदम नहीं उठा सकता था । किन्तु आज स्थिति भिन्न है । हमारे देश की अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त स्थिति में है । यहां के व्यापार का ह्रास हो चुका है और सेवा नियोजनालयों में भी इस तरह के साधन नहीं दिखाई दे रहे कि लोगों को काम दिलाया जा सके । वाणिज्य तथा अन्य व्यवसायों में बेकारी बढ़ती जा रही है । हां, निर्यात से प्राप्त होने वाली हमारी आयों में लगभग ६० करोड़ रुपये की कमी हुई है । यदि आप अच्छी तरह से देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश के बन्दरों पर और दक्षिण भारतीय राज्यों में बेकारी बहुत ही अधिक बढ़ चुकी है । निर्यात की आयों में कमी होने के कारण ट्रावनकोर-कोचीन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है । और व्यापार की शर्तों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है । ये

शर्तें हमारे विपक्ष में हैं जिस से हमारे आयात बहुत ही खर्चीले हो चुके हैं, अर्थात हमें बहुत अधिक धन आयात पर खर्चना पड़ रहा है जिस से हमारी आय कम हो गई है, और देश में मन्दी आ रही है। हमारा व्यापार संतुलन भी घाटे का है, यानी हमें अपने देनगी संतुलन में भी घाटा उठाना पड़ रहा है और दोनों ओर से हमारे निर्यात कम हो गये हैं। चारों ओर से यही लग रहा है कि बहुत संकटग्रस्त स्थिति है और ऐसी अर्थव्यवस्था में लोगों के मन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है : मान लीजिये कि ऐसी स्थिति में कोई मुद्रास्फीति-विरोधक उपचार किया गया तो आप स्वयं ही जान सकते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति कितनी बिगड़ जायेगी। देखिये, इन दिनों की अर्थ व्यवस्था ही एक दम स्थितिशील हो चुकी है। ऐसी स्थिति में हमारे स्थिति में हमारे सामने बहुत सी कठिनाइयां हैं जिन्हें हम सुलझा नहीं सकते। सरकार को चाहिए कि इस स्थिति को गति प्रदान करे ताकि लोगों को काम मिल सके, और शुद्ध आय में बृद्धि हो। यह ठीक है कि मन्दी के कारण व्यापारी पैसा लगाना नहीं चाहते, फिर भी काम में धन लगाने के लिये सरकार उन्हें प्रोत्साहित करे।

[**श्री पाटस्कर** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

मेरे विचार में उत्पादन मंत्री मुझ से इस बात में सहमत होंगे कि सरकार अपर्याप्त मात्रा में काम में पैसा लगा रही है। सच्चाई यह है कि योजना के प्रथम पांच वर्षों में से पहले दो वर्ष, जिन में कोरियाई युद्ध का विश्वव्यापी प्रभाव हम पर भी पड़ा, हम धोखे में रहे, और हमने यही समझा कि सेवानियोजन का कार्य पहले के ही स्तर पर रहेगा। अस्तु इस समय की बेकारी की समस्या को सुलझाने का यही ढंग है कि बहुत बड़े स्तर पर काम दिलाये जाने के लिये धन नियोजित किया जाना चाहिए। यह तो दीर्घकालीन उपचार रहा और अल्पकालीन उपचार के रूप में हमें देश में सेवा नियोजन के स्तर को यहां तक पहुंचाना चाहिए कि बेकारी को तत्काल दूर किया जा सके।

अभी उस दिन किसी माननीय मंत्री ने बतलाया कि हमारी सरकार बहुत सरल ढंग से १५० से १७५ करोड़ रुपये तक व्यय कर सकती है, किन्तु प्रश्न यह है कि किस प्रकार यह राशि व्यय की जानी चाहिए। हमें चाहिए कि हम सर्वप्रथम देश की अर्थव्यवस्था में जान डाल दें। यह कहां तक सहन हो सकेगा कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकरों पर इस की जिम्मेदारी थोपे और राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार पर दोष मढ़ें। जहां तक गैर-सरकारी सार्थों का प्रश्न है, वाणिज्य व्यापार उद्योग वालों ने भी अपना लक्ष्य पूरा नहीं किया है। इस तरह की बातें हास्यपूर्ण लगेगी कि इतना धन व्यय किया जाये। हमारे सामने कोई निश्चित कार्य होना चाहिए जिस पर १५० या १७५ करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी।

श्री सी० डी० देशमुख : कुल १७५ करोड़ रुपये या और इतनी राशि ? इस योजना में १७५ करोड़ रुपये की वृद्धि की जायेगी। अगामी दो वर्षों में इस वृद्धि या विस्तार सहित जो कुल व्यय होगा वह गैरसरकारी व्यापारों के ५३ करोड़ रुपये के अतिरिक्त ६२५ करोड़ रुपये तक का होगा ?

डा० कृष्णास्वामी : मैं उस आंकड़े पर भी विचार करने जा रहा हूं। योजना में बताये गये आंकड़े के अतिरिक्त यह राशि है। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस

[डा० कृष्णास्वामी]

राशि आखिर से करने क्या जा रहे हैं। मैं पहले ही बतला चुका हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था के तीन भिन्न भागों के अन्तर्गत व्यय में कमी हुई है । अतः अर्थव्यवस्था सम्बन्धी नीतियों में प्रगति पैदा करने की आवश्यकता है और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे सामने स्पष्ट रूप में वे नीतियां नहीं हों जिन पर हमें चलना हो । अभी, कुछ दिन पूर्व मैंने ईस्टर्न इकानोमिस्ट पत्रिका में छपे रिजर्व आंकड़ों से यह पता लगाया है कि १९५२-५३ में पौंड पावने में ५११,०००,००० पौंड से ५३६,०००,०.०० पौंड तक बृद्धि हुई है । इसके साथ जो टिप्पणी दी गई है उससे पता चलता है कि रोकड़ बकाया में हमारे पास केवल ८० करोड़ की राशि है । किन्तु पंच वर्षीय योजना के प्राक्लन से पता चलता है कि भारत को १८० से २०० करोड़ रुपये तक का वार्षिक घाटा देना पड़ता तो इस से यही पता चलेगा कि योजना के इस चालू वर्ष में विदेशी विनिमय के सरकारी प्राक्लन कर्त्ताओं ने बताया है कि यह घाटे की राशि २६० करोड़ रुपये तक पहुंच जाती।

मैं मानता हूं कि हमारे समक्ष यह बुनियादी समस्या है कि हमने जिस घाटे के देनगी संतुलन की योजना बनाई है उस में आने वाली वैदेशिक सहायता खप जानी चाहिए । चुनाचि प्रविधिक सहकारिता व्यवस्थापन (टी० सी० ए०)की रिर्पोट से आंकड़ों से पता चलता है कि अभी वैदेशिक सहायता का आधा भाग खर्चा जा चुका है । किन्तु, इस फालतू पैसे को क्या किया जाय । हां, हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि मानसून हमारे पक्ष में है अतः हमें बहुत कम खाद्य आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी और मूल मशीनी वस्तुओं, तथा अन्य मशीनों के आयात पर ज्यादा जोर देना होगा, और वह भी सरकारी हिसाब से । और यदि ऐसा करना पड़ा तो हमें कई नए उद्योगों जैसे इंजन, गाड़ी के डिब्बे, इस्पात, संयंत्र, आदि की स्थापना तथा उनके विस्तार के सम्बन्ध में सोचना होगा । सभापति जी इस लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं हमें प्रथम पंचवर्षीय योजना को बदल कर कोई नई योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस समय पहले पंचवर्षीय योजना बनाई गई उस समय परिस्थिति कुछ और थी, और अब यह सारी परिस्थिति बदल चुकी है । अतः यदि हम बेकारी की समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो हमें सरकारी कोष से व्यय करना होगा । मोनसून की स्थिति बदलने से हमारे आयात निर्यात का नक्शा भी बदल जायेगा । यदि हम किसी बात में प्रगति कर रह हैं तो हमें बुनियादी उद्योगों पर के व्यय को बढ़ाना पड़ेगा और उसका यह फल होगा कि निजी वाणिज्यक क्षेत्र को प्रगति प्रदान होगी । सरकारी हिसाब पर धन नियोजन को विस्तार देने के अतिरिक्त हमें अन्य अनुपूरक उपचारों पर भी धन व्यय करना पड़ेगा । और इस सिलसिले में मेरा यह सुझाव होगा कि रिजर्व बैंक खुले बाजार की नीति का अनुसरण करे ताकि भिन्न भिन्न संस्थाओं के धन नियोजक से प्रतिभूतियां खरीदी जा सकें और व्याज दर कम हो सके ।

हमारे समक्ष यह सुझाव भी रखा गया है कि रिजर्व बैंक को सोना खरीदना चाहिए। मुझे मालूम नहीं कि इससे क्या लाभ होगा, किन्तु, निश्चय ही इस प्रकार के उपचार से अर्थव्यवस्था में विस्तार हो सकेगा।

औद्योगिक विकास निगम बनाने का सुझाव रखा गया है किन्तु इसके लिये

पैसा कहां से और कैसे आये । चुनाचि एतत् सम्बन्धी विधियों के अनुसार राज्य वित्त निगमों को शुरू करने के लिये राज्यों को सहायता देने का प्रश्न १९५१ से विचाराधीन था । यह सुझाव भी दिया गया है कि औद्योगिक वित्त निगमों को उन विविध राज्यों में चालू किया जाना चाहिए जहां वे अभी चालू नहीं किये गये हैं । इस पर राष्ट्रीय विकास परिषद में भी विचारविमर्श हुआ है, और सभी जानते हैं कि योजना आयोग के पास बहुत से काम हैं, अतः वे इस सम्बन्ध में कोई भी उपयुक्त निश्चय नहीं कर सके हैं । वास्तव में योजना आयोग को केवल नीतियां बनाने का काम सौंपा जाय । और उन नीतियों पर की जांच आदि का काम राज्यों में हो जिस का मुख्यालय केन्द्र में हो । निश्चय ही राष्ट्रीय विकास परिषद् फेरबदल और जांच का यह काम करने के लिय ठीक नहीं रहेगी । इसके लिये और कोई समिति होनी चाहिए, निश्चय ही यह नई समिति आयोग को नई बातें समझायेगी, और उन नीतियों में फेरबदल, आदि करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले परिवर्तन बताया करेगी । हमें "जांच करो, भूलचूक देखो और सुधर जाओ" के सिन्द्धात पर चलना चाहिए, क्योंकि बिना इसके हम अपने देशवासियों का जीवनयापन-स्तर ऊंचा नहीं उठा सकते । अतः मैं पुनः यही सुझाव दूंगा कि योजना आयोग का आमूल सुधार होना चाहिए और इसी देश में भिन्न भिन्न एजेन्सियों द्वारा काम का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए, ताकि कुशलतापूर्वक काम हो सके । बेकारी की समस्या हल करने के लिये हमें आर्थिक दृष्टिकोण ही नहीं अपितु प्रसाशन सम्बन्धी दृष्टिकोण को देखना होगा, और सक्रिय रूप से कोई सुलझाव ढुंढना होगा ताकि हमारे देश वासियों की बढ़ती हुई बेकारी को दूर किया जा सके ।

श्री गाडगील : मुझे यह जान कर प्रसन्नता है कि सरकार का संशोधन मामले की परिस्थितियों के अनुसार है । संशोधन में कहा गया है कि सरकार को बढ़ती हुई बेकारी की बड़ी चिन्ता है। और वह पंच वर्षीय योजना में संशोधन करके ऐसे पग उठाने वाली है जिससे इस उद्देश्य की पूर्ति हो ।

श्री दामोदर मेनन (कोजीकोड़े) : क्या मैं जान सकता हूं कि श्री गाडगिल अपने प्रस्ताव पर बोल चुके हैं ?

श्री गाडगील : श्रीमान् नहीं ।

मेरे माननीय मित्र श्री देशमुख ने बहुत से तथ्य तथा आंकड़े बताये हैं और कहा है कि स्थिति बिगड़ नहीं रही है । मेरा मत उनसे कुछ भिन्न है। क्योंकि छपे आंकड़ों से मुझे यह विदित नहीं होता कि व्यवसाय में पर्याप्त बृद्धि हुई है । अपितु निर्वाचन क्षेत्र से जो बातें किसी को विदित होती हैं उनसे पता लगता है कि बेकारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है । यद्यपि मुझे ऐसी घटनाओं का ज्ञान है, जिनसे सिद्ध होता है कि बेकारी बढ़ रही है तथापि मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं । मैं तो यह जानना चाहता हूं कि काम देने के लिये तत्काल क्या किया जा रहा है । नगरों, तथा आंशिक रूप में , गावों में बेकारी इतनी बढ़ गई है कि यदि तुरन्त ही कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो, मैं समझता हूं कि, हम ऐसे संकट में फंस जायेंगे कि हमें अतीत भी भूल जाय ।

श्री एस० एस० मोरे : आपका ठोस कार्यक्रम क्या है ?

श्री गाडगील : एक अंग्रेज अर्थ शास्त्री का कथन है कि "बेकार व्यक्तियों को निरन्तर बेकार रखने की अपेक्षा यह कहीं उत्तम

[श्री गाडगील]

है कि छिद्र करवा कर फिर उन्हें बन्द कराया जाय" । मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि आप इस युक्ति को कार्यरूप दें, परन्तु १९३२ के 'नई सौदे' के आधार पर, जब कि अमरीका को इसी प्रकार के संकट का सामना करना पड़ा था, कुछ अवश्य किया जा सकता है । यदि आप ग्रामीण या नागरिक क्षेत्रों में सड़कों को बनाने का ही कार्यक्रम अपनायें तो उससे अनेकों अशिक्षित और फिर कुछ शिक्षित व्यक्तियों को काम मिलेगा । इस प्रकार उन्हें कुछ सहायता मिल सकती है ।

मैं समझता हूं कि ऐसे कार्य आरम्भ करने के लिये धन की कमी नहीं है जिन से लोगों को काम मिलेगा । हमारे पास धन और व्यक्ति दोनों ही हैं । उचित तथा पर्याप्त काम द्वारा हमें उनके बीच सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए । इसके परिणामस्वरूप हमें आज जो वस्तु भयानक जान पड़ती है कल वही अति उत्तम दिखाई देगी । यदि कार्य कुशल तथा योग्य व्यक्ति बेकार रहते हैं तो इससे केवल उनको हानि नहीं होती अपितु देश को भी होती है । यदि स्थितियां ऐसी ही रहती हैं तो संबंधित व्यक्ति में काम करने का उत्साह समाप्त हो जाता है और उसका हार्दिक हर्ष छिन जाता है ।

मूल संकल्प में सुझाव दिया गया है कि उन्हें पूर्नसहायता (बेकारी भत्ता) दिया जाये । परन्तु मुझे यह विचार अच्छा प्रतीत नहीं होता क्योंकि यह व्यक्ति के स्वाभिमान के विरूद्ध है । लोग जानते हैं कि ये असाधारण परिस्थितियां हैं अतः सरकार यदि कुछ असाधारण कार्यवाही करे तो उचित होगा ।

यहां मैं यह बतादूं कि मुझे नवयुकों के अनेकों पत्र प्राप्त हुए हैं और उनमें उन्होंने लिखा है कि वे विज्ञान और कला के स्नातक हैं । यदि उन्हें सरकारी नौकरी में आने के लिये परिनियत आय सीमा तक नौकरी नहीं मिलती तो वे कहीं के न रहेंगे क्योंकि फिर उनसे छोटे व्यक्ति आकर उन जगहों पर नियुक्त होंगे । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सरकार को नियम में संशोधन करना चाहिए ।

निजी क्षेत्र के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री हमें आश्वासन देते हैं कि पर्याप्त धन लगाया गया है । निजी क्षेत्र के सम्बन्ध में मरा यह सुझाव है कि इस विकास वित्त निगम से सहमत होने के पूर्व सरकार को भली प्रकार विचार कर लेना चाहिए । यदि सरकार निजी क्षेत्र में ऋण देती है तो वह स्वयं ही निर्माणशालाएं क्यों नहीं स्थापित करती ।

श्री सी० डी० देशमुख : सरकार का विचार उन निर्माणशालाओं को खोलने का है जिन्हें खोलने में निजी क्षेत्र वाले पूंजीपति अभी हिचकिचाते हैं ।

श्री गाडगील : यदि ऐसा है तो मेरा निवेदन है कि सारी बात का अधिक नियन्त्रण तथा विनियमन होना चाहिए । यदि सरकार का अन्तिम उद्देश्य एक ऐसी अर्थव्यवस्था करने का है जिस पर उसका पूर्ण नियन्त्रण है ताकि देश में पूर्ण व्यवसाय की नीति पूर्णतः अपनाई जाये, तो निजी क्षेत्रों को अपनी इच्छानुसार प्रबन्ध न करने दिया जाये । निजी व्यवसायों में व्यक्तियों का काम पर लगाना तथा काम से हटाना सरकार द्वारा नियमित ढंग से होना चाहिए । यदि निजी क्षेत्रों को आपकी निश्चित अर्थ-व्यवस्था के ढांचे में काम करना है और हम चाहते हैं कि वे अब हमारी सहायता करें तो मेरा यह सुझाव है कि समस्त समवाओं

को जिनकी प्राधिकृति पूंजी एक लाख रुपये तक और सक्रिय पूंजी पांच या दस लाख रुपये तक हो, विश्वास दिलाया जाये कि अगामी पांच वर्षों तक उन्हें आय कर से छूट दी जायेगी । मेरा विचार है कि इसका कुछ उत्तर अवश्य मिलेगा और प्रत्येक समवाय में कम से कम १०० व्यक्तियों को काम मिलेगा । यह पग तत्काल ही उठाया जा सकता है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री गाडगील : एक मिनट । कुटीर उद्योग की वस्तुओं का कोई ग्राहक नहीं है । मेरा सुझाव है कि, सरकारी तथा अर्ध-सरकारी काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वेतन का ५ प्रति शत भाग प्रचलित मुद्रा में न दिया जाय अपितु उसके लिये कूपन दिये जायें जिनसे वह कुटीर उद्योग की दुकानों आदि पर जाकर कुटीर उद्योग का माल मोल ले । इस प्रकार कुटीर उद्योग को भी सहायता मिलेगी ।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : कहा जाता है कि हमारा यह राज्य जनकल्याणकारी है । प्रत्येक जन-कल्याणकारी राज्य का कर्त्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम दिला दे और जीवन-स्तर को ऊंचा उठाये । मेरे बहुत से साथियों नें कहा है कि देश में बेकारी की स्थति बड़ी विकट है परन्तु किसी ने भी जीवन-स्तर उठाने का निर्देश नहीं किया है । युद्ध के पश्चात् जीवन-स्तर गिर गया है । गत तीन वर्षों में योजनायें बनाने का क्या परिणाम रहा है ? जो मुझे विदित है, उसके अनुसार कोई सुधार नहीं हुआ है । अतः वित्त मंत्री तथा सरकार का यह आशा करना कि पंच वर्षीय योजना के फलस्वरूप हमारी राष्ट्रीय आय में १००० करोड़ रुपये की वृद्धि होगी, केवल कल्पना है । इससे विदित होता है कि हमारी योजना ठीक नहीं है । वास्तव में कठिनाई यह है कि इसमें कोई वैत्तिक योजना नहीं है । वित्त मंत्री हमें बता चुके हैं कि निजी क्षेत्रों नें तो उस आशित पुंजी का आधा धन लगाया होगा । मैं उनसे पूछ सकता हूं कि पूंजीपतियों ने रुपया क्यों नहीं लगाया । इसका कारण यह नहीं है कि उनके पास धन नहीं है अपितु यह है कि वे सोना, आदि में धन लगाना अधिक लाभप्रद समझते हैं । हाल में ही वे विदेशी उद्योगों को मोल लेते रहे हैं । यह विरोधाभासात्मक प्रतीत होता है कि विदेशी पूंजी आकर्षित करने के बजाय हम भारत में लगी विदेशी पूंजी को विदेश भेज रहे हैं । यह क्रिया रुकनी चाहिए । भारतीय उद्योगपतियों का यह प्रथम कर्त्तव्य है कि वे अपने उद्योग के विस्तार में धन लगायें ताकि व्यवसाय के अधिक अवसर उत्पन्न हों ।

उन्होंने मूल्यपात · निधि नहीं रखी थी, जिस के कारण सरकार ने उन्हें उत्पादन घटाते हुए पकड़ लिया । उन्होंने गत २५ वर्ष में बहुत लाभ उठाया है । अब वे कहते हैं कि वे धन न होने के कारण अपनी मशीनरी का नवीकरण नहीं कर सकते और सहृदय सरकार ने उन की सहायता के लिये पूंजी दी है । अन्ततः इसका फल यह हुआ है कि १०० करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी बाहर चली गई है । मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का नाम लेकर योजना आयोग उद्योगीकरण के प्रश्न की अपेक्षा कर रहा है, पांच वर्ष पूर्व सरकार ने देश में लोहे और इस्पात की बड़ी आवश्यकता के सम्बन्ध में अमेरिका और इंगलैंड के तीन परामर्शदात्री समवायों का परामर्श लिया और कहा कि इन प्रति-वेदनों पर तीन मास में कार्यवाही की जायेगी । पांच वर्ष बीत गये हैं और अभी तक कुछ

[श्री मेघनाद साहा]

नहीं किया गया । इस से मेरी गणना के अनुसार ५०० करोड़ रुपये की हानि हुई है ।

अब हमारे पास उद्योग सम्बन्धी कार्यक्रम का एक बड़ा प्रतिवेदन है जो योजना आयोग ने जारी किया है । परन्तु उद्योगों को प्राथमिकता नहीं दी गई । इस कारण बहुत से उपभोग्य वस्तुओं के उद्योग नष्ट-प्रायः हो रहे हैं क्योंकि उन्हें कच्ची सामग्री देने के लिये हमारे पास पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग नहीं हैं ।

सरकार ने विशाखापटम, वालटेयर में एक जहाज बनाने का कारखाना बनाया है । उसका कार्यक्रम एक वर्ष में तीन जहाज बनाना है परन्तु वे इस कार्यक्रम को नहीं निभा सकते । ३ जहाज़ों क लिए उन्हें ८००० टन लोहा तथा इस्पात चाहिये । जिसे वे इस्पात नियंत्रक से प्राप्त करने को ६ मास तक प्रयत्न करते रहे । यह अत्यन्त खेदजनक है ।

इस लिये आपको इस योजना को नष्ट कर देना चाहिए और इसे नये आधार पर आरम्भ करना चाहिए । यह योजना योजना नहीं है और मिश्रित अर्थ-व्यवस्था अर्थ-व्यवस्था नहीं ।

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : माननीय वित्त मंत्री ने जो योजना से गहरा सम्बन्ध रखते हैं संशोधन का प्रस्ताव किया है । यह हर्ष का विषय है कि योजना के ढाई वर्ष पश्चात् बेकारी की समस्या की गम्भीरता को पहचान लिया गया है । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस समस्या को नकारात्मक ढंग से नहीं वरन् सकारात्मक ढग से हल किया जाये । बेकारी का दूसरा पक्ष जन शक्ति की समस्या है अर्थात् जन शक्ति का प्रचालन किस प्रकार किया जाए । उद्योग, कृषि तथा अन्य विकास सम्बन्धी कार्यों में जनशक्ति एक प्रमुख संसाधन है । यह सरकार के समक्ष एक समस्या न होते हुए एक शुभ अवसर है कि वह राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिये जन-शक्ति का प्रचालन और उपयोग कर सके । १९१७ से प्रत्येक देश ने इस समस्या को सुलझाया है, जब जन-शक्ति प्रचालन बोर्ड और जन संसाधन संघठन इत्यादि बनाये गये थे । वे मानव शक्ति का वर्गीकरण असैनिक उद्योग, असैनिक सेवाओं, रक्षा उद्योग तथा रक्षा सेवाओं के लिये उपयोगी व्यक्तियों के आधार पर करते थे ताकि सेवा प्राप्त करने वालों को उपयुक्त पदों पर नियुक्त किया जा सके ।

व्यक्तियों की उपयुक्त नियुक्तियों के लिये महत्वपूर्ण बातें जन-शक्ति का प्रशिक्षण जन-शक्ति प्रचालन और जन-शक्ति का उपयोग आदि हैं । अभी तक हमारे योजना बनाने वालों ने समस्या को इस दृष्टिकोण से नहीं समझा । मैं माननीय योजना मंत्री को बताना चाहता हूं कि अन्य देश इस समस्या को नकारात्मक समस्या के रुप में हल नहीं करते वरन् वे जन-शक्ति का उपयोग राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय रक्षा के हेतु करते हैं । प्रत्येक उन्नतशील देश कम से कम चालीस या पचास वर्ष से ऐसा ही कर रहा है । हमारे देश की योजना का अधिक भाग, जिस पर हमारे राष्ट्रीय व्यय का ५५ प्रतिशत व्यय होता है, रक्षा-योजना के क्षेत्र से सर्वथा अलग है । अतः हमारी योजना में पूर्ण कार्यवाहियों अथवा राष्ट्रीय कार्यवाहियों पर ध्यान नहीं दिया गया है । इस में जनबल की समस्या पर ध्यान नहीं

दिया गया है । और न कम से कम अन्य देशों की भांति उन अनुभवों को प्रयोग करने का ढंग जानने के लिये प्रयत्न किया गया है । यह संतोषजनक बात है कि योजना मंत्री बेकार व्यक्तियों के लिये कार्य-व्यवस्था का उपबन्ध रखने के लिये योजना में संशोधन करना चाहते हैं । यह अति आवश्यक है कि हमारी सारी राष्ट्रीय कार्यवाहियां सम्बद्ध तथा एक दूसरे से जुड़ी हों जिस से यह विश्वास हो कि योजना उचित है और हमारे जनबल के लिये उचित उपबन्ध है । इस बात पर जोर देने का एक कारण और भी है और वह है धन की दृष्टि से । क्योंकि उन बातों को मिलाने से अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है और अधिक धन उपलब्ध भी होगा । उदाहरण के लिये मैं नहीं चाहता कि रक्षा-सेवाओं में बचत की जाए अर्थात् रक्षा सेवाओं में यह अति आवश्यक है कि उनमें व्यक्ति हों और वेतनों तथा भत्तों में कोई बचत न की जाये । अपितु हम रक्षा-विभाग के लिये उन आवश्यक वस्तुओं को विदेशों से न मंगायें जो देश में होती हैं अथवा बनाई जा सकती हैं ।

श्री डो० सी० शर्मा (होशियारपुर): श्रीमान्, भारत की जन संख्या ३६ करोड़ है । मैं माननीय सदस्य से यह प्रार्थना करता हूं कि वह हमें बतायें कि इसमें से कितनी को जनबल के क्षेत्र में लेंगे ।

श्री यू० सी० पटनायक : मैं दो दृष्टिकोणों से इस विषय पर बोल रहा था । प्रथम, रक्षा-संगठन में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं और दूसरा वस्तुओं का उत्पादन करके बचत में वृद्धि करके, अपनी निर्माणशालाओं की बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग करके, विदेशों को जाने वाला बहुत सा धन बचा सकते हैं । सेना इंजिनियरिंग सेवाओं में भी, जो प्रति वर्ष ३० से ४० करोड़ रुपये तक व्यय करती हैं, बचत की जा सकती है । कार्य ठेकेदारों द्वारा किये जा रहे हैं जब कि अन्य देशों में कार्य कुछ विशेष संगठित सेना दल द्वारा हो रहा है । इनमें कदाचित् कुछ दफतरों का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना सम्मिलित है । इसमें बचत हो सकती है ।

हमें राष्ट्रीय कार्यवाहियों के दोनों अंगों ——सामाजिक व आर्थिक समस्याओं तथा रक्षा समस्याओं को मिलाकर उन्हें हल करने के लिये एक निश्चित ढंग अपनाना चाहिए ।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा मध्य): क्योंकि इस विषय पर पर्याप्त वादविवाद हो चुका है इस लिये मैं चर्चा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखता हूं ।

श्री कर्णी सिंह जी (बीकानेर-चूरू): श्रीमान्, मैं बोलने का अवसर पाने के लिये पिछले तीन मास से प्रतीक्षा करता रहा हूं

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित——अनुसूचित जातियां) : अब तक केवल राजे महाराजे तथा धनी व्यक्ति बोले हैं। मैं अल्पसंख्यक जाति का प्रतिनिधि हूं इस लिये मुझे वास्तव में हानि है । अतः मुझे, श्रीमान्, बोलने का अवसर दिया जाये ।

सभापति महोदय : सभापति महाराजा तथा अन्य सदस्य में भेद नहीं रखता है । मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य पिछड़ी हुई जाति से हैं । (**अन्तबांधायें**)

सदन के अभिप्राय को दृष्टि में रखते हुये मैं समाप्ति प्रस्ताव स्वीकार करना नहीं चाहता ।

श्री कर्णी सिंहजी : श्रीमान्, राजस्थान में बेकारी के दो पहलू हैं एक तो

[श्री कर्णी सिंहजी]

"अखिल भारतीय ढंग की है, और दूसरी मनुष्य की बनाई हुई । आरम्भ में ही मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं सदैव ही एकीकरण प्रणाली का समर्थक रहा हूं और मैंने सरदार पटेल को सदैव ही सम्मान की दृष्टि से देखा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज वह महान आत्मा हमारे साथ नहीं । मुझे विश्वास है कि यदि उन्हें यह पता लग जाता कि ये परिणाम होंगे और सैंकड़ों गरीबों पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा तो वह इन दुखदायक परिस्थितियों को रोकने के लिये अवश्य ही यथासमय कुछ कार्यवाही कर लेते । राजस्थान राज्य के विलीनीकरण का यह पांचवा वर्ष है, परन्तु मुझे खेदपूर्ण कहना पड़ता है कि वहां सरकार इस काल में बेकारी की समस्या को सुलझाने में पूर्णरूप से असमर्थ रही है ।

मैं समझता हूं कि भाग ख के राज्यों में विशेषकर राजस्थान में, बेकारी फैलने के कारण निम्न हैं:-

(१) राजस्थान में १४,००० से, १७,००० तक व्यक्ति, सेना में से निकाले गये ।

(२) राजस्थान के विद्युत विभाग से कम से कम ५,००० व्यक्ति निकाले गये।

वैसे तो विलीनीकरण की योजना अपने आप में बहुत अच्छी है । किन्तु उसका एक परिणाम यह हुआ कि जिस एक शहर को राजधानी बनाया गया उसका तो उत्कर्ष हुआ और अन्य भूतपूर्व रियासती राजधानियों का ह्रास होने लगा। मैं अपने शहर बीकानेर का उदाहरण बताता हूं । वहां एक ३ करोड़ रुपये की नगर नियोजन योजना बनाई गई थी । किन्तु विलीनीकरण के बाद यह योजना क्रियान्वित नहीं हो पायी । मुझे विश्वास है कि गाडगिल समिति तथा सरकार इन बातों के आर्थिक परिणामों पर गौर के साथ विचार करेगी ।

राजस्थान में ५०,००० से १००,००० या अधिक लोग बेकार होंगे । पहले तो विलीनीकरण के कारण बेकार बने हुए लोगों की अधिकृति गिनती की जानी चाहिए । इन विलीन रियासतों से जो रोकड़ बाकी प्राप्त हुई है उसमें से वहां उद्योग आदि शुरू किये जाने चाहिएं ताकि अधिकतम लोगों को रोजगारी मिले । व्यापक छंटनी करने के अधिकार केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले लेने चाहिएं । सिंचाई परियोजनाओं का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा इस तरह किया जाना चाहिए कि राजस्थान में सम्मिलित विभिन्न रियासतों को उनमें न्यायोचित हिस्सा मिले । यथाशक्य प्रत्येक शहर में विद्युत शक्ति पहुंचायी जाये । केन्द्रीय सरकार को वहां से जो सम्पदा शुल्क मिलेगा वह बेकारों की सहायता के लिये अलग रखा जाये । रेलों के कार्यों में पांच वर्ष तक वहीं के श्रमिक भर्ती किये जायें । और भी एक महत्वपूर्ण बात है । राजस्थान के मंत्री मंडल में निरंतर हेरफेर होते रहते हैं । इन्हें देखकर तो फ्रांस का मंत्री मंडल भी लज्जित हो जायेगा ।

अन्त में, मुझे बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान को कुछ अनुदान देने वाली है किन्तु वह इस लिये हिचकिचाती है कि कहीं वहां का मंत्रीमंडल उसका व्यर्थ व्यय न करदे । मैं चाहता हूं कि उन अनुदानों का व्यय केन्द्रीय देखरेख में हो जिससे कि श्रम करने वालों को पैसा तो मिले । हमें इस बारे में सावधान रहना चाहिए कि दिवंगत सरदार पटेल ने विलीनी-

करण द्वारा भारत का नकशा बदल कर जो सत्यकार्य आरम्भ किया है वह हमारी निष्क्रियता तथा निरूद्देश्यता के कारण निष्फल न हो जाये ।

श्री पी० एन० राजभोज : यहां बीकानेर के महाराजा साहब ने और काका गाडगिल साहब ने अभी भाषण दिया । लेकिन यह तो हाई क्लास (श्रेष्ठ वर्ग) के लोग हैं । हमारे देशमुख साहब जो कि हमारे फाइनन्स मिनिस्टर हैं वह भी हाई क्लास के हैं । यह गरीब फैमिली (परिवार) से नहीं हैं । इसलिए मैं भी अपने सुझाव अनएम्पलायमेंट के बारे में रखना चाहता हूं । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह इस देश का बहुत बड़ा प्राबलम (समस्या) है । और यह प्राबलम तभी ठीक से हल होगा जबकि जो जमीन देश के राजा महाराजाओं के पास है और ज़मींदारों के पास है उसका गरीबों में ठीक से बटवारा हो जायगा । जो लोग देहात के गरीब हैं और जिनके पास खाना और कपड़ा नहीं है उनको ठीक तरह से यह ज़मीन बटनी चाहिए । जो भूदान यज्ञ हो रहा है, मेरा ख्याल है कि उससे तो कुछ देश का कल्याण होने वाला नहीं है । यह तो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा (प्रचार) बढ़ाने के लिए एक स्कीम (योजना) है । इसी वास्ते, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ज़मीन का बटवारा होना चाहिए और ठीक तरह से होना चाहिए और वह ज़मीन गरीबों को मिलनी चाहिए । जो सच्चे गरीब हैं उनको मिलनी चाहिए । कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि यह गलत बात है कि यह ज़मीन उनको मिलनी चाहिए जिनके पास न हल है और न बैल हैं । यह ज़मीन उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए जो कि सच्चे गरीब नहीं हैं । अभी हम लोगों ने हैदराबाद में सत्याग्रह किया, १७०० आदमी जेल गये । उनको ज़मीन नहीं मिलती है । जो मिलती भी है वह गाय चराने के नाम से और दूसरे ढंग से वापस ले ली जाती है । गवर्नमेंट का भी काम ऐसा चलता है कि अंधा पीसता है और कुत्ता आटा खाता है । हरेक स्टेट में आपस में यूनीफारमिटी (समानता) नहीं है । हैदराबाद में अलग है, राजस्थान में अलग है और पंजाब में अलग है । अभी तक जो ज़मीन का सवाल है वह ठीक तरह से हल नहीं हुआ है । यह बेकारी का सवाल तब तक हल नहीं होगा जब तक कि गरीबों के आर्थिक सवाल को ठीक तरह से हल नहीं किया जाता । लोगों ने मध्यम वर्ग के अनएम्प्लायमेंट (बेरोजगारी) का ज़िक्र किया है और कहा है कि उनको नौकरी मिलनी चाहिए और उनके लिए टीचर्स (शिक्षकों) की एक योजना बनायी है जिसमें दस हजार टीचर्स रखे जायेंगे । मैं भी कहता हूं कि मध्यम वर्ग को एम्पलायमेंट (रोजगारी) देनी चाहिए लेकिन जो उनसे भी श्रमजीवी और गिरे हुए लोग हैं उनके लिए कोई कुछ नहीं बोलता है । काका साहब गाडगिल तो फिलासफी (दर्शन) की बात करते हैं । वह गरीबों में से नहीं हैं । वह तो बड़ी बड़ी जगहों में बोलते हैं । उनको क्या मालूम कि अछूतों की बस्ती में क्या हो रहा है । न उनको यह मालूम कि अछूतों को क्या क्या देहातों में तकलीफें हो रही हैं । एक हमारे खंडू भाई देसाई हैं जो कि अछूतों के लिए कहते हैं, पर मैं उनकी भी एक गलती बताता हूं । उनके राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में यह है कि यह अछूत किस पार्टी का है अम्बेडकर पार्टी का है या कम्युनिस्ट पार्टी का है । जो उनकी पार्टी का होता है उसको नौकरी दी जाती है औरों को नहीं । इस तरह का भेदभाव है । अभी गवर्नमेंट आफ इंडिया में बड़े बड़े आफिसर अगर कोई मदरासी आ जाता है तो वह मदरासियों को रखता है, कोई पंजाबी आ जाता है तो वह पंजाबियों को ज्यादा रखता है । तो यह जो जातीय और प्रान्तीय भेदभाव है यह बहुत खराब है ।

[श्री पी० एन० राजभोज]

इसको भी नष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए जब तक यह रहेगा तब तक देश की बेकारी का सवाल हल नहीं होगा । एम्पलायमेंट एक्सचेंज (नौकरी दफ्तर) में जाइये वहां भी यही बात है । एक रिजोल्यूशन हमारे लिए रखा गया है । मगर एम्पलायमेंट एक्सचेंज में भी बड़े बड़े अफसर हैं । वह दलित भाइयों को कहते हैं कि तुम्हारी क्वालीफिकेशन्स (अर्हता) ठीक नहीं हैं, तुम्हारी टाइपिंग में स्पीड (गति) ठीक नहीं है । गवर्नमेंट ने जो (मिनिमम क्वालीफिकेशन (निम्नतम अर्हता) रखी है उस पर नहीं लेते हैं । यू० पी० एस० कमीशन के द्वारा कहते हैं कि पांच बरस का एक्स-पीरिएंस (अनुभव) होना चाहिए, दस बरस का एक्सपीरिएंस होना चाहिए । हम में ऐसे आदमी नहीं मिलते हैं, इसलिए उनको नहीं लेते हैं । जहां जहां कमीशन है वहां वहां इस वक्त यही सवाल पैदा हो रहा है । जब हम कुछ कहते हैं तो यह कहा जाता है कि आप हमेशा शिड्यूल्ड कास्ट का ही सवाल ले आते हैं । देश में ये लोग ६ करोड़ हैं जो कि गिरे हुए हैं और गुलाम हैं । इनके लिए रिजोल्यूशन पास किये जाते हैं लेकिन अमल में नहीं लाये जाते । बहुत लोग बेकार हैं । कुछ को अगर एम्पलायमेंट ऐक्सचेंज में नौकरी मिल भी जाती है तो इस से क्या काम चल सकता है ।

अभी फाइव इअर प्लान (पंचवर्षीय योजना) चल रही है । बड़ी बड़ी किताबें लिखी गयी हैं और बड़ी बड़ी योजनायें चल रही हैं लेकिन गरीबों के लिये क्या हो रहा है, जो बैकवर्ड क्लास हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट हैं और जो शिड्यूल्ड ट्राइब हैं उनके लिए क्या हो रहा है । उनके मकानों के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए क्या स्कीम है । कहा जाता है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन अंधेर नगरी और चौपट राजा का सवाल है । मैं हाउस (सदन) से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह हमको भी अपनी नौकरी का सवाल उठाने में और पब्लिक सरविस कमीशन के मामले में सवाल उठाने में ठीक सहायता दे । यह इस देश की बीमारी है । यह ठीक नहीं है । मुझे हर वक्त यह बात कहना ठीक नहीं मालूम होता पर रोये बिना कोई सुनता ही नहीं है ।

श्री भागवत झा (पूर्निया व सन्थाल परगना) : लड़ने से सुनते हैं ।

श्री पी० एन० राजभोज : लड़ने का समय आवेगा तो लड़ेंगे भी । जब तक कानून से हल हो सकता है तब तक वैसी कोशिश करते हैं । मैं इसके लिए आपसे अपील करना चाहता हूं ।

इसके अलावा जो यह छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं यह कोआपरेटिव बेसिस (सहकारिता के आधार) पर चलनी चाहिएं । वह अभी नहीं चलती हैं । तो जो यह छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी एग्जाम्पुल आपको बताता हूं । एक टैनिंग इंडस्ट्री है । जो चमड़ा है वह अभी देश से बाहर जाता है । इसी देश में जो चमड़ा है, उसको टैनिंग इंडस्ट्री खोल कर, फैक्टरी बना कर, क्यों नहीं देश में ही इसका काम आप चलाते हैं । लेदर का सामान विलायत से आप मंगाते हैं । आपने क्या विलायत से मंगाने का ठेका लिया है ? जब आप के देश में ही चीज़ पैदा होती है और जब आप का देश अब आज़ाद हो गया है तो इस को बाहर भेजने की क्या आवश्यकता है ? यहां आप फैक्टरी क्यों नहीं खोलते ? इस वास्ते जो छोटे छोटे धंधे हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको आप को कोआपरेटिव बेसिस से चलाना चाहिए । उस के द्वारा आप छोटे लोगों के आर्थिक जीवन और नौकरी के बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं । लेकिन हमारी जो सरकार है वह ज्यादा से ज्यादा कैपिटलिस्ट

लोगों (पूंजीपतियों) को ही सप्पोर्ट (समर्थ) करने वाली है। मैं तो कहता हूं कि आप को राशनिंग आफ हाउसेज और राशनिंग आफ मनी करना चाहिये। जैसे राशनिंग की पद्धति देश में होती है, वैसे ही इस का भी राशनिंग होना चाहिये। अभी महाराजा बीकानेर यहां खड़े थे, उनके पास बहुत पैलेसेज हैं, मकान हैं, बहुत ज़मीन है। इसी तरह हैदराबाद के नवाब के पास बहुत ज़मीन है, बहुत मकान हैं। इनका आप राशनिंग करिए। उन को सोने के लिये दो कमरे दे दीजिये। इसी तरह राशनिंग आफ जमीन होना चाहिये। जो यहां इस तरह के करोड़पति हैं, जिनके पास इतना रुपया है कि उसे देखने को उनके पास टाइम नहीं है, ऐसे यह हमारे सेठ साहब यहां बैठे हैं, तो इसी तरह से यह राशनिंग आफ हाउसेज (भवन) राशनिंग आफ जमीन और साथ ही राशनिंग आफ मनी (धन) होना चाहिये। यह तीन प्रकार का राशनिंग आप को करना चाहिये। (**अंतर्बाधा**) आप शान्ति रखें, मुझे तो टाइम बहुत कम है, उसमें बहुत कुछ कहना है।

तो इस तरह से इन तीन दृष्टियों से यह आन्दोलन अच्छी तरह से चलाने की आप स्कीम बनाइये। तभी मेरे ख्याल से ठीक तरह से हमारे देश का और हमारे समाज का भला हो सकेगा। जब तक ऐसी परिस्थिति प्राप्त नहीं होती, तब तक वैसे बड़ी बड़ी स्कीमें जो होती हैं, उनके लिये बड़े बड़े लोग बोलते हैं और हम अपोजीशन वाले उसका विरोध करते हैं। आज क्या हो रहा है ? यहां के कोने कोने में, मद्रास में बम्बई में सब जगह बेकारी है। बहुत सी जगहें हैं जहां जात पात का सवाल बना कर हम लोगों को निकाल दिया जाता है। इसलिये इस देश से जब तक हम जात पांत का सवाल नष्ट नहीं करते तब तक ठीक तरह से बेकारी का प्रश्न अच्छी तरह से निबटाना बहुत कठिन है। यहां कहा जाता है कि रिफ्यूजीज के लिये बहुत खर्च होता है। लेकिन हम कहते हैं कि अछूतों के लिये आप ज़मीन दे दीजिये मकान दे दीजिये तो कोई सुनवाई नहीं होती। मैं नहीं कहता कि रिफ्यूजीज के लिये आप खर्च न करें, मैं मानता हूं वे निराश्रित हैं और उनके लिये खर्च करना चाहिये। लेकिन सच्चे निराश्रित तो देश में हम लोग हैं। सच्चे देश के गुलाम तो हम हैं, हम गुलाम के गुलाम बना दिये गये हैं। हमारी बेकारी नष्ट करने के लिये, हमारे आर्थिक सवाल को हल करने के लिये गवर्नमेंट कोई ठोस काम नहीं करती। गवर्नमेंट की कोई स्कीम अमल में नहीं आती है। इसी वास्ते इस बकारी के सवाल के बारे में मैंने जो कुछ सजेशन्स (सुझाव) दिये हैं उनके अनुसार कुछ काम होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जो आर्डनेंस डिपो हैं, उनमें कई आदमी बेकार हो गये हैं। इधर तो कहते हैं कि बेकारी बन्द होनी चाहिये और दूसरी तरफ़ अम्बरनाथ की फैक्टरी और पूना, देहू रोड, किरकी में लोग बेकार हो रहे हैं। तो इस तरह से बेकारी बढ़ रही है। इधर राशनिंग बन्द होने से बेकारी बढ़ रही है। अभी फूड मिनिस्ट्री ने राशनिंग खत्म करने की कोशिश की, वह ठीक है। लेकिन देहात के लोग जो बेकार हैं उनको रोजगार ठीक तरह से नहीं मिलता। रोज़ाना का उनका आर्थिक जीवन बड़ी मुश्किल में है। इसी वास्ते थोड़ा सा हम देशमुख साहब से कुछ कहना चाहते हैं। देशमुख साहब बड़े अर्थ शास्त्रज्ञ हैं और उनको सब प्रकार के लोग अपनी हालत बताते हैं। तो हमने भी जो हमारे गिरे हुए और अछूत भाई हैं उनके बारे में हालत बताई और जो कुछ सजेशन्स दिये हैं उनको अमल में लाने के लिये हम को उम्मीद है कि हमारे देशमुख साहब कोशिश करेंगे। हमने जो यह बेकारी का सवाल कहा, पब्लिक सरविस कमीशन के बारे में जो अन्याय होता है और जो एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज में ठीक

[श्री पी० एन० राजभोज]

तरह से रजिस्ट्रेशन और रिजर्वेशन नहीं मिलता इनके बारे में कुछ न कुछ होना चाहिये। यहां देश में कई प्रकार के रोने वाले लोग हैं। हम तो अभी न्याय दृष्टि से कहते हैं, कोई झगड़े की दृष्टि से नहीं। अभी तो हम न्याय में विश्वास करते हैं और अभी तक हमारा दिमाग़, हमारी वृत्ति और हमारी नीति ठीक तरह से चल रही है। लेकिन जब खाने को नहीं मिलेगा, जब हम लोग भूके रहेंगे, जब किसी को ज़मीन नहीं मिलेगी, जब हमारा सवाल ठीक तरह हल नहीं होगा, तो हमें कुछ न कुछ रास्ता ऐसा अपनाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। "नाक दाबे बिना मुंह नहीं खुलता है", इसी वास्ते अभी तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ठीक तरह से इन सवालों को जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करनी चाहिये। यही मेरी अपील है।

मुझे श्रीमान् सभापति महोदय जी ने जो आज टाइम दिया खास तौर से झगड़ा करने के बाद जो टाइम मिला है .....

सभापति महोदय : झगड़े से नहीं दिया है।

श्री पी० एन० राजभोज : अच्छा, प्रेम से दिया है। आप बड़े उदार दिल के हैं, इसलिए मुझे समय मिल गया और इसीलिये मैंने अपने सजेशन्स दिये हैं और उम्मीद करता हूं कि इनको आप अमल में लावेंगे साथ ही अपोजीशन पार्टी वाले लोगों को आप जब तक विश्वास में नहीं लेंगे तब तक ठीक तरह से काम नहीं चलेगा। मैजारिटी तो आप के पास है। मैजारिटी से कोई भी मेजर पास हो जाता है। लेकिन कभी न कभी झुकना पड़ेगा और झुकने के बिना काम नहीं चलेगा।

इतना कह कर मैं सभापति महोदय को धन्यवाद दे कर समाप्त करता हूं।

श्री भागवत झा : श्रीमान् सभापति महोदय, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अब शाम को जबकि सब महानुभावों के बोलने के बाद जो कुछ समय बच रहा है उस में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया यद्यपि हम लोग ठीक आपके सामने पड़ते हैं, किन्तु आपकी नज़र हम पर कम पड़ती है। फिर भी आपका मैं बड़ा कृतज्ञ हूं कि संसद् में इस बेरोज़गारी के प्रश्न पर बोलने के लिये आप ने समय दिया है। यह जो प्रश्न बेरोज़गारी का इस सदन के सामने रखा गया है, इस पर गत बार से बहस चल रही है। इसमें बहुत से प्रश्न उठाए गये हैं। यह कहा गया है कि सरकार इस प्रश्न पर जागरूक नहीं है। यह नहीं, बल्कि इस प्रश्न को ही लेकर पिछली बार हमारे आदरणीय महानुभावों ने जो इधर हैं, इन्होंने इस को एक विशेष प्वाइंट (विषय) बना कर एंटी अनएम्प्लायमेंट डे (बेरोजगारी विरोधी दिवस) भी मनाया था। यह बात सत्य है कि सरकार ने एक ग्यारह सूत्री योजना स्टेट सरकार को भेजी है। वह चाहती है कि इस के ज़रिए हर प्रदेश में बेरोज़गारी के प्रश्न को हल किया जाय। इस ग्यारह सूत्री योजना में यह रखा है कि छोटे छोटे उद्योग चलाएं जायं, टैक्निकल सबजैक्ट्स पर शिक्षा दी जाय, सड़क यातायात की नीति अपनाई जाय, छोटी आमदनी के तबकों के लिये गृहों का निर्माण किया जाय, आदि आदि। ये बहुत से ऐसे मसले हैं, जिनके द्वारा हम रोज़गार तो दे सकते हैं, जिनके द्वारा हम तत्काल जो अनएम्प्लायड हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार दे सकते हैं लेकिन यह प्रश्न इतना छोटा नहीं है कि जिसको हम इस ग्यारह सूत्री योजना के अनुसार हल कर सकते हैं। अगर हमें इस बेरोज़गारी के प्रश्न को हल करना है तो हमें इसको जड़ में जाना होगा, इस की तह में जाना होगा

और इसके लिये हमारे सामने कोई दीर्घ सूत्री योजना होनी चाहिये। उस दीर्घ सूत्री योजना में हमारा, ख्याल है कि बार बार इसी प्रश्न को उठाया जाता है कि जो हमारे पढ़े लिखे आदमी बेरोज़गार हैं वह काम नहीं करना चाहते। इस तरफ़ गवर्नमेंट के जो सदस्य हैं, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया है कि यह पढ़े लिखे लोग जो बेरोजगार हैं काम करना ही नहीं चाहते और बार बार डिग्निटी आफ लेबर (श्रम प्रतिष्ठा) की इस हाउस में दुहाई दी गयी है। मैं जानता हूं कि अभी सिर्फ बिहार में हमारे यहां इस साल एक लाख ५० हजार आदमियों ने मैट्रिक पास किया है। सिर्फ मेरे एक डिवीजन में चार हज़ार ग्रैज्युएट अन-एम्प्लायड हैं।

ऐसी हालत में जब यह फ़ीगर (आंकड़ा) हमारे सामने है और यह बात यहां पर बारबार कही जाती है कि ये सब के सब देहात की तरफ़ से शहर की ओर भागने लगे हैं और जहां तक मुझे याद पड़ता है पिछले अवसर पर भी जब इस विषय पर हाउस में बहस चल रही थी, इस देहात से शहर की ओर ड्रिफ्ट (बहाव) का बारबार ज़िक्र किया गया, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी उन्होंने इस ड्रिफ्ट के कारणों के ऊपर भी सोचा है कि ऐसा क्यों है ? क्या यह ड्रिफ्ट इस कारण नहीं है कि गांवों में ज़मीन पर जो लोग आज काम करते हैं, उनके लिए पर्याप्त ज़मीन उपलब्ध नहीं है, इस कारण विवश होकर उन लोगों को शहर की ओर भागना पड़ता है क्योंकि वहां उनकी जीविका का प्रबन्ध नहीं हो पाता और मैं समझता हूं कि हमारा बारबार यह कहना कि गांवों में जो पढ़े लिखे आदमी हैं, वह खेतीबाड़ी का काम नहीं कर सकते हैं, कुदाल नहीं पकड़ सकते हैं या हल नहीं जोत सकते हैं और इस कारण वह शहर की ओर भाग रहे हैं, उचित नहीं है। असल में प्रश्न यह है कि आज देहात में जो आबादी है वह ज़रूरत से ज्यादा है। मैं आपको बतलाऊं कि एक किसान जो गांव में खेती करता है, उसके तीन लड़के हैं, एक मैट्रीकुलेट है, दूसरा ग्रेजएट है और तीसरा एम० ए० है, वह बूढ़ा किसान चूंकि उसके पास सिर्फ़ ३०, ४० या ५० बीघा ज़मीन है, इसलिये वह अपने बेटों से कहता है कि देखो भाई मेरे पास जो ज़मीन है वह सिर्फ मेरे काम के लिए काफ़ी है और विवश होकर उसे अपने लड़कों को काम की तलाश में घर से बाहर निकालना पड़ता है। यह उदाहरण देकर मैं आपको यह सिद्ध करना चाहता हूं कि वह जो उसके लड़के शहर को जाते हैं तो इस कारण नहीं कि वह डिगनिटी आफ़ लेबर नहीं समझते बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़मीन नहीं है जिस पर वह काम कर सकें। आपका सदा यह आक्षेप रहता है कि पढ़े लिखे लोग डिगनिटी आफ लेबर नहीं समझते, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने उन लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन सबको आपने रोज़गार दे दिया है ? जैसा मैंने पहले बतलाया यह देहात से शहर की ओर ड्रिफ्ट इस कारण से है कि वहां पर जितनी आबादी है उसके वास्ते खेती करने के लिये ज़मीन नहीं है। सरकार ऐसे आदमियों को जो चाहे पढ़े लिखे हों या न हों लेकिन डिगनिटी आफ़ लेबर में विश्वास करते हैं, उनको भी सबको रोज़गार मुहैया नहीं कर पायी है। अभी भी ऐसे आदमी हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है और पढ़े लिखों को तो जाने दीजिये क्योंकि आप कहते हैं कि वह डिगनिटी आफ़ लेबर में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो अनपढ़े हैं और डिगनिटी आफ़ लेबर को समझते हैं और काम करना चाहते हैं, अगर आप उन सबको काम पर लगा सकेंगे, तभी उसके बाद आप यह कह सकते हैं कि पढ़े लिखे आदमी काम नहीं करते हैं।

[श्री भागवत झा]

दीर्घकालीन योजना में सबसे बड़ा प्रश्न जो उठाया गया था वह शिक्षा के बारे में था। आप एक तरफ़ तो यह नारा बुलन्द करते हैं कि ये पढ़े लिखे आदमी काम नहीं करते हैं और यह वर्त्तमान शिक्षा प्रणाली बड़ी बुरी तथा दोषपूर्ण है और इस बात पर सिर्फ़ इस तरफ़ के सदस्यों ने ही नहीं, बल्कि उस तरफ़ के सदस्यों ने भी ज़ोर दिया है कि वर्त्तमान शिक्षा प्रणाली ऐसी है जिसमें विश्व विद्यालय-रूपी फ़ैक्टरियों से हर साल बी० ए० और एम० ए० की डिग्री (उपाधि) प्राप्त करके नवयुवक निकलते हैं, जो कि बाहर निकलने पर बिल्कुल बेकार और निकम्मे साबित होते हैं, मैं आपकी बात माने लेता हूं कि आजकल जो बी० ए० और एम० ए० निकल रहे हैं वह सब बेकार और नालायक़ हैं और उनको कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन आपके सिर्फ़ इतना कह देने भर से तो प्रश्न हल नहीं हो जाता। मेरा तो कहना है कि जब हम यह समझते हैं कि आज की शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण है और ग्रैजुएट और एम० ए० ढालने वाली ये फ़ैक्टरीज़ किसी काम की नहीं हैं तो सरकार की ओर से इन फ़ैक्टरीज़ को डिमालिश करने (तोड़ देने) के लिये क़दम उठाया जाना चाहिये, इनको नया बनाये और अगर दशा यहां तक पहुंच गयी है कि आपकी शिक्षा पद्धति नई नहीं हो सकती है तो कम से कम इन फ़ैक्टरीज़ को तो आपको बन्द कर देना चाहिये जिनसे ऐसे बेकार आदमी निकलते हैं, जो कोई काम नहीं कर सकते हैं। आज जब हमारे शिक्षा मंत्री और दूसरे मंत्रीगण इस बात को मानते हैं कि आज की शिक्षा पद्धति ऐसे लोगों को निकालती है जो किसी काम के नहीं होते, तो हमारी सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह शिक्षा पद्धति में सुधार करे और उसको नया रूप दे और मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या किया है? क्या यह उचित है कि ऐसे अवसर पर हमारे केन्द्र के शिक्षा मंत्री महोदय और बाकी राज्यों के मंत्री चुपचाप बैठे रहें और हाथ पर हाथ रख कर तमाशा देखते रहें और जान बूझ कर ऐसी शिक्षा पद्धति को क़ायम रक्खे रहें जो ऐसे आदमियों को तैयार करती है जो अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए भारस्वरूप होते हैं और देश पर बोझ बनते हैं। उस योजना में यूथ कैम्प (युवक शिविर) खोलने का सुझाव है जहां नवयुवकों को इस बात की ट्रेनिंग दी जायगी कि लेबर में डिग-निटी है, उनको एक नई दिशा की ओर ले जाने की कोशिश की जायगी और आज जो नवयुवक डिग्री लेकर निकलते हैं वह लेबर की डिगनिटी नहीं समझते, उनको वहां पर यह सिखाया जायगा कि डिगनिटी आफ़ लेबर में विश्वास करो, मैं इस सुझाव का हृदय से समर्थन करता हूं और आप अवश्य ऐसे कैम्प खोलिये लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उन कैम्पों और फ़ैक्टरीज़ के लिये क्या उपाय करने जा रहे हैं जहां से लाखों और हज़ारों नौजवान प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं और उनको काम नहीं मिलता, आप यह जानते हुए कि वर्त्तमान शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, उसको क़ायम रक्खे हुए हैं, जिस शिक्षा पद्धति का कोई उद्देश्य नहीं है जो हमें यह नहीं बतलाती है कि विद्यार्थी स्कूल और कालिजों से निकलने के बाद जीवन संग्राम में किस तरह अपना पार्ट अदा कर पायेंगे, ऐसी प्रणाली को क़ायम रखना सर्वथा अनुचित और ग़ैर ज़रूरी है। इसलिये मैं समझता हूं कि दीर्घ सूत्री योजना में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ का ज़िक्र है, वह सब ठीक है, लेकिन उसमें साथ ही साथ बेरोज़-गारी के प्रश्न को हल करने के उपाय की ओर

हम सब को विचार करना चाहिये ताकि सदा के लिये हम अपने देश से इस बेरोज़गारी के प्रश्न को हल कर सकें।

हमारी औद्योगिक नीति में आवश्यक सुधार किये जाने चाहिएं और हम इस बेरोज़गारी के प्रश्न को अपनी औद्योगिक नीति में सुधार कर के भी हल कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैं आपका ध्यान सदन की एक माननीय सदस्या की ओर दिलाना चाहता हूं जो इस समय उपस्थित नहीं है, उन्होंने पिछली मर्तवा जब इस पर बहस हो रही थी, कहा था कि मैं खादी में विश्वास नहीं करती और इस खादी उद्योग को प्रोत्साहन देने के हेतु सरकार जो रुपया खर्च करती है, वह सब व्यर्थ खर्च करती है, व्यर्थ उन माननीय सदस्या की दृष्टि में हो सकता है, क्योंकि यह तो ठीक ही है कि खादी में बीस, पच्चीस रुपये में लहरदार और चमकदार साढ़ी और धोती बंगलौर की तरह तो नहीं बन सकती है जो कि वह पहनती हैं या दूसरे सदस्य लोग पहनते हैं, लेकिन मैं पूछूं कि क्या हमारा उद्देश्य ऐसी सस्ती और चमकदार चीज़ें बनाना है ? क्या हमारा उद्देश्य खादी उद्योग को बढ़ावा देकर देहातों में फैली हुई बेरोज़गारी को खत्म करना नहीं है और जब हम इस बात पर सहमत हैं तो फिर हमें इन छोटे छोटे उद्योगों से कौटेज इंडस्ट्रीज़ (कुटीर उद्योगों) से जो चीज़ें बन कर निकलती हैं, उनको जो पच्चीस तीस परसेंट (प्रतिशत) महंगी पड़ सकती हैं उनको अपनाने के लिये तैयार रहना चाहिये। आज इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि हम देश में छोटे छोटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहन दें और ऐसा करके हम अपने देश में एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को काम दे सकते हैं। क्या आप इस बात को नहीं मानते हैं कि यह देश कृषि प्रधान देश है और यह उद्योग प्रधान नहीं हो सकता है हम चाहते हैं कि विकेन्द्रीकरण के ज़रिये हम देहातों में ऐसे उद्योग धंधे निकालें, ऐसे छोटे छोटे धंधे निकालें जिनसे हम सब को रोज़गार दे सकें। यह मानते हुए कि काटेज इंडस्ट्रीज़ महंगी पड़ती हैं, लेकिन चूंकि इनके ज़रिये हम बेकारी की समस्या एक बड़ी हद तक दूर कर सकते हैं, हमें इनको अपनाना और प्रोत्साहन देना चाहिये। मैं ग्यारह सूत्री योजना में जो छोटे छोटे उद्योग धंधों का ज़िक्र है, उनका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। इसके अलावा मैं समझता हूं कि हम अपनी आयात और निर्यात नीति में परिवर्तन करके रोज़गार को बढ़ा सकते हैं और बेकारी को दूर कर सकते हैं और जैसा श्री पटनायक ने सुझाव दिया मैं भी सोचता था कि अगर हम आज अपने आयात और निर्यात पर कंट्रोल करके उन चीज़ों को अपने देश में बना कर बाहर भेजें तो हम इस तरह काफ़ी लोगों को देश में काम दे सकते हैं और बेकारी की समस्या हल कर सकते हैं।

इस लिये अगर इन चीज़ों पर दोनों योजनाओं पर, जो मैंने बतलाई हैं, अमल किया जाय तो शायद हम बेकारी के प्रश्न को पूरी तरह हल कर सकते हैं।

इसके पश्चात् सदन की बैठक सोमवार, २३ नवम्बर, १९५३ के डेढ़ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।